(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के 11वें सत्र का छठा दिवस [संख्या 6

शनिवार,

13 मार्च, 1976

विधान सभा बैठक म. प. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, सहकारिता, कारागृह, वन, अकाल सहायता, खादी ग्रामोद्योग, नगर आयोजना, स्वायत शासन, एवं पंचायत-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के विचाराधीन मामले

79. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से पेंडिंग हैं? तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सभी मामले पटवारियों एवं ग्राम पंचायत के पास कितने दिन तक पेंडिंग रहे हैं? देरी का विवरण देते हुए सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर कर ग्राम पंचायत में पेश करने के कारण किस किस के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ सरपंच म्यूटेशन के मामले ग्राम पंचायतों की बैठकों में प्रस्तुत नहीं करते और न ग्राम पंचायत के पंचों के नोटिस में लाते हैं और वे सिर्फ अपने दस्तखत करके म्यूटेशन की स्वीकृति देते हैं? यदि हां, तो इस गलत स्थिति को ठीक करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(5) क्या जिला प्रशासन म्यूटेशन के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिये इस वर्ष या सन् 1976-77 में विशेष अभियान करेगा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में 645 नामान्तरकरण पेंडिंग हैं जिसमें 610 नामान्तरकरण दो मास की कम अवधि के, 34 नामान्तरकरण 2 मास से 6 मास की

Page No.2

(श्री मूलचन्द मीणा)

अवधि के तथा 1 नामान्तरकरण एक वर्ष से 2 वर्ष की अवधि का बकाया है। तहसील-वार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त 6[illegible]मान्तरकरणों में से पटवारियों के पास 1[illegible]1 मामले दो मास से कम अवधि के बकाया हैं, भू-अभिलेख निरीक्षकों के पास 178 मामले 2 मास से कम की अवधि के बकाया हैं। तथा ग्राम पंचायतों के पास 168 मामले 20 दिन से कम की अवधि के, 46 मामले 20 दिन से 2 मास तक की अवधि के तथा 10 मामले 2 मास से 6 मास तक की अवधि के कुल 224 मामले बकाया हैं।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्यूटेशन फार्म भर कर ग्राम पंचायतों में पेश करने का कोई मामला राज्य सरकार के सामने नहीं आने से किसी भी पटवारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) सरपंच द्वारा म्यूटेशन ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रस्तुत नहीं करने और ग्राम पंचायत के पंचों के नोटिस में म्यूटेशन के मामले नहीं लाने सम्बन्धी कोई भी मामला जिला प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया है। अतः जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) म्यूटेशन के मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये एक विशेष अभियान दि० 11–1–75 से 31–3–76 तक चलाया जा रहा है जिसकी अवधि दिनांक 30–6–76 तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, वह बहुत ही संतोषप्रद है, स्थिति भी संतोषप्रद है, फिर भी कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। इसमें एक मामला म्यूटेशन का एक वर्ष से दो वर्ष का है, उसके लिए कौन रेस्पोन्सिबल है? ग्राम पंचायत जिम्मेवार है, पटवारी या रेवेन्यू इन्सपेक्टर जिम्मेवार है? क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण यह मामला डिले हो गया? पहला प्रश्न यह जानना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि यह जो केम्पेन चल रहा है, इसकी जो प्रोग्रेस चल रही है, यह बहुत सेटिसफेक्ट्री है। इस प्रोग्रेस को बराबर मेन्टेन रखने के लिए, अभी जैसी स्थिति है कि म्यूटेशन के मामले बहुत कम से कम पेंडिंग हैं, यह बराबर, लगातार, कन्टीनुअसली प्रोसेस चलता रहे, अभियान चलता रहे और यह म्यूटेशन के मामले कम से कम पेंडिंग रहें, इसके लिए फ्यूचर के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? इसके बारे में प्रकाश डालें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री मेरा भी इस विषय पर है। राजस्व विभाग द्वारा इस सदन के गत दो सत्र से अभियान की बात कही जा रही है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कितने हिस्से में इस अभियान से रेवेन्यू रिकार्ड को दुरुस्त आप कर पाये हैं या कुछ पर्टीक्यूलर इस तरह की पोकिट्स क्लेअर आफ की हैं, अब तक किस गति से यह अभि-

Page No.3

(3)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
यान चल रहा है, आप बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : एक प्रश्न मेरा भी है। गंगानगर जिले में 15–15 वर्ष से यह म्यूटेशन के मामले बाकी पड़े हुए हैं। अगर श्रीमान् जी चाहें तो मैं बताऊं कि 36 आर.बी. की भूमि है, उसका 1960 से म्यूटेशन नहीं हुआ है। 56 आर. बी. की रामसिंह की बेची हुई भूमि का 6 साल से म्यूटेशन नहीं हुआ है। 2 पी.एस. का 6 साल से म्यूटेशन नहीं हुआ है। यह मामले जल्दी में याद आये, यह पन्द्रह-पन्द्रह साल से बाकी पड़े हुए हैं जब कि बराबर सरकार को रिक्वेस्ट की जाती है। यह कहा जाता है कि म्यूटेशन के मामले बाकी नहीं हैं और कई दफा यह लिख कर भी दिया जाता है कि यह काम बाकी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ? जो मामले पैंडिंग पड़े हैं, क्या आप जांच करेंगे कि आज तक क्यों नहीं पूरे हुए हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): नामान्तरकरण, जिन शब्दों से नामान्तरकरण बना है, इसका मतलब है, नाम में परिवर्तन किया जाय। यह कन्टीनुअस प्रोसेस है। एक दफा नामान्तरकरण के सभी मामले समाप्त करने पर, इनहेरेन्ट, विरासत के केसेज आयेंगे, उसके बाद बेचान के होंगे, ट्रान्सफर के भी होंगे, कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट की डिक्री से नामान्तरकरण करना पड़ेगा, अलाटमेन्ट के नामान्तरकरण भी लगातार खुलते जा रहे हैं। एक दफा नामान्तरकरण निपटाने के बाद नामान्तरकरण का प्रश्न पैदा नहीं होगा—यह प्रश्न नहीं है। यह कन्टीनुअस प्रोसेस है। नम्बर एक।

पिछले 1-1-75 से जनवरी 76 तक 639951 नामान्तरकरण दर्ज हुए थे, उनमें से निर्णीत हुए 616176। मैं समझता हूं कि कई वर्षों से मिलकर एक साल में जितने नामान्तरकरण राजस्थान में हुए हैं, यह रिकार्ड अचीवमेन्ट है। एक बाड़मेर के अन्दर 22270 कुल नामान्तरकरण दर्ज हुए, उनमें से 22032 निर्णीत हुए। 645 की, प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य को सूचना दी है। यह फेक्ट है कि इसमें कुछ ऐसे मामले हैं, जो दो मास से छः मास के हैं, वह हैं 34। कुछ पंचायतों के पास, कुछ जगह छः मास से एक वर्ष के हैं। 34 की संख्या है, यह फेक्ट मेरे पास नहीं आ सके, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह 9 तारीख को ही निर्णय लिया गया था कि 13 तारीख को क्वेश्चन नहीं रखे जायेंगे। पुरानी इन्फार्मेशन एक महीने पहले की राजस्थान सरकार के पास नामान्तरकरण की है। मैंने प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक समझा। अब अप-टू-डेट पोजीशन लेकर मैसेंजर आज पहुंचने वाला था। वैसे पोजीशन इम्प्रूव्ड है। कल मैंने कलेक्टर से बात की थी। अभी मैं फेक्ट की बात नहीं कह सकता।

एक मुख्य मुद्दा उठाया, रिकार्ड दुरुस्ती का अभियान चलाया है, वह इसलिए चलाना पड़ा; माननीय अध्यक्ष, जब राजस्व मंत्री थे, तो अभियान चलाया गया था, उसकी अवधि को आगे बढ़ाया है क्योंकि वैक लाग पूरा नहीं हुआ था। हम समझते हैं कि सब नक्शों में तब्दीली, जमाबन्दी, नामान्तरकरण

(श्री परसराम मदेरणा)
के मुद्दे काफी उठाये जाते हैं। रीसेटिलमेन्ट से जिस तरह अप-टू-डेट होने की उम्मीद करते हैं वह करवा नहीं सकते। राजस्थान में सौ तहसीलों का रीसेटलमेन्ट होने का समय आ गया, लेकिन अर्थाभाव के कारण वह प्रोग्राम हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि राज्य की अर्थ व्यवस्था ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं देती है। लेकिन अपटूडेट रिकॉर्ड रहे, और बैंक लाग भविष्य में न रहे—इसके लिए राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश निकाल देगी, राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश निकाल रही है कि नामान्तरकरण के मामले में जो नामान्तरकरण का पत्र संख्या 21 है, वह सजिल्द होना चाहिए, बाइन्ड होना चाहिए और नम्बर भी लगने चाहिए। हम यह करने जा रहे हैं, अगर बैंक लाग रहे, पहला बैंक लाग किस किस वजह से है, अब डिटेल्स में जाकर बहुत काफी बैंक लाग निकाल दिया जाय और आगे बैंक लाग नहीं रहे—इस प्रकार आदेश किये जा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न मैंने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। एक तो 2 से 6 माह वाला प्रश्न है, इसका जवाब नहीं मिला है। एक केस है एक से दो वर्ष तक पैंडिंग का।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि म्यूटेशन के अन्दर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाई जाती है और सरपंच अपने आप दस्तखत करके, सरपंच और पटवारी दस्तखत करके कार्यवाही कर लेते हैं। इससे करप्शन बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इस सम्बन्ध में हमारे बाड़मेर जिले में ही नहीं, राजस्थान में दूसरे जिलों में भी इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी होने चाहिए ताकि ग्राम पंचायत की बैठक में बैठ कर दोनों का कार्डिनेशन हो, यह आपसे भी सम्बन्धित है, आपसे भी सम्बन्धित है। दोनों का कोर्डिनेशन हो, पंचायत मीटिंग में म्यूटेशन तय हों, यह प्रश्न तय होना चाहिए। इसकी जानकारी चाहता हूं!

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के 1974 के इस प्रकार के आदेश हैं कि कोर्ट डिक्रीज के अलावा जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, डिस्प्यूटेड और कोर्ट डिक्रीज के मामलों के अन्दर तो तहसीलदार और एस. डी. ओ., रेवेन्यू अधिकारी सीधे नामान्तरकरण के आदेश देंगे और जहां तक और अलाटमेन्ट के भी हैं तो अनडिस्प्यूटेड मामलों में पंचायत आदेश देगी। पंचायत आदेश देगी, सरपंच अकेला नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं विकास और सामुदायिक विभाग से बात करके इस प्रकार के आदेश निकलवा दूंगा कि इस प्रकार से काम नहीं हो।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि गंगानगर में 15—15 साल से मामले ऐसे ही बाकी पड़े हुए हैं। आप चाहें तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। 92 मामले ऐसे हैं जिनमें म्यूटेशन आज तक नहीं हो पाया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका अलग से प्रश्न है जो मैंने नहीं लिया है। अभी बाड़मेर के म्यूटेशन का प्रश्न है और गंगानगर के इंडिविजुअल मामले में आप जानकारी चाहते हैं तो क्या आप मुझ से उम्मीद

(श्री परसराम मदेरणा)

करते हैं कि मैं इसी समय इंडिविजुअल मामले में उत्तर दे सकता हूं। क्यों यह डिस्प्यूटेड हैं, क्यों डिस्प्यूटेड नहीं हैं, नामान्तरकरण क्यों नहीं हो रहा है, यह अलग से प्रश्न है। आखिर पटवारी की जिम्मेदारी है, रेवेन्यू आफिसर्स को बताना होता है। इसके फैक्ट क्या हैं यह बताया है। कई लोग नामान्तरकरण सीलिंग से बचने के लिए कराना चाहते हैं। नामान्तरकरण हो जाने से ही वैसे कोई रिकार्ड आफ राईट क्रियेट नहीं हो जाता है। जो आपका कहना है कि गंगानगर में बाकी हैं तो कुछ बाकी हैं। मेरे पास में इसके आंकड़े भी हैं लेकिन इंडिविजुअल कैसेज में क्या पोजीशन है इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूं।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरी रिक्वेस्ट पालिसी के मुत्तलिक है कि जो बकाया पड़े हैं और अनडिस्प्यूटेड हैं उन मामलों में नहीं करने का क्या कारण है? 15–15 साल से बाकी पड़े हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बकाया हैं उनका निर्णय ले लिया जाएगा। जहां तक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में भी, क्योंकि आपके ऐसे दो तीन प्रश्न और भी आए हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में इस सत्र में नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आपने पूछा है और उनका उत्तर दिया जाने वाला है, मैं आपको कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर नामान्तरकरण की जहां आवश्यकता होगी, जल्दी किया जाएगा और आवश्यकता हुई तो जिलाधीश को बुला कर गंगानगर में जो नामान्तरकरण होने हैं उनको किया जाएगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, म्यूटेशन के मामलों में काफी मामले पेंडिंग हो जाते हैं और फिर अभियान चलाते हैं तो काफी ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर थोड़े दिनों में हमें अभियान चला कर रिकार्ड को ठीक करना पड़ता है। जब-जब भी अभियान चलता है तो सारा स्टाफ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और दूसरे काम सफर करते है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आगे से इस तरह से इकट्ठे नहीं हों इसके लिये सर्क्यूलर निकाला है। तो उसकी इफेक्टिव क्रियान्विति करने के लिए, सरकार की जो मंशा है, जो सर्कूलर निकाला है उसकी इफेक्टिव क्रियान्विति हो इसके लिए आपने किसकी जिम्मेदारी फिक्स की है? बार-बार अभियान चलाते हैं और बार-बार मामले इकट्ठे हो जाते हैं। इसके लिए अभी से रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने कोई खास कड़क, सख्त कदम उठाया है? क्या इस तरह की कोई जिम्मेदारी फिक्स-अप की है जिससे भविष्य में उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके?

श्री परसराम मदेरणा : कड़क आदेश तो मुझे पता नहीं किस तरह का होता है लेकिन भरतपुर में पानी की एक किस्म होती है जो कड़कदार होती है। जहां तक आदेश का सम्बन्ध है कि भविष्य में बाकी नहीं रहे, राज्य सरकार विस्तृत आदेश देने जा रही है। अभी तक आदेश नहीं गए हैं ताकि बैंक लाग नहीं रहे और बार-बार अभियान नहीं चलाना पड़े।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती उषा प्रकाश।

रणजीतनगर कालोनी, भरतपुर में आवंटित भू-खण्ड

80. **श्रीमती उषा प्रकाश (बैर)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर नगर सुधार न्यास के अन्तर्गत रणजीतनगर कालोनी के नाम की योजना कब स्वीकृत हुई? इस योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कितने भू-खण्ड थे?

(2) उपरोक्त योजना में आवंटन एवं नीलामी द्वारा कौन कौन सी श्रेणी के कितने कितने भू-खण्ड दिए जाते थे? क्या इन भू-खण्डों की संख्या एवं साइट प्लान में नगर आयोजना विभाग द्वारा कोई परिवर्तन किया गया था? यदि हां, तो कब और क्या?

(3) न्यास के किस किस गैर सरकारी (नान-आफिशियल) अध्यक्ष ने उपरोक्त योजना में आवंटन द्वारा भू-खण्ड प्राप्त किया? कृपया उनका नाम, भू-खण्ड का नम्बर, क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आवंटित भू-खण्ड का बाद में परिवर्तन किया गया? यदि हां, तो परिवर्तित भू-खण्ड की सिच्युएशन क्षेत्रफल और नम्बर की तिथि क्या है?

(5) क्या उपरोक्त आवंटन और परिवर्तन के लिए अपेक्षित राज्य सरकार की अनुमति ली गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति किस तारीख को दी गई?

(6) क्या उपरोक्त प्रकार का कार्य करने वाले अध्यक्ष के विरुद्ध हुई उपरोक्त तथा अन्य घोटाले और गड़बड़ियों की शिकायत पर की गई जांच के दौरान यह तथ्य पाया गया था कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने आवंटित भू-खण्ड के पास वाले भू-खण्ड पर भी अतिक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया था और नगर आयोजना विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शों में काफी हेराफेरी की गई?

(7) उपरोक्त गड़बड़ी एवं जांच के दौरान पाई गई अन्य गड़बड़ियों के मामलों में राज्य सरकार तथा न्यास ने प्रशासनिक एवं कानूनी दृष्टि से क्या क्या कदम उठाये?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए प्रार्थना की गई थी कि इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती मदनकौर।

गांव बीठूजा (तहसील पचपदरा) में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन

81. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव बीठूजा तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में गत वर्षों में कई भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन किया गया?

(श्रीमती मदन कौर)

(2) क्या इस प्रकार भू-आवंटन के बाद गांव बीठूजा के राजस्व नक्शे में पक्के तौर पर संशोधन कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं किया गया तो इसमें इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या यह सही है कि गांव बीठूजा की भूमि बहुत उपजाऊ है और पक्के तौर पर नक्शे में संशोधन नहीं करके राजस्व कर्मचारी काश्तकारों का शोषण करते रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार ग्राम बीठूजा के राजस्व नक्शे में पक्का और स्थाई संशोधन कराने के लिए कोई अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। तरमीम का कार्य सन् 1974-75 एवं 1975-76 में किया गया।

(3) तरमीम हो चुकी है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा था कि क्या गांव बीठूजा के राजस्व नक्शे में पक्के तौर पर संशोधन कर दिया गया है जिस पर आपने कहा कि 'जी हां'। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या पक्के तौर पर संशोधन कर दिया गया है ? कच्चे तौर पर तो कई दफा हो जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्रीमती मदन कौर : यह कब किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह 9 मार्च को किया जा चुका है। यह 7 है, 8 है या 9 है मैं नहीं कह सकता लेकिन 9 मार्च तक किया जा चुका है।

श्रीमती मदन कौर : बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रश्न सं. 82

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 83

श्री खेगाराम।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण चौधरी : (1) जी हां। वर्तमान नगरपालिका मण्डल ने आवंटन को दोषपूर्ण मानते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया है।

(2) किसी भी हरिजन परिवार को सरकारी भूमि से नहीं हटाया जा रहा है॰॰

श्री अध्यक्ष : आप कैसे उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा ही नहीं है।

(विराम)

माननीय सदस्य जब नहीं हैं तो उत्तर क्यों देते हैं ?

श्री नानालाल !

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिकारी व कर्मचारी

84. **श्री नानालाल (राजसमन्द)** : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में वर्तमान में किन किन पदों पर कितनी कितनी तदर्थ पदोन्नतियां एवं नियुक्तियां कब कब से चल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन तदर्थ पदोन्नतियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इनको कब तक नियमित किया जायगा ?

(3) बोर्ड में अन्य कौन कौन से पदों के कितने कितने स्थान कब से रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया और अब कब तक भर दिया जायगा ?

(5) बोर्ड में विभिन्न वर्गों में कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं और इनमें प्रत्येक में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित प्रतिशत में नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

राज्य मंत्री, खादी बोर्ड (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इन तदर्थ पदोन्नतियों को नियमित किए जाने की कार्यवाही यथा शीघ्र सम्पन्न की जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मुख्यत: बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नियम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो सकी है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए बोर्ड शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। राज्य सरकार ने इस मामले का अध्ययन किया है जिसमें पाया गया कि अधिकांश पद काफी पुराने समय से भरे हुए हैं जिसके कारण उन पर अब कोई कार्यवाही किया जाना कठिन है। किन्तु नवीन रोस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात् कोई नियुक्ति उसके विपरीत नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, सूची प्रश्न नं. 1 की है। इसमें जो तदर्थ पदोन्नतियां हुई हैं यह सन् 69 से की गई है जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसका आपने कोई कारण भी खास नहीं बताया है। और प्रश्न नं. 5 में आपने जो अनुसूचित जाति और जन जाति की बताई

(श्री नानालाल)

है संख्या उसमें 179 में से 21 सदस्य ही इनके हैं । इसमें किनकी कमजोरी है और क्यों नहीं इनको कोटे के आधार पर भरा गया है ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब बोर्ड कांस्टीट्यूट हुआ उस वक्त उसके अलग से नियम थे नियुक्तियां देने के । उसकी एक सलेक्शन कमेटी बनी हुई थी और उसके आधार पर ही जो कुछ नियुक्ति हुई थीं । जिनको काफी समय हो चुका है उसके बारे में कोई विचार किया जाना अब सम्भव नहीं हैं किन्तु इसके बाद हमने यह प्रयत्न किया है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी पदोन्नतियां, जो मापदण्ड बना हुआ है, उसके मुताबिक होनी चाहिए । हमने सन् 1972 में एक प्रारूप बना कर राज्य सरकार के समक्ष समस्त पोस्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया किन्तु लॉडिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बीच में कुछ मतभेद होने के कारण अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है । राज्य सरकार ने इस बीच में यह आदेश निकाला है कि जब तक इन नियमों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नहीं हो जाय तब तक कोई भी व्यक्ति अपोइन्ट नहीं किया जाय । इसलिए जितनी भी हमें आवश्यकता थी काम काज को चलाने के लिए उतनी पदोन्नतियां तदर्थ रूप से की हैं लेकिन उसमें यह मान कर नहीं चल सकते कि इन सबको स्थाई कर दिया जाएगा । इनमें से जिनका हक होगा उनको दिया जाएगा और बाकी को रिवर्ट किया जाएगा, रिवर्ट होने वाले हैं । इसके अलावा जब नियम फाइनल हो जायेंगे तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी । यह मैं माननीय सदस्यों को सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी खाली स्थान हैं उन सब में यह कोशिश की जाएगी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कोटा है, उसको पूरा किया जाय बशर्ते कि उस क्वालिफिकेशन के आदमी उपलब्ध हों । हमारे सामने दिक्कत यह भी आती है कि जब जब किसी पोस्ट को भरने का सवाल आता है तो उसके योग्य व्यक्ति या तो उपलब्ध ही नहीं होते या ओपन सलेक्शन में नहीं आ सकते हैं, उनको कार्यानुभव नहीं होता है । उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए आ नहीं पाते । अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह भी है जो दो तीन साल से सामने आ रहा है, क्योंकि यह ओटोनोमस बोडी है । पिछले कितने ही वर्षों में इन व्यक्तियों की हमने नियुक्तियां करने की कोशिश की हैं लेकिन इन्होंने इन सर्विसेज में रहना पसन्द नहीं किया और छोड़कर चले गए । दो तीन उदाहरण तो अभी के ही हैं । अभी एक स्टेटिस्टिक असिस्टेंट के पद पर हमने हरिजन को रखा था लेकिन वह आया ही नहीं । उसने दूसरी सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया । यह भी समस्या सामने आ रही है ।

श्री नानालाल : क्या यह सही है कि किसी अछूत जाति के व्यक्ति को बोर्ड में नहीं लिया जाय, यह नियम था ?

श्री रामगोपाल (किशनगढ़) : मंत्री महोदय यह बतायें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लड़के आते हैं उनको कार्यानुभव नहीं होता यह आपने किस आधार पर कहा है ? क्या कार्यानुभव नहीं होता है,

श्री मूलचन्द मीणा : मैंने यह बात इस रूप में कही है कि जिस पोस्ट पर हमें नियुक्ति करनी है उसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता, उसका अनुभव उसमें रखा जाता है। क्योंकि एक अनट्रेन्ड आदमी को किसी पोस्ट के लिए रख लिया जाये तो वह काम नहीं कर सकेगा। यह दिक्कत आती है कि वह ट्रेन्ड नहीं होता है क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसको रखने में मजबूरी होती है फिर भी हमने यह सुविधा भी देने की कोशिश की है ऐसे आदमी जो योग्यता रखते हों और ट्रेनिंग के लिए सक्षम हों उनको रख लिया जाये और उनको समय पर ट्रेनिंग दिला दी जावे। ऐसा भी किया गया किन्तु ऐसे एक-दो आदमी नौकरी छोड़ कर चले गये।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे जो दूसरे लोग आते हैं, सवर्ण जाति के लोग आते हैं, वे जन्म लेते ही प्रशिक्षित होते हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : ज्यादातर लोग तो वे हैं जो कि संस्थाओं में काम कर चुके होते हैं।

प्रश्न संख्या 85

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री चेतराम।

टोडाभीम तहसील के ग्रामों में कृषि भूमि पर मकानों का नोटिस

86. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सच है कि टोडाभीम तहसील जिला सवाई माधोपुर के राजस्व अधिकारियों ने रंगलाल का पुरा, बालकापुरा, हौद का पुरा, तथा बडापुरा आदि ग्रामों के आदिवासियों को नोटिस दिये हैं कि उन्होंने कृषि भूमि (खातेदारी की भूमि) तथा सिवाय चक पर मकान बना रखे हैं तथा नजराना के रूप में भारी रकम की मांग की है ? यदि हां तो कितने मकान हैं और प्रत्येक व्यक्ति से कितनी कितनी रकम किस दर से मांगी गई है ?

(2) क्या इन मकानात आदि का राजस्व रेकार्ड (खसरा परिवर्तनशील आदि) में इन्द्राज है ? यदि हां, तो कितने समय से ये मकान बने हुए हैं और जिस समय मकान बने थे उस समय तत्संबंधी क्या क्या नियम थे ?

(3) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं वे सभी आदिवासी (मीणा) हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन्हें राहत देकर क्या करना चाहती है ?

(4) क्या यह सही है कि ये मकान नगरपालिका की स्वीकृति से बने हैं और कानून की दृष्टि से वैध निर्मित हैं ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा)। (1) इन ग्रामों के कुछ निवासियों से नजराने की मांग की गई है। इस प्रकार के 114 मामले हैं। इनसे 18.34 लाख की मांग की गई है। ये मकानात 1,19,242 वर्गगज भूमि में बने हैं।

(2) राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। मकानात लगभग 5 वर्ष पूर्व के हैं।

(3) जिन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं उनमें आदिवासियों (मीणा) के 92

(श्री मूलचन्द मीणा)
व्यक्तियों के मामले हैं। शेष एक मामला अनुसूचित जाति का व 21 मामले अन्य जाति के हैं। इन्हें राहत देने हेतु नियमों के तहत राज्य सरकार विचार करेगी।

(4) जी हां। परन्तु नगरपालिका को कृषि भूमि में मकानात बनाने की इजाजत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार यह इजाजत नियमानुकूल नहीं मानी जा सकती।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ये मकान जिस समय नगरपालिका बनी थी, उस समय के बने हुए हैं या उसके पहले के बने हुए हैं ? दूसरा यह जानना चाहता हूं कि यह मकान जिस समय बने थे, उस समय के क्या नियम थे और क्या उस समय एग्रीकल्चर की भूमि पर मकानात बन सकते थे? यदि बन सकते थे, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है ? और उस समय इन्द्राज का क्या तरीका था ? तत्संबंधी जो नियम थे, उनकी केटेगरी में यह आते हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी मकानात बने हुए है ये सब पांच वर्ष पूर्व के हैं। अभी यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि नगरपालिका कब बनी। परन्तु ये जो मकानात बने हुए हैं ये कृषि भूमि पर बने हुए हैं और आबादी भूमि पर नहीं बने हुए हैं। एग्रीकल्चर भूमि पर जो मकान बनते हैं वे एग्रीकल्चर एण्ड रेजीडेन्शल एक्ट, 1971, 1973 के अन्तर्गत बने हैं और ये मकान 1 लाख 19 हजार 342 वर्गगज जमीन पर बने हुए हैं। अब हमारे सामने अकाउन्टेन्ट जनरल का आडिट पैरा है और अर्बन लैंड कन्वरशन और पेनल्टी के हिसाब से इन पर रिकवरी निकाली गयी है और उसी हिसाब से यह वसूली की जा रही है क्योंकि म्युनिसिपल ने इसकी इजाजत दे दी जो कि उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : यह नगरपालिका कब बनी ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उत्तर दिया जा चुका है।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू रिकार्ड में जो इन्द्राज है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह मकानात करीब 50–60 साल पहले के बने हुए हैं जब कि मंत्री महोदय ने इनको 5 साल पुराने बताया है। यह तथ्य सही नहीं है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जांच करावे और इस मामले को सुलझावे।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है, अकाउन्टेन्ट जनरल के आडिट पैरा के अन्तर्गत और उसकी अनुपालना में यह कार्यवाही की गयी है और उसके अन्दर यह 18 लाख 34 हजार की डिमान्ड निकाली गयी है। यह सही है कि मकान एग्रीकल्चर लैण्ड पर बने हुए हैं और यह भी सही है कि इन मकानों को बनाने की इजाजत नगरपालिका टोडाभीम ने दी है जिसको देने के लिये यह नगरपालिका सक्षम नहीं थी। चुंकि नगरपालिका ने परमिशन दी इसलिए अकाउन्टेन्ट जनरल से यह आडिट आब्जेक्शन किया और अब तक जो कार्यवाही की गयी है वह आबादी भूमि पर जिस तरह पेनल्टी लगाकर वसूली

(श्री परस राम मदेरणा)

होती है उन नियमों के अन्तर्गत हुई है। यह जांच का विषय है कि नगरपालिका ने अपनी जमीन नहीं होते हुए कैसे मकान बनाने की इजाजत दे दी। चूंकि नगरपालिका ने परमिशन दी है इसलिए आडिट पैरा के अनुसार अर्बन एरियाज के कनवर्शन के जो रूल है उसके अनुसार यह रिकवरी डिमाण्ड की गयी है। रूरल एरियाज के जो रूल्स बने हैं उनके अन्तर्गत यह कार्यवाही नहीं हुई है क्योंकि नगरपालिका ने अनधिकृत रूप से स्वीकृति दे दी। इसलिए मैंने यह आदेश दे दिया है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कलेक्टर और तहसीलदार से इसकी जांच करवायें क्योंकि 18 लाख की बहुत बड़ी धनराशि होती है और जो लोग हैं वे गरीब हैं इन लोगों के साथ नियमों की अनभिज्ञता के कारण गैर इन्साफी नहीं होनी चाहिये, यह मैं आश्वासन दे सकता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अपना जो बीस सूत्री प्रोग्राम है उसमें एक इम्पार्टेन्ट सूत्र यह भी है कि ऐसी जमीन का समाजीकरण किया जा सकता है। अगर वह अर्बनाइजेबल करेक्टर की ही तो उसके लिए तुरंत कदम उठाये जा सकते हैं। यह उसी किस्म की जमीन है या नहीं? अगर उस किस्म की जमीन है तो पेनल्टी इम्पोज करने की क्या जरूरत है?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक लैण्ड के अर्बनाइजेबल करेक्टर की बात आप कह रहे हैं आप उस एक्ट की बात कर रहे हैं जो अभी भारत सरकार ने इश्यू किया है

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बीस सूत्री प्रोग्राम के राइट की बात कर रहा हूं जो कि एक है प्रोग्राम का।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने स्पष्ट पढ़ा है। इसमें एक लाख से ऊपर और 5 लाख की आबादी के जो शहर हैं उनको लिया गया है। राजस्थान के कुल चार शहर इसके अन्तर्गत आये हैं। दो शहरों उदयपुर और अलवर को नहीं लिया गया है। इसको हमने भी अपने यहां पर अपना लिया है 9 मार्च से। अब उसकी जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आता है। टोडाभीम की नगरपालिका अभी बनी है और वहां की आबादी करीब 11 हजार के आस पास है। इसलिए जहां तक इस कस्बे का सवाल है। यह नया कानून इस पर नहीं लागू होता है जो कि ग्राम पंचायत से अभी म्युनिसिपैलिटी बनी है। इसको अर्बन पैरीफेरल एरिया में आप लेना चाहते है, यह संभव नहीं हो सकेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा यह सवाल नहीं है जो कि आपने कहा है एक्ट का, मेरे सवाल में तो मैं 20 पाइन्ट प्रोग्राम का हवाला दे रहा हूं। उसमें इस किस्म की बात नहीं है। ऐसी जगहों में जो शहरों में आबाद हैं, और जो बड़े बड़े टाउन्स हैं उनमें इस तरह से जो लोग आये हैं उनको बसाया जायगा और जंगलात की जमीन या खेती की जमीन, जो जयपुर शहर के अन्दर हैं, को लेना होगा। मैं 20-पाइन्ट प्रोग्राम का हवाला दे रहा हूं। एक्ट तो मैंने पढ़ लिया है और जो आप कन्टेन्शन ले रहे हैं वह उस पर लागू नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : 20 पाइन्ट प्रोग्राम रूरल एरिया के लिए था.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नहीं, नहीं ...

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये ....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सोशियलाइजेशन का है।

श्री परसराम मदेरणा : रूरल एरिया में सभी को प्लाट्स दे दिये हैं उसमें 150 स्क्वायर यार्ड का एरिया है। इन लोगों के पास में जो है वह एग्रीकलचर लैण्ड पर बैठे हुए हैं वह 500 से 1300 स्क्वायर यार्ड तक का है। यह छोटे लोग, जिनको हम कमजोर वर्ग का मानते हैं जिनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करने जा रहे हैं, वह उस केटेगरी में नहीं आते हैं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह कि अर्बन एरिया में है कि नहीं म्युनिसिपल बाउन्ड्री में जमीन नहीं है, खेत की जमीन है, सिवाय चक खातेदारी हो, कुछ गैर खातेदारी भी हो सकती है। इनका प्रश्न यह है कि पहले मकान बनाने की इजाजत दे दी, वह अलग प्रश्न है। उसको दूर करके रेगुलेराइजेशन से कवर हो सकती है इसलिए मैंने बताया है कि आडिट का एतराज कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूरल एरिया में स्पेसिफिक रूरल एरिया के रूल्स लागू होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि कलेक्टर और तहसीलदार को बुलाकर सेक्रेटरी को आदेश दिये हैं स्क्रूटिनाइज करके मेरे सामने पेश करें ताकि उन लोगों के साथ न्याय करें।

एक माननीय सदस्य : आबादी का....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दे दिया। अब केस खराब कर रहे हैं।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : रींगस म्युनिसिपिलिटी अभी बनी है उसके पहले से वहां पर मकानात बन गये तो पहले तो कार्यवाही नहीं की और अब म्युनिसिपल वाले कार्यवाही करना चाहते हैं तो जो 50 साल पहले मकान बने हुए हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही होगी? रूरल होगी या अर्बन?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 87

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

तारानगर में "सिस्यूटाडा" नामक मनोरंजन स्थल पर नाजायज कब्जा

88. **श्री रावतराम** (तिजारा) [श्री रामानन्द अग्रवाल] (अलवर) की अनुपस्थिति में : स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की तारानगर नगरपालिका के वार्ड नं. 9 में सिस्यूटाडा नाम का एक सार्वजनिक स्थान है?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह स्थल सैंकड़ों वर्षों से स्थानीय जनता द्वारा होली गीन्दड़ गैर आदि खेलने, खेल तमाशे, मीटिंग, जलसे आदि करने और हर प्रकार के मनोरंजन स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है?

(श्री रावतराम)

(3) क्या यह भी सही है कि इस स्थल के उत्तरी भाग पर श्री रामचन्द्र नाम के व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त नाजायज कब्जा हटाने का नोटिस उक्त श्री रामचन्द्र को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नाजायज कब्जा अब तक नहीं मिटाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री रामचन्द्र इस नाजायज कब्जा शुदा भूमि का नगरपालिका से पट्टा बनवाने की कार्यवाही कर रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार उक्त नाजायज कब्जा अविलम्ब हटवाने का आदेश संबधित नगरपालिका को दे रही है ? यदि हां, तो कब तक यह नाजायज कब्जा हटा दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) यह सही है कि यह स्थान स्थानीय जनता द्वारा सार्वजनिक रूप में उपयोग में लाया जाता है।

(3) इस टाडे में श्री रामचन्द्र ने 83–26 वर्ग मीटर जमीन पर पक्की चहारदीवारी का निर्माण कर रखा है। इस जमीन के लिए श्री पालूराम जाट ने अपने मकान के आगे 83–26 वर्ग मीटर खरीदने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5–1–76 को नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस पर दिनांक 7–11–70 को डिप्टी टाउन प्लानर, बीकानेर ने भूमि विक्रय करने की अनुमति दी और जिलाधीश चूरू ने भी दि. 13-10-71 को इस जमीन को विक्रय करने की स्वीकृति दी, लेकिन प्रार्थी द्वारा कीमत जमा न करने पर उक्त भू भाग का पट्टा नहीं दिया गया।

(4) नगरपालिका ने भूमि को खाली कराने के लिए दिनांक 28–2–75 एवम् 18–1–75 को नोटिस जारी किये लेकिन इस भू भाग पर पक्की तामीरशुदा चहारदीवारी का निर्माण होने के कारण खाली नहीं करवाई जा सकी।

(5) इसका उत्तर भाग 3 में दिया जा चुका है।

(6) नाजायज कब्जे को हटाने की कार्यवाही शीघ्र ही नियमानुसार की जायगी।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 20 पाइंट प्रोग्राम के अन्तर्गत दूसरे स्थानों पर लाखों रुपयों की बिल्डिंगें तुड़वा दीं तो क्या कारण है कि इस व्यक्ति की निरी चहारदीवारी अभी तक नहीं तुड़वाई गई और सार्वजनिक स्थान को खाली नहीं कराया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही और आदेश दिये जायेंगे और सख्ती से कार्यवाही की जायगी और खाली करवाया जायगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कार्यवाही शुरू की वह;

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
बैठक में सवाल आने के बाद कार्यवाही करने का फैसला किया या उसके पहले वहां के अधिकारियों ने कुछ फैसला ले लिया था। यह आपके एक्ट के अन्दर प्रोविजन मौजूद है कि अगर अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कराया गया हो तो बिना नोटिस दिये या 3 दिन का नोटिस देकर उसको डिमालिश कराया जा सकता है, तो इसको सामने रखते हुए वहां के अधिकारियों ने कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री रामनारायण चौधरी : वहां के अधिकारियों ने कार्यवाही की है। पहले एक व्यक्ति ने खरीदने की इजाजत मांगी और गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी। उस व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं करवाया तो नगरपालिका ने खाली करवाने की कार्यवाही की और 18-1-75 को नोटिस दिया है और 28-2-75 को नोटिस दिया है और कार्यवाही चालू है। उस जमीन को खाली करवाने के लिए मैं समझता हूं अधिकारी काफी सतर्क हैं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय मंत्री महोदय, क्या उस जमीन पर चहार दीवार बनाने के बाद खरीदने की इजाजत मांगी या पहले मांगी थी ?

श्री रामनारायण चौधरी : खरीदने की इजाजत दूसरे व्यक्ति ने मांगी थी।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : जिस आदमी ने चहारदीवारी बनाई है वह गलत बनाई है तो उसको चहार दीवारी का क्या अधिकार है··

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रौत।

श्री मोहर सिंह : मंत्री महोदय इस बात को मानते हैं कि यह बीच का ऐसा स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान है सारे कस्बे के लिए, तो उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया उसके बाद में उसको कीमत भरने के लिए कहना यह कहां तक उचित है ? एक बात।

नम्बर 2 यह है कि जब कई महत्वपूर्ण स्थानों को खाली कराकर उन पर पाये गये मकानों को हटाया गया तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर से नाजायज कब्जा हटाने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : कब्जा चौक के बीच का है नहीं। वह एक तरफ उत्तर का हिस्सा है जो कि एक तिकोना है निकला हुआ तो बीच में नहीं आता है। नगरपालिका यह मानती है कि नाजायज कब्जा हटाया जाना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूं कि नाजायज कब्जा हटाने की तुरन्त कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रौत। Next question.

श्री विजयसिंह : इस 20-सूत्री कार्यक्रम में यह है क्या ?

श्री अध्यक्ष : Next.

अमरपुरा तालाब (डूंगरपुर) पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

89. श्री रामचन्द्र रौत (चौरासी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1973-74-75 में डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य किन-किन विभागों द्वारा कराये गये ?

(16)

(श्री रामचन्द्र रोत)

(2) प्रत्येक विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की सूची एवं उस पर व्यय की गई राशि की सूची वर्षवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अमरपुरा तालाब का निर्माण कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग ने करवाया था? यदि हां, तो उस तालाब पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

(4) अमरपुरा तालाब पर अकाल राहत के अन्तर्गत कुल कितने मजदूरों ने काम किया एवं उन्हें नियमानुसार कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(5) क्या यह सही है कि इस तालाब पर काम करने वाले मजदूरों को अभी तक भुगतान करना शेष है?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) वर्ष 1973, 1974 एवं 1975 में डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग एवं वन विभाग द्वारा कराये गये।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, कुल व्यय 1.04 लाख रुपया हुआ था।

(4) अमरपुरा तालाब पर अकाल राहत के अन्तर्गत औसतन 200 श्रमिकों ने प्रतिदिन कार्य किया। उन्हें नियमानुसार 1.04 लाख रुपया दिया गया।

(5) सिर्फ 1830) रु. का चुकारा शेष है जिसके चुकारे की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामचन्द्र रोत : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले के अन्दर निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और भू-संरक्षण विभाग के द्वारा जो अकाल राहत के कुछ कार्य कराये गये-करकरडा, भोम, अमरपुरा तालाब पर तो उस वक्त आदिवासियों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया तो अब तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ और नहीं होने के क्या कारण है? क्या पुलिस में उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है या किसी डिपार्टमेंट की शिकायत है जो उस समय काम कर रहे थे अधिकारी उनकी, ? किस वजह से नहीं हो रहा है पेमेन्ट?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, अमरपुरा तालाब का जहां तक प्रश्न है जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 1830) रु. की राशि का भुगतान करना शेष है। इसमें 1104 रुपये उस मस्टर रोल के संबंध में है जिसकी शिकायत है कि गलत मस्टर रोल है और उसमें नाम गलत दर्ज किये जा रहे हैं। इसकी जांच जिलाधीश, डूंगरपुर कर रहे हैं। उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र रोत : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब तक

(श्री रामचन्द्र रोत)
आ जायेगी और कितने साल हो गये हैं उसको ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो आपको मालूम है कि यह कार्य सितम्बर 75 तक करवाया गया है और अभी इसी वर्ष का यह कार्य है। जिलाधीश को शिकायत प्राप्त हुई थी अक्टूबर में तो उस मस्टर रोल का पेमेंट नहीं करने के आदेश दिये हैं। यह जांच कर रहे हैं। मैं जिलाधीश को आज ही आदेश दे रहा हूं कि जांच एक महीने में पूरी करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दें, तदनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र रोत : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बूंटा, गढ़तसिया मंजो भू-संरक्षण का कार्य चला तो उसके बारे में शिकायत हुई है कि मस्टर रोल गलत है तो क्या उसके बारे में उन अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? भू-संरक्षण अधिकारी ने उसका निरीक्षण किया था तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह अलग से प्रश्न है, लेकिन भू-संरक्षण विभाग की शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी जांच चल रही है, उस काम के दौरान जो भी अधिकारी दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री महेन्द्रकुमार : एक सप्लीमेण्टरी मेरा है। यहां के तालाब पर अकाल राहत कार्य हुआ था। वहां के मजदूरों को पेमेण्ट कम किया गया। क्या आपके पास उसकी शिकायत आई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या 90

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 91

श्री लूणाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 92

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 93

श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमृतलाल।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर का गठन

94. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर के विकास का कार्य सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर करती थी ?

Page No.18

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(2) क्या यह सत्य है कि सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर विकास का कार्य डवलपमेन्ट डिपार्टमेंट, जोधपुर करता था ?

(3) यदि हां, तो डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, जोधपुर, सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी, जोधपुर एवं अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट, जोधपुर का गठन कब से हुआ।

(4) क्या यह सत्य है कि अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट, जोधपुर के गठन के पूर्व डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, जोधपुर एवं सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर की सरप्लस इन्कम की राशि रु. 9,78,258 रु. राजस्थान राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फण्ड में वर्षों से जमा पड़ी है जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर को कभी की मिल जानी चाहिये थी ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राशि के देने के संबंध में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर के चेयरमैन ने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 1147 दिनांक 30–1–70, 10212 दिनांक 6–9–72, 2134 दिनांक 2–7–75 एवं अनेक स्मरण पत्रों द्वारा शासन सचिव, नगर आयोजना विभाग को निवेदन किया परन्तु राज्य सरकार अब तक पूर्णतया निष्क्रिय बैठी रही ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों एवं उनके उत्तरों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) उपरोक्त राशि को राज्य सरकार द्वारा वर्षों से अपने पास रोकने के कारण जोधपुर नगर के विकास को अत्यन्त बाधा पहुंची है अतएव यह राशि मय ब्याज के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर को कब तक वापिस दे दी जायेगी ?

मंत्री, नगर आयोजना (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी की गई। अभी जानकारी आई नहीं है। इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 95

श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 96

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ओंकारलाल चौहान।

बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा भू-खंडों का आवंटन

97. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजि. 2611 एल. के आपत्ति-पत्र सार्वजनिक सूचना दिनांक 15 मई, 1972 द्वारा आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो इसमें जिलाधीश के सर्वे नम्बर वाले कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) क्या यह भी सत्य है कि 15 मई, 1973 के पश्चात् इस समिति ने एक्स्टेन्शन योजना में प्रतिक्रमण करवा दिया है? यदि हां, तो उसको हटाने में नगर विकास न्यास द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्रावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस समिति में बाहर के व्यक्ति भी भू-खण्ड आवंटन में शामिल हैं? यदि हां, तो बस्ती के निवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जायेगी?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी जानकारी नहीं आई है। इसको भी स्थगित किये जाने की प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ दुखद स्थिति यह है कि जिनकी जानकारी मेरे पास नहीं आई है वह माननीय सदस्यों के पास चले गये हैं।

श्री रामगोपाल : पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 98

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 99

श्री नत्थासिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महेन्द्र कुमार।

डूंगरपुर वन मण्डल के वनपाल के विरुद्ध शिकायतें

100 श्री महेन्द्रसिंह (पाड़वा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि वन मण्डल डूंगरपुर में वन रक्षकों की पदोन्नति की गई? यदि हां, तो किन किन की किस किस पद पर?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अल्प अवधि में वन रक्षकों को सहायक वनपाल व सहायक वनपाल से वनपाल पदों पर पदोन्नत किये गये? यदि हां, तो क्या उक्त मण्डल में वरिष्ठ सहायक वनपाल नहीं थे? यदि थे तो उन्हें पदोन्नति से वंचित क्यों रखा गया?

(3) क्या वन मण्डल डूंगरपुर में निर्माणाधीन वन परकोटों पर कार्यरत मजदूरों को 5 रु. प्रति दिन भुगतान न करने की मंशा से आधे दिन की अनुपस्थिति की जाती है? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने की इच्छा रखती है?

(4) क्या यह भी सत्य है कि वन मण्डल डूंगरपुर के अधीन कार्यरत वनपाल रंगेला द्वारा परकोटा इधर उधर करने के लिए जनता से 3800 रु. रिश्वत ली गई? यदि हां, तो उक्त वनपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सत्य है कि डोला रेंज में में भूतपूर्व स्थानान्तरित वनपाल द्वारा नव-नियुक्त वनपाल को चार्ज में ढाई लाख डाडे (बल्ले) दिये थे? यदि हां, तो वे कहां गये तथा इस पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(श्री महेन्द्रसिंह)

(6) क्या स्थानान्तरित उसी वनपाल को बजाय दण्डित करने के पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो पदोन्नत करने के क्या कारण थे ?

राज्य मंत्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा): (1) जी हां, सूची संलग्न है ?

(2) जी हां, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर अस्थायी रूप से पदोन्नति दी गई।

(3) जी नहीं, मजदूरों द्वारा पूरे दिन कार्य करने पर पूरी हाजरी एवं पूरा भुगतान किया जाता है।

(4) जी नहीं, रिश्वत सम्बन्धी शिकायत दि. 12–1–76 को प्राप्त होने पर मण्डल वन अधिकारी द्वारा जांच की गई एवं शिकायत निराधार पाई गई।

(5) डूंगरपुर जिले में कोई डोला रेंज नहीं है और न ही ढाई लाख डांडों के चार्ज में लेन-देन सम्बन्धी जानकारी विभाग को है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें)

श्री रामचन्द्र रोत : क्या यह सही है कि वन विभाग के जो आदमी हैं वह 10 साल से सर्विस कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया गया है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा भी है। अब भी कभी वन विभाग के अधिकारियों की शिकायत आती है तो हमेशा यह जवाब आता है कि मण्डल अधिकारी से जांच कराई गई। कोई शिकायत नहीं पाई गई। मंत्री महोदय ने एक बार यह आश्वासन दिया था कि जो भी जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत होगी, उसकी जन प्रतिनिधियों द्वारा जांच कराई जाएगी। सर्विसेज का यह कायदा है कि वह एक दूसरे की शिकायत को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस प्रकार का आश्वासन मैंने उस सत्र में दिया था कि फारेस्ट की कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से इण्डिपेण्डेण्ट अथोरिटी से कराई जायेगी।

एक माननीय सदस्य : आपने जब कहा है····

श्री परसराम मदेरणा : सुनिए, सुनिए। अभी-अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक शिकायत की। उनकी जांच रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैंने उसको वापिस भेज दिया है। इण्डिपेण्डेन्ट अथोरिटी से उसकी जांच कराई जायेगी। उसमें माननीय सदस्य का भी सहयोग लिया जायेगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो, जिसकी इण्टेग्रिटी सन्दिग्ध हो तो इण्डिपेंडेण्ट अथोरिटी से जांच कराई जाएगी। अगर कोई शिकायत करे और उसे विश्वास नहीं हो तो निश्चित तौर से उस अथोरिटी को बदल दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

प्रदेश में गृहनिर्माण सहकारी समितियों को ऋण

101. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किस-किस जिले में कितना कितना ऋण गृह निर्माण सहकारी समितियों को स्वीकृत किया गया है ? सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों में ऋण स्वीकृत करने में असमानता रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) विभिन्न जिलों के लिए स्वीकृत की गई ऋण राशि भिन्न भिन्न है। इसका कारण यह रहा है कि जिन जिलों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन समय पर अधिक हो गया और उनके ऋण आवेदन-पत्र बनकर प्रत्येक दशा में पूर्ण होकर ठीक समय पर आ गये, उन्हें ऋण स्वीकृत हो गया। जिलेवार ऋण वितरण का कार्यक्रम नहीं था। जिस गृह निर्माण सहकारी समिति का आवेदन-पत्र तैयार हो कर पहले पहुँच गया उसे ऋण स्वीकृत होने में प्राथमिकता मिल गई इस कारण कुछ जिलों में अधिक गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत हुआ है तथा कुछ को कम।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने यह जवाब सन्तुष्ट करने के लिए दे दिया है ? ऋण देने में रिकार्ड कायम किया गया है। वहां ही सबसे पहले हुआ है। आप स्वयं भी पीछे रह गये हैं जिनके पीछे सहकारी विभाग है। तर्क यह किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसकी सफाई के लिए कागजात मौजूद हैं। सीकर जिले को ही दिया गया है। जयपुर, बीकानेर, कोटा यह भी पीछे रह गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सहकारिता मन्त्री को विशेष ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि सूची प्रस्तुत की गई है, जो कुछ फिगर्स दिये गये हैं उसके आधार पर अभी माननीय सदस्य ने बतलाया है कि सीकर जिले को क्या राशि दी गई है। यह भी जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का कार्यक्रम था यद्यपि यह 4 लाख की राशि स्वीकृत हुई। लेकिन मुझे 7 हजार रुपये ही दिए गये। इस प्रकार से इम्बैलेंस क्रियेट किया जा रहा है। इसके बारे में मन्त्री महोदय क्या निर्णय लेने को तैयार हैं ? किस प्रकार से सन्तुष्ट कर सकते हैं ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, केवल सीकर जिले को दिया जाये। ऐसी सहकारी समितियां हैं, जो तीन चार महीने पहले बनीं, उनको लोन दे दिया गया है। ऐसी कई गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, पिलानी गृह निर्माण समिति, माधोराजपुर, चाकसू, शिवदासपुरा, गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिन को पास हुए 6 महीने हो गये हैं। अधिकारियों को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब कि उन्हीं के साथ पास

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

हुआ उन समितियों को ऋण दे दिया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी वहां भी रहते हैं। गृह निर्माण समिति बन कर तैयार है कहीं से उधार रुपया लेकर उन्होंने जमा कराया है। क्या राज्य सरकार तुरन्त निर्णय लेकर मार्च मास में ही आने वाले बजट में से ऋण दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन है। केकड़ी के पास जो गांव है, उसमें एक गृह निर्माण सहकारी समिति बनाई गई है। 8 महीने से उसकी सारी कार्यवाही पूरी करली गई है। आज तक उनको भी ऋण नहीं दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं भी सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन अर्ज करूंगा। क्या यह गृह निर्माण सहकारी समितियों को दिया जाने वाला ऋण सीकर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिये ही था या पूरे राजस्थान के लिये? इस प्रकार रीजनल दृष्टिकोण अपनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, जिन्होंने शेयर मनी जमा कराया है, कई बार जयपुर की यात्रा की है, लोग निराश होकर लौटते हैं। उसके बारे में किसी प्रकार के सुधार की बात आयन्दा के लिए क्या सोचते हैं? उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते हैं? अगर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो परेशान तो नहीं करें। दूर-दूर से पैसे के लिए आयें और निराश होकर लौटे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे भी प्रश्न पूछना है, जगह का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगी कि एक समिति ऐसी भी है जहां पहली किश्त के रूप में साढ़े बारह हजार रुपयों का ऋण दिया जा चुका है और उसका दुरुपयोग हुआ है, वह ऋण किसी के काम नहीं आया है, इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं और हमारी सरकार क्या सोचती है? सांच को आंच नहीं, सूरज को दीपक दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी फाइल तो वहां की कोआपरेटिव बैंक में आ चुकी है उसका आप मुलाहिजा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो शिकायत थी उसी सिलसिले में मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि 12-3-75 को स्वीकृत शुदा लोन की एक भी किश्त अभी तक नहीं दी गई है, उस समिति का नाम है गृह निर्माण सहकारी समिति, झुन्झुनूं।

श्री ओंकारलाल चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने यह वक्तव्य दिया है कि जिन सोसायटीज को एक किश्त मिल चुकी है उन्हीं को दूसरी किश्त दी जायगी। क्या माननीय मन्त्री महोदय के यह ध्यान में है कि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनको एक भी किश्त नहीं मिली है और उनके सदस्यों ने बहुत मेहनत करके काफी पैसा जमा किया है। जिन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रखकर पैसा जमा कराया उनको आज तक कोई कर्जा नहीं मिला। क्या सरकार उनका पैसा उनको वापिस दिलाने का विचार रखती है?

श्री झाबरमल सुण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतर समितियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग कम होने से सारा कर्जा दूसरे लोगों को मिल जाता है। इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग उसमें 80 प्रतिशत होने चाहिए और 3/4 डाइरेक्टर भी उन्हीं के होने चाहिए।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां पूछिये, आप भी पूछिये।

श्री दीपंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा जो इस प्रकार की समितियां रजिस्टर्ड थीं उनका उन्होंने कोई सम्मेलन बुलाया और एक साथ लाख रुपये या किसी तादाद में रकम सोसाइटियों को दिलवाई ? अगर हां, तो उससे कितने जिलों में उसका लाभ हुआ, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी का क्षेत्र पूरा राजस्थान है. न तो उसका कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम है और न अलोकेशन ही है। पहले तो करीब करीब यह देखा जाता था कि प्रत्येक जिले में बैलेन्स के हिसाब से समान वितरण होना चाहिए। लेकिन यहां पर 11 सहकारी समितियों को लोन मन्जूर हुआ है, कुछ जिलों के अन्दर गृह निर्माण सहकारी समितियों का ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ और उनकी लोन एप्लीकेशन्स इन आल रेस्पेक्ट्स कम्पलीट होकर आ गई और यह प्रश्न पैदा हुआ कि एप्लीकेशन्स पूरी तरह से तैयार करके हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी में पास कर दी गई। लेकिन जब ज्यादा लोन सबको नहीं दे सके तो नरोरा प्रोग्राम के तहत रावत-भाटा में जो राजस्थान का शिविर लगा था उसमें भी यह प्रश्न पैदा हुआ था, वहां पर मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि 31 मार्च तक जितनी भी सोसायटी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उनके लोन के आवेदन-पत्र हर दशा में बिना पूर्णतया तैयार होकर हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी के पास आ जायेंगे उनको ऋण उपलब्ध करा दिया जायगा। तो उसके अनुसार कार्यवाही की जानी थी, ऐसी दशा में अधिक प्रतिस्पर्धा हुई और काफी संख्या में एप्लीकेशन्स आ गई। वहां पर सोशल वर्कर्स ने इन्ट्रेस्ट नहीं लिया और उन सोसाइटियों की एप्लीकेशन्स नहीं पहुंची, ऐसी सूरत में कहीं ज्यादा और कहीं पर लोन कम स्वीकृत हो सका। माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्रजी ने कहा कि बाड़मेर के अन्दर बहुत कम हुआ है, लेकिन अब भी राजस्थान के अन्दर 205 गृह निर्माण सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनके आवेदन-पत्र विचारार्थ पड़े हुए हैं और उनको अभी तक लोन स्वीकृत नहीं हो पाया है। इन समितियों में जयपुर जिले की 60, सीकर की 30, बाड़मेर की 2, जैसलमेर, जालौर की एक भी नहीं, बांसवाड़ा की एक, भीलवाड़ा की चार, सिरोही की पांच, टोंक की 6, सवाई माधोपुर की 12, अजमेर की 2, इस प्रकार से पेन्डिंग है और राज्य सरकार इन पर जैसा भी निर्णय करेगी उसी प्रकार इन एप्लीकेशन्स को निपटाया जायगा। ऐसा नहीं है कि एक जिले में कम और दूसरे जिले में ज्यादा मन्जूरी दे दी, जब कभी भी निर्णय हो जायगा

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो बाकी जिलों को भी लोन स्वीकृत किया जायगा। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वहां के सोशल वर्कर्स इन्ट्रेस्ट नहीं लें तो इसमें तो क्या किया जा सकता है। अगर वे इन्ट्रेस्ट लें तो इसमें कोई सन्देह नहीं है वहां भी उसी प्रकार से विचार किया जायगा। हाउसिंग सोसायटी का भी इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है कि किसी जिले में ज्यादा और कहीं कम लोन मन्जूर किया जाय। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, एक माननीय सदस्य, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि कई हाउसिंग सोसायटीज को ऋण भी मन्जूर कर दिया गया लेकिन उनको एक भी किश्त अभी तक नहीं मिली है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का निर्णय इसलिए लेना पड़ा, प्लानिंग कमीशन के नये प्रोग्राम के अनुसार देहातों के अन्दर कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम को प्रायोरिटी नहीं देकर पहले शहरों में जो रूलस बढ़ते जा रहे हैं उनको पहले लिया जा सकता है। तो जितनी भी स्वीकृतियां थीं उनके बारे में हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी को यह निर्णय लेना पड़ा कि जो काम पहले सरकार ने हाथ में ले रखे हैं पहले उनको पूरा किया जाय और जहां पर एक भी किश्त नहीं दी गई वहां अभी नहीं देवें, क्योंकि और कहीं से भी एल. आई. सी. से भी लोन मिलने की संभावना नहीं थी। अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से शेयर केपिटल जुटाकर जमा कराया, उनको वापिस दिया जाय तो इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि अगर माननीय सदस्य किसी सोसायटी में दिलचस्पी रखते हैं और उनका शेयर केपिटल वापिस दिलवाना जरूरी समझते हैं और लोन नहीं लेना चाहते हैं तो उनकी हिस्सा पूंजी के 100 रु. वापिस देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और वह उचित भी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। स्वीकृत शुदा लोन है, माननीय मन्त्री महोदय ने फाइल रखली और आज तक एक भी किश्त नहीं दी गई है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : दोनों का जवाब नहीं आ पायेगा, इतना समय नहीं है, एक का तो आ जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने किसी भी हाउसिंग सोसायटी की फाइल न तो मंगवाई है और न अपने पास रखी है। अपने पास रखने का प्रश्न ही नहीं होता है और न इस सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई है जिसका माननीय सदस्या जिक्र कर रही हैं जिसको अभी तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। जब भी लोन स्वीकृत किये जाने का प्रश्न सामने आयेगा, इस समिति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से विचार किया जायगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्वीकृत होने के बाद भी एक किश्त नहीं मिली, बाकी कोई भी दूसरी सोसायटी ऐसी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत सी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 12-3-75 का मन्जूर शुदा लोन किसी भी सोसायटी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अलाभकारी जोतों पर भू-राजस्व कर

82. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलाभकारी जोतों की क्या सीमा राज्य सरकार ने तय कर रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अलाभकारी जोतों पर से भू-राजस्व कर न लेने का फैसला किया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(3) इसके अन्तर्गत आने वाली भूमि का जिलेवार क्या विवरण है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इसके फलस्वरूप होने वाली हानि को पूरा करने के लिये भू-राजस्व पर सरचार्ज लगाया गया था ?

(5) क्या यह सही है कि अलाभकारी जोतों पर छूट वापस ले ली गई है ? यदि हां, तो भू-राजस्व पर से सरचार्ज क्यों नहीं वापिस लिया गया ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने धारा 63(1) राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम के अधीन न्यूनतम कृषि भूमि की सीमा निर्धारित कर रखी है। इसे ही बोलचाल की भाषा में अलाभकारी जोत कहते हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1967 में।

(3) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। सरचार्ज का अलाभकारी जोत पर भू-राजस्व की छूट से कोई संबंध नहीं है।

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा भूमिहीन हरिजनों को भूमि का आवंटन

83. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, रायसिंहनगर ने 1972 के पश्चात् कई बार भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि आवंटन करने के लिये आवेदन-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो क्या उन परिवारों को भूमि का आवंटन कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में बसे हुये हरिजन परिवारों को अब वहां से हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और उन्हें अब कहां भूमि का आवंटन किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान नगरपालिका, मण्डल ने आवंटन को दोष पूर्ण मानते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) किसी भी हरिजन परिवार को सरकारी भूमि से नहीं हटाया जा रहा है, केवल 13 हरिजन परिवार जो कि गऊशाला खण्ड में अन्य व्यक्तियों के प्रलाट शुदा प्लाटों में दो तीन साल से नाजायज कब्जा किए हुए हैं उक्त 13 हरिजन परिवारों को शास्त्री कोलोनी में समाज के कमजोर वर्ग योजना के तहत 26-1-76 को पट्टे दिए जा चुके हैं।

रायसिंहनगर नगरपालिका की धान मण्डी में पक्की दुकानों का खांचा जमीन

85. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रायसिंहनगर नगरपालिका के धान बाजार में कुल कितनी पक्की दुकानें हैं ? दुकान के मालिकों के नाम, दुकानों की साइज तथा इसके सामने के पिंडों की साइज दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ दुकानों के साइड में पिछले वर्षों में खांचा जमीनें स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कब कब और किस किस दुकान की किस किस साइड में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त खांचा जमीनों (स्ट्रिप ऑफ लैण्ड) की स्वीकृति कब कब सरकार के किस-किस आदेश द्वारा प्राप्त की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त धान बाजार की पक्की दुकानों के अलावा गोल बाजार की पक्की दुकानों तथा नोहरा जात, (सिनेमा रोड) पर भी कोई खांचा भूमि प्रलाट की गई है ? यदि हां, तो कब कब और किस किस के नाम से, किस-किस आदेश के द्वारा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त खांचा जमीनों पर दुकानें तामीर कर ली गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार की किन-किन स्वीकृतियों के अनुसार ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त खांचा जमीन की स्वीकृति और उस अनधिकृत दुकानों की तामीर से जैसे दुकान नं. 20, 21 तथा 60, 61 और 41 वां नोहरा और गोल बाजार के साइड की सड़कें बहुत तंग हो गई हैं जिससे ट्रेफिक में भारी रुकावट आ गई है।

(7) उपरोक्त अनधिकृत निर्माण इमर्जेन्सी के दौरान क्यों नहीं हटाये गये ?

(स्थगित किया गया)

फार्मों पर काम करने वाले बन्दियों की सजा में छूट

87. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पहले पांच वर्ष की सजा उम्र कैद वाले बन्दी को काट लेने के पश्चात् फार्म पर भेज दिया जाता था ? यदि हां, तो अब इस अवधि को बढ़ा कर दस वर्ष किस आधार पर कर दिया गया है जब कि इस काम में अन्डर ट्राइल का समय भी नहीं जोड़ा जाता है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) दिसम्बर, 75 तक कौन कौन से बन्दी फार्मों पर से फरारी पांच वर्ष का का नियम बनने के बाद हुई है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के पड़ोसी प्रान्त पंजाब में उम्र कद वाले बन्दी को एक साल की सजा काट लेने पर एक माह पैरोल पर जाने का अधिकार बन जाता है जब कि राजस्थान में इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं ? यदि नियम हैं तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान के बन्दी फार्मों पर जो कैदी भेजे जाते हैं उन सभी बन्दियों को पहले आधी सजा की छूट मिलती थी–इस संबंध में राज्य सरकार ने अब कौन से नये नियम बनाये हैं ? और क्या सुविधा दी है सन 1973 से ? कृपया सदन की मेज पर नियमों की प्रतिलिपि रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान खुला कैदी शिविर नियम, 1973 के नियम 4 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के बन्दियों को खुला शिविर में भेजने के लिये रेमिशन सहित 10 वर्ष का दण्ड पूरा करना आवश्यक है। यह अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष की सजा के बन्दियों के लिये दण्ड का 3/4 तथा 10 से 15 वर्ष के लिये दण्ड का 1/2 अथवा 7–1/2 वर्ष है। ये नियम लागू होने से पूर्व इन शिविरों में परीक्षण के तौर पर असल 1/4 सजा पूरी करने पर ही बन्दियों को भेजा जाता था।

(2) सन् 1960 से 1971 की अवधि में इन खुले शिविरों से 10 बन्दी फरार हुए हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंजाब राज्य के नियमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। एक वर्ष की दण्डावधि पैरोल पर रिहाई के लिए अपर्याप्त है। राजस्थान कारागार अवकाश कालीन नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(4) जी हां। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग 3 के नियम 5(क) और 19 (क) में संशोधन करके खुले शिविरों में काम करने में एक दिन की विशेष छूट समाप्त कर दी गई है। संशोधित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची व आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

वन पैदावार की राजकीय व्यापार योजना

90. श्री मोहनराज (बाली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अधिकतर वन पैदावार को ठेके पर देने की प्रथा बन्द कर राजकीय व्यापार योजना के अन्तर्गत लिया है ? कृपया विस्तार बताने की कृपा करें कि किस किस जिन्स को कब कब राजकीय व्यापार प्रणाली में सम्मिलित किया गया और कौनसी जिन्स अभी भी ठेके पर दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस नवीन प्रणाली के फलस्वरूप राजकीय आय में

Page No.28

(28)

(श्री मोहनराज)
काफी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो जिम्सवार आय में हुई वृद्धि के आंकड़े सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार ने लकड़ी, कोयला, बांस, पत्ता तेंदू तथा कत्थे की वन पैदावार के ठेके देना बंद कर दिया है और राजकीय व्यापार प्रणाली के माध्यम से कार्य कराने हेतु निम्न आदेशों के अन्तर्गत ले लिया गया है :—

क्र.सं.	नाम उपज	केबिनेट आदेश सं.। दिनांक
1.	लकड़ी–कोयला	138।68 दिनांक 28–6–68
2.	कत्था	76।72 दिनांक 4–6–72
3.	बांस	76।72 दिनांक 4–6–72
4.	पत्ता तेंदू	राष्ट्रीयकृत दिनांक 10-12-73 अध्यादेश सं. 10 वर्ष 1973

विभाग द्वारा गोंद, शहद, मौम, आंवल, घास व अन्य छोटी पैदावार का ठेका दिया जाता है।

(2) जी हां, वित्तीय परिणाम संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायतों को मालगुजारी की राशि

91. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत मालगुजारी का 10 प्रतिशत पंचायतों को देने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो आज तक यह राशि न देने का क्या कारण है ? क्या अब यह दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाली तहसील के काश्तकारों से बकाया की वसूली

92. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के काश्तकारों से उनमें सभी तरह की सब बकाया एक साथ वसूल करने का अभियान राजस्व अधिकारियों द्वारा जनवरी व फरवरी सन् 76 में चलाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस अभियान के दरम्यान गांवों में अधिकतर छोटे, गरीब व पिछड़े वर्ग के काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादतियां हुईं और उनके बैल, गाय व खाने पीने की वस्तुओं तक को कुर्क किया गया व उनके साथ मारपीट तक की गई ?

Page No.29

(श्री शंकरलाल)

(3) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश के समक्ष इस सम्बन्ध में कई शिकायतें समय समय पर आईं ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पाली जिले के अधिकारियों को इस प्रकार वसूली करने के आदेश दिये गये थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कोई वसूली अभियान नहीं चलाया गया। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी, नियमानुसार दो किश्तों–एक पुरानी व एक चालू वर्ष–की वसूली की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। मारपीट की कोई शिकायत नहीं आई। वसूली स्थगित करने तथा मोहलत देने के लिये प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुए थे। राजस्व मंत्री को इस प्रकार की एक शिकायत अवश्य प्राप्त हुई जिसको बाद जांच के निराधार पाया गया।

(4) जी नहीं।

तेंदू पत्तों का ग्राम पंचायतों को मुआवजा

93. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्राम पंचायतों को दो साल से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और इससे विकास पंचायतों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और विकास कार्य रुके हुये हैं ?

(2) यदि हां, तो पंचायतों को दो साल मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा और किस औसत से दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मुआवजे की राशि के निर्धारण के सम्बन्ध में मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामले को शीघ्र ही तय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

अवैध कब्जों के सम्बन्ध में सिविल जेल का प्रावधान

95. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में तीन माह की कैद के प्रावधानों को व्यवहारिक बनाने के लिये राज्य सरकार अवैध कब्जा नियमन करने की तिथि सं. 2027 से अब सं. 2031 तक बढ़ा देने में क्या कठिनाई अनुभव करती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने अवैध कब्जों के संबंध में जो सिविल जेल का प्रावधान किया है, उस संबंध में ऐसे बन्दियों के लिये सिविल जेल का व्यय करने हेतु कोई बजट प्रावधान किया है ? यदि हां, तो किस किस जिले के लिए कितना कितना ?

उत्तर

(1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 अवैध कब्जों को नियमन करने की तिथि सरकार सं. 2027 से अब सं. 2031

Page No.30

(30)

(राजस्व मंत्री)

तक बढ़ाना उपयुक्त नहीं समझती है। अधिकतर अतिक्रमण के मामले निर्णीत हो चुके हैं। साथ ही अवधि बढ़ाने से लोगों को अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

(2) हां, राज्य सरकार ने अवैध कब्जों के सम्बन्ध में सिविल जेल का प्रावधान किया है। सिविल जेल के फलस्वरूप बन्दियों पर होने वाला व्यय जेल विभाग के सामान्य बजट प्रावधान से देय योग्य है। अतः अलग से बजट प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

तहसील सांचौर में नियमन के विचाराधीन मामले

96. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में सैंकड़ों नियमन के मामले लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत काफी समय से पैंडिंग पड़े हैं? अगर हां, तो कितने मामले कब से? उक्त मामलों को अब कब तक निपटा दिया जायेगा? निश्चित् अवधि बताने की कृपा करावें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत सैंकड़ों मामलों में हजारों रुपयों के जुर्माने काश्तकारों पर एक तरफा तहसील सांचोर में किये गये हैं? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जुर्माने की रकम ज्यादा होने से काश्तकारों से वसूली की जाना संभव नहीं है? अगर हां, तो ऐसे जुर्माने को माफ करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इन्हें अप्रेल माह के अन्त तक निपटा दिया जायेगा।

(2) एक तरफा कार्यवाही जिन मामलों में की गई वह नियमानुसार की गई थी। ऐसे समस्त मामलों में प्रभावित लोगों को अपील करने और रिव्यू हेतु आवेदन करने का प्रावधान कानून में है।

(3) इन लोगों को राहत देने के लिए निम्न प्रकार आदेश जिलाधीश ने दिये हैं:—

1. जो मामले नियमानुसार नियमन करने के दायरे में आते हैं उनमें वसूली रोकने के आदेश जिलाधीश ने मार्च के प्रथम सप्ताह में दे दिये हैं।

2. ऐसे मामले में, जिसमें अपील की मयाद निकल चुकी और प्रभावित कृषक ने अपील नहीं की, उन मामलों में भी जिलाधीश ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारीगण को यह आदेश दे दिये हैं कि ऐसे मामलों की सूची वे तैयार कर लें जिनमें पैनल्टी कायम करने अथवा वे दखल के आदेश उचित रूप से नहीं दिये गये थे जिससे इन मामलों का रेफरेन्स राजस्थान मण्डल को किया जा सके।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

Page No.31

(31)

बरकत कालोनी जयपुर में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

99. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पोलो विक्ट्री सिनेमा के समीप बरकत कालोनी के नाम से एक कालोनी का निर्माण किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इस कालोनी में आवास भूमि के आवंटन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना था और राज्य सरकार ने अपनी सूची में इसको दूसरा नम्बर दिया था?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री के. सी. पन्त द्वारा बरकत कालोनी के निवासियों की एक आवंटन सूची दी गई थी किन्तु उसके बाद आज तक इस कालोनी में कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया?

(4) राज्य सरकार इस कालोनी में पूर्ण आवंटन कब तक करवा देगी तथा इस कालोनी के अन्य विकास एवं आवश्यक कार्य कब तक शुरू करवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस कालोनी के गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से 60 व्यक्तियों को दिनांक 6–12–75 के आवंटन-पत्र दिये जा चुके हैं। शेष व्यक्तियों के दावे व आपत्तियां सुनने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है।

(3) जी हां? वातावरण सुधार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कच्ची बस्तियों में यह कालोनी अभी तक नहीं ली जा सकी है जिसके कारण इस कालोनी के लिए धनराशि प्राप्त न होने से विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके है। इस कालोनी को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की कार्यवाही जारी है।

(4) इस कालोनी में दावे व आपत्तियां सुनने का कार्य बाकी बचे लोगों को भू-खण्ड देने के सम्बन्ध में चल रहा है। इसका सर्वे भी करवाया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद कालोनी के उन निवासियों को, जो 21 अगस्त 1971 से पूर्व के रहने वाले पाये जावेंगे, भू-खण्डों के आवंटन की कार्यवाही करना संभव होगा। विकास कार्य धनराशि स्वीकृत होने के बाद ही करवाए जा सकेंगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों की सुधार योजना

21. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर की कौन कौन सी कच्ची बस्ती में इस वर्ष भारत सरकार की वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है?

Page No.32

(32)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली बस्तियों में सड़क, बिजली, पानी व शौचालय आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करादी जावेंगी।

(3) क्या यह सही है कि वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत अनेकों बस्तियों में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नक्शों की योजनाओं में परिवर्तन किया है और किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) आगामी वर्ष कौन कौन सी कच्ची बस्तियों को योजना में सम्मिलित किया गया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 6 परियोजनाओं में सम्मिलित कच्ची बस्तियों में सड़क बिजली व पानी की मूलभूत सुविधाएं अधिकांश में प्रदान की जा चुकी हैं तथा शेष में कार्य चालू है। संलग्न सूची में विस्तृत विवरण दर्शाया हुआ है।

(3) वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय केवल 6 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, पीने के पानी के पब्लिक स्टेन्ड पोस्ट, स्ट्रीट लाइट्स तथा नालियों के निर्माण पर किया जाना था। लेकिन यह अनुभव करते हुए कि ऐसा करने से सदा के लिए पक्की गंदी बस्तियां बन जावेंगी, नगर विकास न्यास द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कच्ची बस्तियों का विकास यथासंभव योजनाबद्ध तरीके से हो जिसमें निम्न सुविधाएं प्रदान की जावें:–1–पीने के पानी के पब्लिक स्टेन्ड पोस्ट 2–चौड़ी व सीधी सड़कें 3–स्ट्रीट लाइट्स 4–बराबर साइज के भू-खण्ड आवंटन 5–पार्क व दूसरी पब्लिक यूटिलिटीज 6–गंदे पानी के निकास हेतु नालियां 7–सहकारी समितियों का गठन 8–राजस्थान हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि. के माध्यम से भू-खण्ड स्वामियों को ऋण व पक्के सुन्दर व योजनाबद्ध भवनों का निर्माण-राज्य स्तर पर यह मामला विचाराधीन है।

(4) आगामी वर्ष की योजना अभी विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जयपुर शहर से हटाये गये अनधिकृत कब्जे

22. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) जयपुर शहर में कितनी थड़ी वालों को उनके स्थान से हटा दिया गया है ? इनमें से कितने नगर परिषद् को किराया देने वाले थे ?

(2) कितने पक्के मकान और दुकानें अनधिकृत मानकर तुड़वाये या हटाये गये हैं ?

(3) इन लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) क्या सरकार ने इनको होने वाली हानि का भी अनुमान लगाया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा 712 थड़ियां नगर में से हटाई गई थीं तथा निम्नलिखित स्थानों पर रखवाई गई थीं,

1. राजामल का तालाब 514
2. न्यू कोलोनी 188

इनमें से पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स 357 है 617 थड़ी होल्डर्स नगरपरिषद् के लाइसेंस फीस के रूप में किराया देते थे।

(2) नगर परिषद् द्वारा पक्की दुकान या मकान के रूप में 63 नाजायज कब्जे हटवाये गये थे।

(3) नाजायज कब्जे करने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लोकल थड़ी वालों के पुनर्वास के लिये नगर परिषद् की ओर से जनता मार्केट राजामल तालाब क्षेत्र में तथा हसनपुरा क्षेत्र में भूमि आवंटन लाटरी द्वारा कर दिया गया है तथा राजामल के तालाब की दुकानें बनाने का कार्य हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। पुरुषार्थी थड़ी होल्डर्स को पुनर्वास विभाग द्वारा अजमेरी गेट से नार्मल स्कूल तक गंदे नाले पर बाजार के रूप में बसाया जा रहा है।

(4) चूंकि नाजायज कब्जे वालों को ही हटाया गया था। अतः इनकी हानि का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

आवासीय भू-खण्ड वितरण हेतु गठित कमेटियां

23. श्री मोहर सिंह (सादुलपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) प्रत्येक जिले में नगरपालिका क्षेत्रों में हरिजनों व गरीब लोगों को आवासीय भू-खण्ड वितरण करने हेतु गठित की गई कमेटियों के सदस्यों की खुलासा नामावली सदन की मेज पर रखें ?

(ख) इन कमेटियों के गठन का क्या आधार रखा गया है ?

उत्तर

(क) राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की कोई कमेटी गठित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न 'क' के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

राजगढ नगरपालिका के प्लाट्स

24. श्री मोहर सिंह (सादुलपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ (जिला चूरू) की म्युनिसिपेलिटी को इस साल टैक्सेज से कितनी कितनी आय हुई है ? टैक्सवाइज हर माह की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन किन कामों पर इस साल उपरोक्त म्युनिसिपेलिटी द्वारा कितना कितना रुपया खर्च किया गया है ? कृपया कामवाइज माहवारी सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहर सिंह)

(2) राजगढ़ म्युनिसिपेलिटी के पास अभी कुल कितने प्लाट्स बेचने हेतु खाली पड़े हुए हैं ? इस साल कुल कितने प्लाट्स गरीबों को व अन्यों को बसने हेतु दिये गये हैं ? कृपया नाम मय वल्दियत वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी जमीन इस म्युनिसिपेलिटी के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल एरिया, कितनी कृषि उपज मण्डी, कितनी सैनिक कालोनी तथा कितनी कालेज हेतु काटी गई है ? कृपया पृथक पृथक का सूचि वर्गगजों में दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975–76 में टैक्सेज से 411892.90 पैसे की आय हुई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1975–76 में 3,73,074.74 पैसे का व्यय हुआ है जिसका विवरण संलग्न प्रपत्र नं. 2 में अंकित है। सार्वजनिक विकास कार्यो में (सड़क निर्माण पर) 9973.63 पैं. का व्यय हुआ है जो उपरोक्त व्यय में शामिल है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राजगढ़ म्यूनिसिपेल्टी जिला चूरू द्वारा 73 प्लाट्स समाज के कमजोर तबके के व्यक्तियों को दिये गये हैं तथा 218 प्लाट्स रिक्त हैं। भू-खण्ड आवण्टित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नगरपालिका राजगढ़ जिला चूरू द्वारा इण्डस्ट्रियल एरिया, कृषि उपज मण्डी तथा सैनिकों एवं कालेज इत्यादि को भूमि नहीं दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत दूधली (तहसील बस्सी) के सरपंच व सचिव के विरुद्ध शिकायतें

25. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दूधली तहसील बस्सी के ग्राम सचिव एवं सरपंच श्री महादेव द्वारा पंचायत की राशि में से 1800 रु. का गबन किया गया ?

(2) क्या उक्त सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध ग्रामवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-3-75 को पंचायत कलेक्टर जयपुर की सेवा में प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर जिलाधीश (पंचायत) जयपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त 1800 रु. की राशि की वसूली करना न्याय संगत है ? यदि हां, तो इस बाबत अब तक की प्रगति से अवगत करावें।

(4) क्या इस प्रकार का गबन जुर्म जेर दफा 409 आई.पी.सी. की परिभाषा में आता है ? यदि हां, तो उक्त सरपंच व सचिव के विरुद्ध यह कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

उत्तर

(1) ग्रामवासियों की शिकायत पर प्रारम्भिक जांच से 392)रु. का गबन सर-

(पंचायत मंत्री)

पंच तथा सचिव द्वारा किया जाना पाया गया है।

(2) ग्राम वासियों से एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-4-75 को प्रस्तुत किया गया था। मामले की प्रारम्भिक जांच करवाई जा चुकी है। सहायक जन अभियोजक ने कुछ और जानकारी चाही है वह प्राप्त की जा रही है।

(3) यह मामला 392) रु. की धन-राशि के गबन का है। इस मामले की जांच की जा रही है। जांच का परिणाम आने पर मामले में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। इसका उत्तर पैरा 2 में दिया जा चुका है।

पंचायत समिति सांगानेर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण

26. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पंचायत समिति सांगानेर के अन्दर कितनी राजकीय प्राथमिक शाला हैं और उनमें कितने अध्यापक कब कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का दो वर्ष पूर्व कब कब किनके आदेश से स्थानान्तरण किया? कृपया कारण बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजकीय प्राथमिक शाला बगरू कलां को पंचायत समिति से भवन निर्माण में सहायता दी गई है?, यदि हां, तो कब कब?

(4) क्या राजकीय प्राथमिक शाला बगरू का भवन निर्माण कार्य पंचायत समिति सांगानेर के अधीनस्थ हो रहा है? यदि हां, तो इसके भवन निर्माण में किस किस ने घोटाले किये तथा उनकी जांच कब तक कराई जावेगी? मय कारण के सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राजकीय प्राथमिक शाला बगरू में ऐसे कितने कितने अध्यापक हैं जिनका दो साल से अधिक हो जाने पर भी स्थानान्तरण नहीं किया गया और इनका अब कब तक स्थानान्तरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दो वर्ष से पूर्व किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(3) जी हां। पंचायत समिति से प्राथमिक शाला बगरू के भवन निर्माण हेतु निम्न प्रकार सहायता दी गई है:--

1000)	दिनांक	2-1-70
800)	,,	29-8-70
2000)	,,	5-8-72
2000)	,,	16-9-72
1800)	,,	9-1-73
200)	,,	7-3-73

(4) जी नहीं। भवन निर्माण के काय में घोटाले किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त

Page No.36

(पंचायत मंत्री)

होना नहीं पाया जाता है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्राथमिक शाला बगरू के सर्व श्री राम गोपाल शर्मा एवं नाथूसिंह राठौड़, ऐसे दो अध्यापक हैं जिनका दो साल से अधिक हो जाने पर स्थानान्तरण नहीं किया गया है। यह पंचायत समिति के अधिकार की बात है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

झालरापाटन स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर के कर्मचारियों का वेतन

27. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ के झालरापाटन शहर तथा झालावाड़ शहर में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित मन्दिरों में कौन 2 व्यक्ति किस किस पोस्ट पर कितने कितने वेतन पर लगे हुए हैं? कृपया अलग अलग सूची मय नाम मासिक वेतन दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि श्री द्वारकाधीश मन्दिर झालरापाटन के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है? यदि हां, तो क्यों है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। यह मंदिर आत्मनिर्भर श्रेणी का है जिसके कर्मचारियों का वेतन उस मंदिर की अपनी आय के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

करणपुर के उपजिलाधीश कार्यालय में हरिजनों की भूमि के मामले

28. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उप जिलाधीश, करणपुर के कार्यालय में पिछले दो वर्ष में हरिजनों की भूमि वापिस दिलाने के सम्बन्ध में कितने मामले पेश हुए, और उनमें से कितने हरिजनों को भूमि वापिस दिलाई गई? और कितने हरिजनों की भूमि पर सवर्णों को खातेदारी हक दिये गये हैं? 1 जनवरी, 1976 तक हरिजनों को उनकी भूमि वापिस न दिलाये जाने के कारण क्या हैं और क्या सरकार इन कारणों की जांच करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

उप जिलाधीश, करणपुर के कार्यालय में पिछले 2 वर्षों में हरिजनों की भूमि वापिस दिलाने के संबंध में कोई भी मामला पेश नहीं हुआ है। अतः किसी भी हरिजन को भूमि वापिस दिलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी हरिजन की भूमि पर सवर्णों को खातेदारी हक नहीं दिये गये हैं। अतः जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

Page No.37

(37)

श्री गंगानगर में भू-सिलिंग के विचाराधीन मामले

29. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) जिला श्री गंगानगर में भूमि की सीमा निर्धारित (सीलिंग) करने सम्बन्धी कितने मामले अलग अलग न्यायालयों आदि में विचाराधीन हैं? कितने मामले रिमोपन किये गये? कितने मामले ऐसे हैं जिनमें पुरानी तिथियों के इकरारनामे पेश किये जाकर भूमि का बेचान किया गया और वे किस किस के हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सरकार ऐसे मामलों में जिनमें पुरानी तिथियों के इकरारनामे दिखाये गये हैं, की जांच करवायेगी?

उत्तर

(क) गंगानगर जिले में निम्न प्रकार उप जिलाधीश, प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक जिलाधीशगण के न्यायालय में सीलिंग सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं:–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	विचाराधीन मामले
1	2	3
1.	उप जिलाधीश, गंगानगर	89
2.	सहायक जिलाधीश, गंगानगर	77
3.	उप जिलाधीश, करणपुर	86
4.	प्राधिकृत अधिकारी, करणपुर	70
5.	उप जिलाधीश, रायसिंहनगर	55
6.	प्राधिकृत अधिकारी प्रथम, रायसिंहनगर	128
7.	प्राधिकृत अधिकारी द्वितीय, रायसिंहनगर	132
8.	उप जिलाधीश, हनुमानगढ़	9
9	सहायक जिलाधीश, हनुमानगढ़	152
10.	प्राधिकृत अधिकारी, हनुमानगढ़ प्रथम	118

1	2	3
11.	प्राधिकृत अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वितीय	801
12.	प्राधिकृत अधिकारी, हनुमानगढ़ तृतीय	248
18.	प्राधिकृत अधिकारी, हनुमानगढ़ चतुर्थ	236
14.	उप जिलाधीश, नोहर	409
15.	प्राधिकृत अधिकारी, नोहर	525
	कुल योग–	3165

(ख) अभी तक गंगानगर जिले में केवल 4 मामले रिझोपन हुए है। शेष रीझोपन किये जाने वाले मामलों की छटनी की जा रही है। अतः ऐसे मामले जिनमें पुरानी तिथियों के इकरारनामे पेश किये जाकर भूमि का बेचान किया गया है उसकी सूचना उपरोक्त छटनी सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने पर ही देना संभव है

गंगानगर नहर परियोजना उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट

30. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गंगानगर नहर परियोजना उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट कब पेश हुई और उसमें मुख्य रूप से क्या सुझाव दिए गए और उन सुझावों के अन्तर्गत राज्य सरकार क्या क्या कार्यवाही कब तक करना चाहती है? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

गंगानगर उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 29-7-75 को पेश हुई। अभी यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पटवारियों की होम तहसील में नियुक्ति पर पाबन्दी

31. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों की होम तहसील में नियुक्ति पर पाबन्दी है?

(2) क्या यह सही है कि पटवारियों के होम तहसील से स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार को इस से क्या लाभ हुआ? यदि कोई लाभ नहीं हुआ तो क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। स्थानान्तरण जनहित में किए जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह नीति तय की गई। अतः लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता।

डूंगरगढ़–बीदासर सड़क पर लगे मजदूरों को पानी पिलाने का इंतजाम

32. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जब अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं तो उन पर लगे श्रमिकों को पानी पिलाने की राज्य सरकार द्वारा ही व्यवस्था की जाती है ?

(2) यदि हां, तो 1 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक के अर्से में श्री डूंगरगढ़-बीदासर सड़क पर दोनो सैक्शनों में कुल कितनी गैंग थीं और उनको पानी पिलाने का क्या इन्तजाम था तथा किन किन द्वारा किस किस गैंग को पानी पिलाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां,।

(2) 1 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक के अर्से में श्री डूंगरगढ़-बीदासर सड़क पर दोनो सैक्शनों पर कुल 271 गैंग थी और पानी पिलाने की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उंट टंकी लगाकर की जाती थी। जिन जिन द्वारा जिस जिस गैंग को पानी पिलाया गया उसकी सूचना संलग्न सूची अ एवं ब में है। 18 गैंगों के मस्टर रोल्स में ऊंट गाड़ियों का नाम दर्ज नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अध्यक्षीय घोषणा

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व में माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर लिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगा और उन्हे सदन में पृथक् से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायें वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु

(श्री अध्यक्ष)
वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित में उत्तर मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 3 घन्टे का समय दिया जायेगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिए समय विभाजन निम्न प्रकार होगा।

जनता मोर्चा	– 1 घंटा
साम्यवादी दल	– 0.30 मिनट
सी.पी.एम.	– 0.15 मिनट
निर्दलीय	– 0.5 से 10 मिनट प्रति वक्ता.

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम का छटा वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1974–75 के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम समिति 1975–76 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 1976–77 के पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1976–77 के लिये इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1976–77 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव समितियों के निर्वाचन के लिए रखे गये हैं उनको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 32 व 15 का उपस्थापन

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़ 60 लाख 65 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23 करोड़ 23 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 32 व 15 पर कटौती प्रस्ताव

श्री दीपंकर (लाडनूं)

1. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावासों के संधारण में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर की चैकिंग के नाम पर नाहक पैदा की जाने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़)–

3. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की गति और तेज करने पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गाड़ोलिया स्कूल की व्यवस्था सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

5. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में चलने वाले हरिजन विद्यार्थियों के होस्टल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छुआछूत दूर करने में समाज कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंहनगर में चलने वाले हरिजन विद्यार्थियों के होस्टल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में

Page No.42

(42)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर की होने वाली चोरी को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन करों की वसूली में हुई असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)
10. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषाहार केन्द्र सलाहकार समिति जो जिला स्तर पर है को सलाह हेतु विभाग द्वारा न बुलाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (खानसूर):
11. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होस्टल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों की सुविधायें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले होस्टलों के भवनों के निर्माण कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकतर हरिजन छात्रों को विभाग द्वारा वजीफा न दिये जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) श्री बनवारी लाल (धोलपुर)।
14. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षा-वृत्ति समाप्त करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्ध एवं निर्बलों को दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाथालयों की दयनीय दशा सुधारने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

17 मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार एवं बाल कल्याण योजनायें चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री श्री श्रीराम गोटेवाला, बनवारी लाल)

18. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बाल बाड़ी खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमंद महिलाओं को भैंस क्रय करने हेतु 2000/– रुपये का ऋण उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय उच्चाधिकारियों की अकर्मण्यता से राज्य कोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहनों के निरीक्षण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर वसूली करने वाले स्टाफ में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी):

23. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288– समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषाहार केन्द्र खोलने में होने वाले पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट बसों के रोड टैक्स की बकाया के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

26. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में छात्रों के समक्ष आने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिए)।

श्री करणसिंह (डीग):

27. मांगसंख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पिछड़े तथा कमजोर वर्गों को अधिक सुविधा देने हेतु चर्चा के लिए)।

(श्री करणसिंह)

28. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन करों में से कृषि ट्रेक्टरों व ट्रोली से कर वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा):

29. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में कस्बा छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में बिजली एवं जल लाइन की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन निर्माण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा से छबड़ा बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा-छीपाबड़ौद–अकलेरा मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

33. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों के सिर पर से मैला ढोने की कुप्रथा बन्द कराने पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति के नियंत्रण के लिये कानूनी कदम नहीं उठाया है और जो सामाजिक कदम उठाये हैं वे अपर्याप्त हैं, अतः असंतोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति की कन्या विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्राथमिक कक्षाओं की कन्या विद्यार्थियों को प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 50% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उनमें तीव्र असंतोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

37. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात निरीक्षकों द्वारा वाहनों का उचित चैकिंग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासकीय अकर्मण्यता के कारण बाड़मेर जिले में अत्यन्त पुराने मोडल की गाड़ियों को पास किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में सन् 1975–76 में पानी एवं बिजली की सुविधा दिलाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अनुदानित एवं तृतीय श्रेणी के छात्रावासों को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो मंहगाई को देखते हुए अनुदान दिया जाता है वह अपर्याप्त है जिसके कारण छात्रों को अच्छा भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिये मकान की व्यवस्था ठीक नहीं है, अतः उनमें तीव्र असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सर्विसेज में लेने के लिये रोस्टर सिस्टम की परिपालन कराने में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288—समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में छुआछूत की समाप्ति की ओर जो कदम उठाये जा रहे हैं वे अपर्याप्त हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में अनुसूचित जाति के छात्रावास की तीव्र आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत केन्द्रों तथा यात्री गाड़ियों की सुविधा प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

Page No.46

(46)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

46. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बाड़मेर से भाक बाया कपास, बाटाडू रूट को ऊडू तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैक्टर एवं ट्रोलियों पर से वाहन कर भी लगा रखा है उसकी वसूली में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

48. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजसमन्द में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजसमंद रेलमगरा के अनुसूचित जाति व जन जाति के मोहल्लों में नल बिछाने व गन्दे पानी के निकास हेतु नालियां बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार):

50. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपंग और वृद्धा औरतों को पेन्शन अनिवार्य रूप से दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

51. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रावासों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षा वृत्ति उन्मूलन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर वसूली की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

55. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज कल्याण सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को उचित वजीफा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री केसरी मल)

56. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें अधिक लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षुक गृहों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

58. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों की वजीफा अधिक दिलवाने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था पेन्शन देने में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपंग व अंधे लोगों को पेन्शन स्वीकार करने एवं देने की प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अत्यन्त गरीब व वन जाति के विद्यार्थियों के लिये और अधिक होस्टल्स खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व वन जाति के लिये चलाये जाने वाले होस्टलों में सहूलियतें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट गाड़ियों (बसों) के मालिकों द्वारा की जा रही वाहन कर की चोरियों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (वन):

64. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व वन जाति की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

65. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा वाहनों की दयनीय दशा को सुधारने में अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

66. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षावृत्ति रोकने पर सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री अजीतसिंह)।

67. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षुकों को पेन्शन दिलाने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारी गाड़ियां कमजोर सड़क व पुलियों पर से गुजरने पर विभाग द्वारा रोक न लगाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन):

69. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाबून्दी तहसील नेनवा में छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को छात्रावासों में असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन के ग्राम हिम्मोनिया नौताडा में हरिजनों को पीने के पानी के लिये कूपा नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में समाज कल्याण अधिकारी का स्थान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय पाटन जिला बून्दी के राजकीय छात्रावास में भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पंचायत समितियां क्षेत्र केशवराय पाटन में अनुसूचित जाति की बस्तियों, कापरेन, बड़ालेडा, अरनेड़ा मिया आदि में विद्युतिकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बकाया कर की वसूली की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा):

76. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं के सामाजिक उत्थान एवं कल्याण के लिये अधिक सुविधायें दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रतीराम यादव)

77. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों में सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों की राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति बन्द कर देने से उत्पन्न आर्थिक संकट पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

79. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में समाज कल्याण विभाग का पर्याप्त बजट प्रावधान करने में घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

8 . मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में समाज कल्याण विभाग की प्रवृतियों की प्रगति नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर जिला जालोर में शास्त्री सदन अनुसूचित जाति छात्रावास भवन की विशेष मरम्मत के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर अनुसूचित जाति छात्रावास शास्त्री सदन को सरकार द्वारा शीघ्र टेक ओवर कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति मोहल्लों में पाइप लाइन एवं विद्युत् लाइन का प्रसार करने के बारे में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में यात्री बसें ग्राम पंचायत केन्द्रों तक चलाने के बारे में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैकेनिकल निरीक्षकों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ट्रैक्टरों एवं यात्री बसों एवं अन्य वाहनों के वास्ते फिटनेस एवं रजिस्ट्रेशन की कठिनाईयों पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

87. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषण केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली) :

89. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों–विशेषकर बाली सेवाड़ी छात्रावासों की अव्यवस्था की चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृति बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई) :

91. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर व बयाना के अनुसूचित जाति व जन जाति के होस्टल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

92. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति व जन जाति की भांति सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली स्थित छात्रावास में अनुसूचित जाति की भर्ती संख्या में वृद्धि कराने हेतु चर्चा के लिये)

94. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली स्थित छात्रावास के निर्माण और उद्घाटन में हुए अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) :

95. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रावासों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–समाज सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के बाद यात्रियों की असु-

Page No.51

(51)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
विधायें एवं परेशानियां बढ़ जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठुमर)

98. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के छात्रावासों में रहन-सहन व खान-पान सम्बन्धी सुव्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के छात्रों में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

100. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण योजनाओं में हो रहे घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन साधारण को वाहन सुलभ कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [समाज कल्याण विभाग द्वारा माण्डल (भीलवाड़ा) में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली और नल की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये]।

103. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा आटोरिक्शों में 2 के स्थान पर 3 सवारियां बिठाने की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)

104. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समिति में अनुसूचित जाति व जन जातियों के गृह निर्माण हेतु किये विनियोजन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन मोहल्लों में विद्युत देने के अनुदान में विभाग द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन मोहल्लों में पाइप लाइन पहुंचाने में समाज कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री लूणाराम)

दिया जाय (वृद्धावस्था पेन्शन देने में होने वाली अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कम दूरी के बस स्टेण्डों का किराया कम होना चाहिये इस पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बस स्टेण्डों पर शैड और प्याऊ लगाने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से बीकानेर मार्ग पर और बसें चलाने हेतु चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ से बीदासर मार्ग के राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़ से सरदारशहर बस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

113. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को आज तक समाप्त नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति कम कर दी जाने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपाहिज व असहाय लोगों को पेन्शन देने में देरी को रोकने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावासों की दयनीय दशा सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिखारियों को अलग बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कमजोर तबके के लोगों की हैसियत में ठोस उन्नति न कर सकने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री भीठालाल मीणा)

119. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर में चोरी की रोक-थाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120 मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241 वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100-रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर वसूली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर):

121. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [उपखंड बयाना (जिला भरतपुर) में छात्रावास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये]।

122. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241—वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोडवेज और यातायात विभाग में ताल-मेल की कमी की वजह से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिकिशन (राजगढ़)

123. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत सरकार के गृह विभाग के निर्देशन के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नवीन नियुक्तियों व पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली के अनुसार कार्यवाही करवाये जाने में समाज कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गत वर्षों की भांति मेरिट कम नीड छात्रवृत्ति सरकार द्वारा अचानक इस वर्ष से बन्द करने तथा इससे उत्पन्न आर्थिक कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के अठारह लाख आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आदिवासी उपयोजना सरकार द्वारा अभी तक नहीं बनाकर लागू करने की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बून्दी, झालावाड़, अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं जिलों में आदिवासी कन्या छात्रावास सरकार द्वारा नहीं खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

127. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के

(श्री रामरघुनाथ)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्धनों व निराश्रितों के कल्याण की योजनाबद्ध विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति की सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकलांगों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवारी व माल ढोने के वाहनों के निरीक्षण में होने वाली अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहनों पर कर की बकाया के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को गति देने के विषय पर व गरीब तबके के व्यक्तियों को लाभ से वंचित करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिये उपयोग में आने वाले ट्रोली व ट्रैक्टर के अलग अलग टैक्सों को जमा कराने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

134. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालय लूणकरणसर में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं लोक कल्याण छात्रावास लूणकरणसर में रहने हेतु खाना, कपड़ा, पुस्तकें आदि हेतु पर्याप्त छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर से खाजूवाला वाया पूगल मार्ग के राष्ट्रीयकरण हेतु चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी)

136. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी अनुसूचित जाति व जन जाति के कल्याण के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय बूंदी में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

137. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहनों के चार महीने पड़े रहते हुए उन पर वाहन कर देय होने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)

138. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पीने के पानी के नल एवं विद्युत प्रकाश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाहन कर की राशि का निश्चित अंश सड़क मरम्मत में अनिवार्य तौर पर यातायात विभाग से लोक निर्माण विभाग को दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के बड़े नगरों में चलने वाले टैम्पों मालिकों द्वारा अनियमित प्रणाली के आधार पर यात्रियों से किराया वसूल करना एवं टैम्पो में बिठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)

141. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग गरीब, अनुसूचित जाति व जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान के दायित्व को निभाने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर)

142. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 241–वाहनों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रौली का अलग अलग रजिस्ट्रेशन व अलग अलग टोकन प्राप्त करने पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

143. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम वसेशर के हरिजन मोहल्लों में पानी व बिजली समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर के हरिजन मोहल्लों में विभाग द्वारा विद्युतिकरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32 व 15 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दोनों मांगों को साथ ही रखा है इसलिये मैं दोनों पर ही बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ा था। आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग ने, इसमें कोई शक नहीं कि, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए काफी लाभदायक योजनायें बनाई और उनसे समाज को काफी लाभ मिला है। एक बच्चे की स्थिति से लेकर बुढ़ापे तक जहां तक शिक्षा के सम्बन्ध में नयी पीढ़ी को संभालने का प्रश्न है, जहां तक छात्रावास का प्रश्न है और भी जो समाज से पिछड़ जाने वाला समाज का तत्व है, उसको भी संभालने में इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया है। लोगों के संस्कार सुधारने की दिशा में भी काफी कार्य किया है। इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे कारण और उपस्थित हो गये हैं नयी परिस्थितियों के मुताबिक कि जिनकी ओर उनका ध्यान जाना चाहिए ताकि यह विभाग ज्यादा से ज्यादा समाज के हित में कार्य कर सके। द्रुत गति इसमें लाना आवश्यक है इसलिए मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहूंगा।

जितने भी कटौती प्रस्ताव आये हैं मैंने उनको पढ़ा है। मैं समझता हूं कि 90 या 91 सदस्यों ने एक ही बात लिखी है 'छात्रावासों की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए'। यही लिखा हुआ है। तो आज छात्रावास, चाहे वह सरकार चलाती हो या कोई संस्था चलाती हो, वहां पर छात्रों की जो संख्या है, छात्रों के लिए जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था का लाभ जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं वह समय पर पहुंचता है या नहीं-बात मतलब की इतनी सी है। संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में बहुत बड़ी अनियमिततायें होती हैं। उनमें उपस्थिति फर्जी बताते हैं, लड़के आधे ही होते हैं, उपस्थिति पूरी ही बता देते हैं और इन सब बातों से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता और किसी और को ही लाभ मिलता है। आपको बराबर इसकी जानकारी प्राप्त हो सके तो मैं समझता हूं कि छात्रावासों में जो अव्यवस्थायें हैं वह दूर हो सकती हैं। आपका जो जिला स्तर पर कार्यालय है उसमें आपका एक अधिकारी है, आपके वहां बाबू भी हैं और मकान किराया भी लगता है, स्टेशनरी भी लगती है, वहां चपरासी भी रहता है। मैं समझता हूं कि इस कार्यालय को आपको हटाना चाहिए। यह कार्यालय आपके और उनके बीच में एक व्यवधान पैदा करता है। वह सही जानकारी आपको नहीं देता और धोखे में रखता है। इसलिए इसके खर्चे से हमारी संस्थाओं के द्वारा अध्ययन करके उनका सम्मेलन बुलाकर, उनका निर्धारित कार्यक्रम करके एक तहसील में, एक जिले में अमुक संस्था अमुक कार्य करेगी यह आपकी तरफ से निर्धारण हो और फिर आप पूछें बुलाकर और चर्चा करें, आप सम्मेलन करें उनका कि समाज के किस वर्ग में क्या हो रहा है। अगर इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयोगी रहेगा। जहां तक छात्रों को साधन देने का सवाल है ड्रेसेज में गड़बड़ी होती है, वह समय पर नहीं मिलती, खाने में भेदभाव होता है और यहां तक कि प्राइवेट संस्थाओं में हरिजन छात्रों को भर्ती करने के लिए लोग पैसा तक लेते हैं अगर आप इसकी जांच करायें तो यह सही पाया जायेगा।

(श्री दीपंकर)

इस तरह से आपने कई संस्थाओं का रिकग-नीशन कैंसिल किया है । रिकग-नीशन इसलिए कैंसिल किया है कि उनका कोई प्रचारक नहीं होता, वह कोई सार्व-जनिक सभा नहीं करते, कोई अधिवेशन नहीं करते, कुछ संस्कार सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करते । ऐसी संस्थाओं को अनुदान नहीं देना चाहिए यह आपने निर्णय लिया है । तो ऐसी संस्थाओं का रिकगनीशन आपने कैंसिल किया जो यूं ही पैसा लेती थीं तो ऐसी संस्थाओं के जरिये चलाये जाने वाले छात्रावास कैसे सही चलेंगे ? ऐसी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों को नहीं चलने देना चाहिए, इस तरह समाज के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, जहां छात्रों की भर्ती के लिए पैसा दें और वह कहें कि 100 रुपये या 50 रुपये प्रति छात्र नहीं देंगे तब तक नाम नहीं लिखेंगे । आप तक वह सूचना नहीं पहुंची, यह कमी है। इसे दूर किया जाना चाहिए । आपकी तरफ से नाश्ता है, ड्रेस है, किताबें हैं और कोई शिक्षा संस्था से स्थानान्तरण चाहते हैं तो ये चीजें उनको नहीं मिलती हैं । जो संस्थायें आपसे एड लेती हैं वे इस तरह से आपके नियमों की अवहेलना करती हैं ।

जहां सरकारी छात्रावास हैं उनमें भी कमी व गड़बड़ी है । ये किस तरह से दूर हों ? बहुत बड़ी संख्या में आपको कोई रात की कहीं दिन की घटनायें सुनाएगा लेकिन सुनाऐगा छात्रावासों और छात्रों की समस्या की । जब आप इन बच्चों को सवर्णों के साथ समानता के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं तो उनको वास्तव में लाभ नहीं पहुंचे और बीच में बिचोलिया आदमी और आपके नौकर सवर्ण सामाजिक कार्यकर्ता चूरमा खाते रहें और छात्रों तक नहीं पहुंचायें तो शर्म-नाक बात है । इसकी ओर तवज्जोह देनी चाहिये और आपकी निगाह से हर संस्था गुजरनी चाहिए । आप संस्थाओं का निरीक्षण करें या प्रतिवेदन मंगायें । आपने विभाग खोल रखा है । मैं समझता हूं, जिस जाति का आप कल्याण करना चाहते हैं, उस वर्ग पर आपको भरोसा नहीं और यह भरोसा इसलिए नहीं है कि उसमें इस तरह के अधि-कारी आपने रखे हैं, डाइरेक्टर रखा है जो सवर्ण है, यह क्या वजह है ? जब चिकित्सा विभाग में एक डाक्टर को निदेशक के पद पर रखते हैं तो हरिजन और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आपने जो विभाग खोला है वहां पर आई.ए.एस. अधिकारी क्यों रखा है। इतने हरिजन अधिकारी हैं आपकी सर्विसेज में, सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी नजर आयेंगे तो इस जाति के अधिकारी नजर आयेंगे । इसलिए इनमें से क्यों नहीं एक को नियुक्त करते हैं ? आप इस विभाग को बोर्ड का रूप दें जिसमें जन प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी बैठें और सोचें कि आज के बदले हुए जमाने में भारतीय प्रधान मंत्री के निर्देशन में 20 सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम को ध्यान में रखते हुए, हम क्या काम करें । विभाग को · · ·

(12.18 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठा-सीन)

नया कार्यक्रम बनाना चाहिए । बाकी केवल वृद्धावस्था की पेन्शन या छात्रवृत्ति से काम नहीं चलेगा । आपका विभाग जो सुविधायें

(श्री दीपंकर)

इन पिछड़ी जातियों को देता है, उनका अधिक से अधिक उपयोग सवर्ण लोग करते हैं नजर बचाकर, आप उनको ध्यान में रखें और साथ ही साथ उनको लाभ पहुंचायें। उनकी कई समस्यायें हैं, उनके रेजीडेन्स की भी समस्या है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो घुमक्कड़ जातियां हैं, जो किसी पंचायत के सदस्य नहीं हैं, जिनको मालूम नहीं कि देश आजाद है या गुलाम, देश कितना बड़ा है, इसमें कितने राज्य हैं, किस पार्टी की सरकार है, वे तमाशबीन की तरह घूमते हैं। हम उनका हाथ थामें। इसके लिए जरूरी है कि उनके लिए आप धन्धा खोलें और पिछड़ेपन से बचायें जिससे उनका गुजर चल सके, वे भारतीय नागरिकता का भलीभांति उपभोग कर सकें और प्रजातन्त्र के सच्चे नागरिक बन सकें।

इसी तरह से आपके यहां पर समाज कल्याण विभाग के रेस्क्यू होम्स चलते हैं। यह समाज की आवश्यकता भी है। इन होम्स के जरिये क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए कितनी लड़की कार्यकर्त्री के रूप में निकलनी चाहिए जो बाहर आकर समाज में काम करें और कितनी निकली हैं? आपने कितनी ऐसी लड़कियों को आवारागर्दी करते पकड़ा और कितनी ठीक होकर बाहर निकलीं? जब तक कार्यक्रम सामने नहीं आयेगा तो फिर जितने दिन आपने उनको रोटी दी, कपड़ा पहनाया और समझाया, उसका क्या उपयोग होगा? तो जो कुछ हमारा व्यय होता है उसका कुछ न कुछ फल मिले, इस दिशा में हमें जरूर सोचना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जो कोई भी महिला समाज में कोई कार्यकर्त्री बन सकती है आपके विभाग द्वारा, अधिक से अधिक प्रचार का काम हो सकता है और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वे कार्यकर्त्री घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को कह सकती हैं ताकि उसके हाथ पैर चलें, वे कुछ काम करें, उत्पादन बढ़ायें और बेकारी दूर करें।

आपने भंगी मुक्ति के लिए गांधी जयन्ती साल में अभियान चलाया। रुपया भी आया। पहले तो पैसा नहीं आया लेकिन संस्थाओं ने समझा कि भंगियों के मैला उठाने की प्रथा दूर करनी चाहिए, बाद में समझ में आया कि रुपये देने का सवाल तो यह था कि नगरपालिकाएं मांगेंगी तो देंगे। आज यह आवश्यकता है कि बहुत सी नगरपालिकाओं में आपके बचे हुए उपकरण भंगियों को नहीं दिये गए। इस तरह से इनकी निगरानी सही मायने में होनी चाहिए। आज के दिन भंगी अगर मैला सर पर उठायें और हम इस कोढ़ को दूर नहीं कर सकें तो हमारे कमजोर वर्ग का अजीब तरह का नमूना सामने आता है। नगरपालिकाओं में चाहे प्रशासक हों चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हों, यह जरूरी है कि भंगी सर पर मैला लेकर नहीं चलें। आपको प्राइवेट रूप में काम करने वाले भंगियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आपने कृषि में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी निर्धारित की, इसी तरह से प्राइवेट भंगी हैं, उनके साथ क्या होता है? कितनी तरह से भयंकर बीमारियों से पीड़ित जब मरते हैं तो उसके ओढ़ने बिछाने के कपड़े आदि भंगी को दिए जाते हैं। खाने के बाद झूठन दे देते हैं। खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून बनाने से कौन सा मृत्यु भोज बंद होगा। मूवमेंट के रूप में समाज कल्याण विभाग आंदोलन चलाए, बोर्ड के रूप में यह

(श्री शेखर)

विभाग काम करे, और जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, उन लोगों पर ज्यादा विश्वास करें। एक आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे मारते हैं। वह भंगी को देते हैं। पिंडदान का पैसा खाना आज के युग में ठीक नहीं है जब हम समाजवाद की बात करते हैं। एक आदमी जिसके पेट में खाना नहीं जाता और नहीं खाने दे, काफी समय रखने से उसमें धूल मिट्टी मिल जाती है, वह भोजन भंगी को मिलता है तो कितना यह भेदभाव है। इसको आप किसी तरह से दूर करवायें। जहां तक पानी का सवाल है, आपका विभाग जब प्रशासन विभाग को नल लगाने के लिए पैसा देता था। लेकिन गांवों में स्थिति दूसरी है। वहां पर उन लोगों के लिये अलग से जहां पर गांव के जानवर वगैरह पानी पीते हैं वहां पर खेलियां वगैरह बनाई हुई होती हैं, जहां से वह लोग आकर अपना पानी ले जाते हैं। बाद में जब नल लगाये तो वहां भी अलग ही व्यवस्था उनके लिये की गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी गांवों में देखें या शहरों में देखें, हरिजनों के साथ भेदभाव मिटा नहीं है। आपने उनके लिये स्कीमें भी बनायीं और पैसा भी दिया। शायद अब आपने पैसा देना बन्द कर दिया होगा। यह आपके बिजली विभाग और नल विभाग ने कोई विशेष सहायता की कार्यवाही नहीं की है। आपकी स्कीमें बन्द हो गयीं और जो आपने स्कीमें बनायी हैं तो भी उसका लाभ आपके इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह जो मैं आपको कह रहा हूं वह हकीकत कह रहा हूं। इसकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका मखौल उड़ाया जाता है। क्योंकि पैसे तो आपने दे दिये लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो छुआछूत आज भी चल रही है उसको उठाने के लिये कारगर उपाय करने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ जो बर्ताव आज छुआछूत का हो रहा है, वह न केवल गांवों में बल्कि आज शहरों को ले लें एक दूसरे व्यक्ति को कोई होटल वाला चाय देगा तो गिलास या कप में देगा और हरिजन को वही होटल वाला गिलास में नहीं देकर कोई सिकोरे में या लोहे के डिब्बे में डालेगा। उस हरिजन की हिम्मत नहीं होती है कि वह इसकी शिकायत जाकर पुलिस में करे या उसकी कोई रिपोर्ट कहीं दर्ज करावे और अगर कोई रिपोर्ट करा भी दे तो कोई एक्शन नहीं होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय मेरे यहां पर कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी भी कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो अगर आप इस कुप्रथा को मिटा नहीं सकते तो क्या फायदा है कि आप इस प्रकार का कानून बनाते हैं कि छुआछूत करना कानूनी अपराध है। क्योंकि उस कानून का अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है इसलिये आज भी यह चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नागालैण्ड और मिजोरम में जो ईसाई मिशनरीज काम कर रहे हैं जिससे कि हजारों की तादाद में लोग अपना हिन्दू धर्म बदल कर इसाई हो रहे हैं। वह मिशनरीज यहां दूसरे शहरों में भी आ सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस ओर सरकार को कठोर कार्यवाही करने की

(श्री दीपंकर)

आवश्यकता है और जो इस कानून का उल्लंघन करें उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसे कई सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को जानता हूं जो कि इनके लिये संस्थायें चलाते हैं। जयपुर में एक संस्था है जिसमें अच्छे से अच्छे आदमी हिन्दु अनाथ आश्रम चलाते हैं। उसके अन्दर राजस्थान सरकार के भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत बाहु लोग उस संस्था के लिये एड भी लेते हैं। वह संस्था आपके यहां रजिस्टर्ड है। जिसमें आपको कोई नहीं मिलेगा सिर्फ वहां के जो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं उनके लड़के रहते हैं जो कि कभी तो वहां रहते हैं और कभी वहां से गांव चले जाते हैं। उनका एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सारा का सारा झूठा मामला है। चूंकि उनमें बहुत अच्छे लोग हैं नाम तो लेना यहां पसन्द नहीं करूंगा लेकिन जब आप आर.एस.एस. के लोगों को स्कूलों में गड़बड़ी करने से रोकने के लिये उनके खिलाफ में कार्यवाही करते हैं तो उस संस्था के संचालक मन्डल के लोगों के खिलाफ में क्यों नहीं एक्शन लेते? इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और ऐसी संस्थाओं को बन्द किया जाना चाहिये तथा इस में जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समाज कल्याण मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आपको चाहिए इन्हीं समाज के जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनको विश्वास में लेकर काम करावें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनमें आपको अच्छे कार्यकर्ता मिल सकते हैं और वह लोग स्वयं इसमें काम करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय को चाहिए कि आप उनको विश्वास में लेकर उन्हें आगे बढ़ावें। मैं समझता हूं कि अगर आप उन समाज के कार्यकर्त्ताओं को साथ में लेकर कारगर उपाय उठायेंगे तो ज्यादा काम कर पायेंगे और उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करिये।

श्री दीपंकर: उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है मांग संख्या है 12 के बारे में। इसमें तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो यह कर वसूल करते हैं इसमें जो चोरी होती है उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठावें। दूसरे आप जो यह कर लेते हैं वह आप लेते हैं सीटों के ऊपर। प्राइवेट बसेज वाले तो जितनी सीटें होती हैं उनसे दुगुने लोगों को भर लेते हैं। लेकिन अब तो आपके जो सरकारी वाहन हैं उनमें भी बहुत से लोगों को बिठा लिया जाता है। इसमें होता यह है कि राज्य सरकार को तो कर कम मिलता है और आम जनता को बहुत भारी परेशानी होती है। यह मन्त्री महोदय के देखने की बात है क्योंकि ज्यादा भीड़ होने से एक्सीडेन्ट होने का ज्यादा खतरा रहता है। और अगर इस प्रकार की भरी हुई गाड़ी का कभी एक्सीडेन्ट हो जाता है तो आप मान कर चलिए कि कम से कम 50-60 से कम आदमी नहीं मरेंगे।

(श्री दीपंकर)

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा मंत्री महोदय से ट्रकों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । आज हमारे हिन्दुस्तान में जो माल को इधर-उधर भेजा जाता है वह रेलों के अलावा ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। आज रेल विभाग जो है वह ट्रकों के ऊपर निर्भर करता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रक वाले जो हैं वह रात रात भर चलते हैं और हजारों मील की यात्रा तय करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को रूटिन का जो कर होता है उसके अलावा भी अलग कर देना पड़ता है। उनको अपने टोकन के लिये जो टैक्स देना पड़ता है उसके अलावा उस टोकन को प्राप्त करने के लिये हर जगह पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा उन लोगों को रास्ते में हर चुंगी चौकी पर पैसा देना पड़ता है। इसके साथ ही हर पुलिस थाने पर उनको पैसा देना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह से उन लोगों को प्रोत्साहन कम रहता है कि वह लोग इसमें काम करें । इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये इस ओर ध्यान दे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन यह है कि यह जो अतिरिक्त कर भार उन से लिया जाता है उसको हटाने की आवश्यकता है । इसके अलावा जो आपकी प्राइवेट बसेज और सरकारी रोडवेज की बसेज हैं उनकी सीटों की इतनी हालत खराब है कि लोग आराम से बैठ नहीं सकते। दूसरे उन मोटरों के इन्जिन वगैरह टूटे फूटे हुए हैं और वह गाड़ियां कभी भी जंगल में खराब हो सकती हैं। अगर यह गाड़ियां अचानक खराब कहीं इन्टीरियर में हो जावें तो उन गाड़ियों में बैठने वाले पैसेन्जर्स को पानी भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसी बसों को राज्य सरकार द्वारा परमिट भी नहीं दिये जाने चाहिये । नहीं तो सरकार की इस नीति पर आम जनता में काफी दोषारोपण किया जाता है।...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : घण्टी का मतलब है समय समाप्त हो चुका है। कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बामसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में समाज कल्याण विभाग की मांग पर बहस चल रही है । लेकिन इसके पहले कि मैं समाज कल्याण विभाग की मांग पर कुछ निवेदन करूं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट हर साल निकलती है वह रिपोर्ट आज सदन के माननीय सदस्यों को अभी मिली है। मैं समझता हूं कि अगर यह रिपोर्ट पहले मिल जाती तो माननीय सदस्य इस रिपोर्ट का अध्ययन करके कुछ सुझाव इस विभाग के बारे में देते। तो मेरा यह निवेदन है कि भविष्य में....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : बहुत लेट पेश की गयी है रिपोर्ट । अभी मिली है ।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित मन्त्रीजी के ध्यान देने की बात है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि भविष्य में रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को पहले मिल जानी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक क्रान्ति से हमारे देश में आजादी आयी । राजनैतिक क्रान्ति के बाद आर्थिक और सामाजिक क्रांति के लिये समाज कल्याण विभाग का योगदान होना अत्यन्त आवश्यक है । समाज कल्याण विभाग की बहुत भारी इम्पोर्टेंस होती है समाज में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिये । जहां तक सवाल इस समाज कल्याण विभाग का है, मेरा कोई विशेष संबंध इस विभाग से नहीं रहा । लेकिन इसकी गतिविधियों की जानकारी मुझे समय समय पर मिलती रही है । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 25 वर्षों में आजादी के बाद जितनी तरक्की इस विभाग के माध्यम से समाज की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो सकी । विभाग को जितनी सफलता सामाजिक उत्थान के अन्दर मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता इसको आज तक नहीं मिल सकी है ।

अब मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा हमारे यहां एक महिलाओं का संस्थान चलता है, इसके अलावा कोई कार्यक्रम हमारे यहां नहीं है । मेरा निवेदन है यह विभाग इतना बड़ा है कि जब तक इन्सान बुड्ढा हो जाता और मर जाता है तब तक का काम इस विभाग के पास है और हरिजनों के लिये, मेहतरों के लिये, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये, भिखारियों के लिये आप जरा मुलाहिजा फर्मायें तो बहुत बड़ा काम है । शहर में जितने मेहतर हैं आज भी वे अपने सिर पर मैला ढोते हैं, शहर में अब भी भिखारी भीख मांगते फिरते हैं । इसलिये पिछड़ी जातियों के लिये, पिछड़े हुये लोगों के लिये इस आजाद देश में 25 साल बाद भी हम बहुत कम काम कर पाये हैं । मैं यह तो नहीं कहता कि कुछ भी नहीं कर पाये हैं लेकिन जितना होना चाहिये था वह नहीं किया गया है । इसका जो सारा बजट है वह 60–70 लाख का है । तो इतने से बजट में आज जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिये उत्थान का काम किया जाय तो यह मैं समझता हूं केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा । इसलिए इसका बजट भी बढ़ाना चाहिये और ज्यादा जन सहयोग प्राप्त होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास दो–तीन मिसालें हैं । आज हमारे यहां मीणा समाज के जो लोग हैं, अपने समाज में बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं–शराब, चोरी और विवाहों के समय फालतू खर्च में कमियां कर रहे हैं । उन्होंने इसके खिलाफ अपने समाज में बड़ा भारी आन्दोलन छेड़ रखा है । उनके पास इस काम के लिये मोटरें हैं और वे इधर उधर घूमते रहते हैं और इसका प्रचार करते रहते हैं । जयपुर डिवीजन में उन्होंने अच्छा काम किया है । मैं समझता हूं सरकार को उनकी सहायता लेनी चाहिये जो जाति के बेसिस पर सुधार करते हैं । जो जाति के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कायदे कानून होते हैं, जो जाति का रोब होता है उसका असर जाति वालों पर बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी सहायता लेकर काम करना चाहिये। मेरी सलाह है कि हर एक जिले में इस प्रकार की कुप्रथायें हैं और हर जिले में समाज के किसी न किसी वर्ग का इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है तो उनसे मदद लेकर काम करना चाहिये। हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्ट के मंत्री महोदय हैं, मैंने उन्हें भी अपना सुझाव दिया है। इसमें फैमिली प्लानिंग की बात भी आ सकती है–बच्चे पैदा न करने की बात भी उनसे आसानी से हो सकती है कि आइन्दा बच्चे पैदा न करें, अभी उस समाज ने इस बात को भी माना है। तो हमको उन्हीं को समझाना चाहिये कि यह कोई पाप का काम नहीं धर्म का काम है, इस तरह उनको समझाना चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल ही नहीं होने चाहिए या कम होने चाहिए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: कम के सम्बन्ध में समाज के लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। उनसे विभाग को इसमें सहयोग लेना चाहिये इसी तरह हमारे समाज में शराब पीते हैं, उसको रोकने में भी लगे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है एक संस्था बना कर उनकी मदद की जानी चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है और इस बहुत बड़े काम में सहयोग अधिकारियों को देना चाहिए और जनता को भी। बिना सहयोग लिए यह सफल नहीं हो सकेगा।

अलवर शहर में पांच साल पहले भी ऐसी स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है कि मेहतर सिर पर मैला ढोता है। मैंने उन्हें एक बार बाल्टियां भी बंटवाई थीं इस काम के लिये कि वे सिर पर मैला न ढोयें, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि बाल्टियां तो घरों में पहुंच गईं और अभी तक मेहतर 25 साल बाद भी सिर पर ही मैला ढोता है। मेरा निवेदन है कि सारे शहर में फ्लश सिस्टम न हो तब तक यह नहीं हो सकता है। जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें फ्लश सिस्टम अवश्य होना चाहिए ताकि इस प्रथा को समाप्त किया जा सके। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि शहरों की नई बस्तियों में फ्लश सिस्टम नहीं है। इसलिए बड़े-बड़े शहरों को गन्दगी से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए।

इसी प्रकार भिक्षावृत्ति के बारे में निवेदन करूंगा। जिन बच्चों के हाथ-पैर नहीं हैं उनको लेकर भिक्षावृत्ति कराते हैं, उनको भिक्षा का एक माध्यम बनाते हैं। हमको कई बार तो लज्जा भी आती है और उनको पैसे भी दे देते हैं, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। जो काम कर सकते हैं, उनके लिये कुछ उपाय करने चाहिए। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है जो ऐसे लोग हैं, उनको रोजगार में लगाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो ऐसे लोग हैं उनको काम दिया जाना चाहिए। मैला ढोने की प्रथा और भिक्षावृत्ति दोनों ही समाज के लिये कलंक हैं। अतः इसको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाना चाहिये।

मैंने जो कट मोशन दिये हैं, उनमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैंने एक हरिजन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

होस्टल के बारे में भी कहा है। यहां पर मेन्टल हास्पिटल के पास एक हरिजनों का होस्टल है वहां पर बड़ी अव्यवस्था है। वहां के लड़के बड़ी तकलीफ पाते हैं। हरिजन लड़कों के लिये मकान की कमी है। सरकार को उसकी ओर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं हमारे मंत्री महोदय बड़े उच्च विचार के हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि वे पर्सनली हरिजनों के मामलों को देखेंगे कि उनको क्या क्या तकलीफें हैं और उनको किस तरह दूर किया जा सकता है।

मुझे अलवर में शिकायत मिली थी कि हरिजनों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और उसमें जो रुपया दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है–बहुत लों को तो मिल जाती है और बहुत लों को नहीं मिलती है। मैं निवेदन करूंगा इसको एग्जामिन करवाया जाना चाहिये। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को हर एक कान्स्टीट्यूएन्सी के हिसाब से या पंचायत समिति के हिसाब से आपके विभाग के क्या इम्पेक्ट हैं, गरीबों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है इसको देखना चाहिये, इस प्रकार का कुछ प्रबन्ध करना चाहिये। मेरे यहां, उपाध्यक्ष महोदय, मीणे सही मायने में पिछड़े हुये हैं, बाकी सब जगह तो मीणे इतने पिछड़े हुये नहीं हैं। हमारे यहां मीणे चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन अब उन्होने एक कोआपरेटिव बनाई है और इन कु-व्यसनों को छोड़ने का एक अभियान चलाया है। किन्तु उस कोआपरेटिव का भी फायदा उनको नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह के मीणे, गूजर, जाट, हरिजनों को फायदा मिलता है लेकिन मेरे क्षेत्र में उनको कोई फायदा नहीं मिला है। गांवों के हरिजनों की दशा बहुत खराब है। आपने उनके सुधार का एलान किया था, लेकिन उसका कोई इम्पेक्ट अभी तक गांवों में नहीं पड़ा है और उनमें कोई फर्क नहीं आया। मेरा इस मायने में अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अनुभव है उसके आधार पर निवेदन किया है कि मंत्री महोदय बड़े उच्च विचार वाले हैं हमारे देश में जो सामाजिक क्रांति है, उसका यह प्रतीक हैं और यह क्रान्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम गरीब अमीर का फर्क नहीं मिटा पायेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गयी हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, घुमक्कड़। विमुक्त जातियों, उपेक्षित महिलाओं, परित्यक्त शिशु, अपाहिज, भिक्षुक इनके पुनःस्थापन की बात कही गयी है। यह कहने को तो है, लेकिन हमारे समाज में आज उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, शहरों को छोड़ दीजिये, गांव में जंगल में झोंपड़ों में रहने वाला व्यक्ति है उसके साथ किस ढंग से आज व्यवहार किया जा रहा है, किस ढंग से उसके

(श्री जयकिशनलाल डोसावड़ा)

साथ बर्ताव किया जाता है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिये गये है उनमें से एक मौलिक अधिकार यह भी है कि जातिवाद को कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, हर स्थान पर समानता का अधिकार होगा, लेकिन फिर भी आज हम गांव के अन्दर यह देखते हैं, छोटी-छोटी ढाणियों में यह देखते हैं, अथवा शहरों में या म्युनिसिपेलिटियां हैं जहां और गंदी बस्तियां हैं वहां हम यह देखते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके साथ आज भी वैसा का वैसा ही व्यवहार हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि समाज कल्याण किस प्रकार होगा ? एक तरह से कहने के लिये तो समाज कल्याण विभाग है, अर्थात् समाज का उत्थान करने वाला एक विभाग, परन्तु वास्तविकता को हम देखते हैं तो हमारी गर्दन नीची हो जाती है। हमारे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन है। उसकी रीति-नीति को अच्छी तरह से मानते हैं और उसके द्वारा हम सरकार चलाते हैं। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व जब तक नहीं समझेगा कि उस कमजोर वर्ग के साथ किस ढंग से व्यवहार करे, किस ढंग से उनका उत्थान करें और सही रास्ते पर लगा दें, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है।

विभाग के द्वारा दो हिस्से बना रखे हैं। एक तो पिछड़े वर्ग का कल्याण करना और एक सामान्य समाज का कल्याण करना। पिछड़े वर्ग का जहां तक सवाल है हमारा समाज वैसी की वैसी ही स्थिति में है। इसमें यह भी लिखा है विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और जन जातियों को कितना लाभ पहुंचाया है। इसमें संक्षिप्त रूप में निवेदन है। पहला मेरा निवेदन यह है कि जैसे शिक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार ने एक प्रोविजन बना रखा है 28 पर्सेन्ट इस जाति को आरक्षण दिया गया है। लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हुई है। समय समय पर विधान सभा के सामने मैं इस सम्बन्ध में कई मुद्दे रखता रहा हूं और निवेदन भी मैंने किया था परन्तु वास्तविकता की पूर्ति नहीं होती है। 28 पर्सेन्ट के लिये सही रूप में नियम लागू किया जाना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। कभी क्या अड़चन आ जाती है, कभी क्या अड़चन आ जाती है। इस प्रकार की असुविधायें और तकलीफ हमारे समाज को भोगनी पड़ती हैं।

मेडिकल विभाग में कई अनुसूचित जाति और जन जाति के लड़के प्रविष्ट होते हैं तो उनको 5 नम्बर का रिजर्वेशन दिया हुआ है। केवल पांच नम्बर। मालदार व्यक्ति, या शिक्षित परिवार का बच्चा मेडिकल कालेज में जाता है उसको बचपन से ही सब सुविधायें उपलब्ध होती हैं। उसको न तो किताबें खरीदने में कमी आती है और न ही रहने के लिये उसको कोई कमी आती है। यदि परेशानी है तो केवल पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों के समक्ष है जो इस प्रकार के साधन नहीं जुटा पाते हैं इसलिये उनकी शिक्षा में भी व्यवधान पड़ जाता है और वे अपने आपको ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं और अन्त में उनके नम्बर कम आते हैं और जिन स्थानों पर वे पहुंचना चाहते हैं वहां वे नहीं पहुंच पाते हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके नम्बरों का रिजर्वेशन ठीक

(श्री जयकिशन लाल लोसावड़ा)

प्रकार से कर लिया जाय। जो अभी मौजूदा रिज़र्वेशन है वह केवल नाममात्र का है और केवल विद्यार्थियों को राजी करने के लिये है। इसलिये 20-25 नम्बर का रिजर्वेशन कर दें तो उनको आसानी से शिक्षा दे सकते हैं।

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों को 28 पर्सेन्ट नोकरियों में आरक्षण दे रखा है। 28 पर्सेन्ट से कोई फायदा नहीं। मेरा सुझाव और निवेदन है कि इनमें 50 पर्सेन्ट कर देना चाहिये यदि उन जातियों का उत्थान करना चाहते हैं तो क्योंकि जितनी भी अन्य जातियां हैं वे शिक्षित, मालदार और साधन सम्पन्न लोगों की हैं और वे पैसा खर्च कर सकती है। अनुसूचित जाति और जन जाति, घुमक्कड़ जातियों के सामने एक प्रश्न बना रहता है शिक्षा प्राप्त करने का और जो सुविधायें अन्य वर्ग के लोगों को मिलती हैं इन जातियों को प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिये गवर्नमेन्ट की ओर से सुविधायें और रिजर्वेशन मिल जायेगा तो वे अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं।

दूसरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सेवाओं में भेजते हैं, रिजर्वेशन भी है, मदद भी की जाती है। साथ साथ निवेदन ऐसा है कि उच्च स्थानों पर इन जातियों के विद्यार्थी पहुंचना चाहते हैं, ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिये उनके सामने अड़चन आ जाती है कि उनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, वे एकमात्र इधर-उधर भटकते फिरते हैं। इसलिये किसी प्रकार की एक कमेटी बिठा कर इसका सर्वेक्षण कराया जाय कि प्रदेश में कितने विद्यार्थी हैं जो कि कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन में बैठने लायक हैं, किसी तरह से उनके साथ रियायत बरत कर उनको उन स्थानों पर बिठा देना चाहिये, चाहे वे राज्य सरकार के ओहदे हों, या और किसी के ओहदे हों, ऐसा उनके लिए आरक्षण कर देते हैं तो उनका कल्याण हो सकता है वरना कल्याण कल्याण नाम लेकर समाज का उत्थान करना चाहते हैं, यह उत्थान तो हो नहीं सकता। यह तो वैसी ही बात हुई कि कहते जाओ कि उत्थान कर रहे हैं।

साथ ही साथ अनाथ बच्चों के लिये जयपुर, जोधपुर, अजमेर और दो तीन और जगह पर आपने आश्रम खोल रखे हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। शहर में हर तहसील हैड-क्वार्टर पर, तहसील के क्षेत्र में आने वाले बच्चे हैं जो किसी प्रकार से असहाय हो गये हैं, उनके लिये एक प्रकार की संस्था, होस्टल, छात्रावास, आश्रम हर तहसील क्षेत्र पर खोलना चाहिये तब ही जाकर अनाथ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उनका सम्बन्ध राज्य सरकार की रीतियों और नीतियों से रहना चाहिये। समय समय पर सैक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई भी अधिकारी वहां जाकर जांच करे कि बच्चों का कितना विकास हुआ है, उनके मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, सब प्रकार की उनको सुविधायें मिल रही हैं अथवा नहीं, तभी जाकर उनका कल्याण हो सकता है।

अनाथ महिलाओं को ले लीजिये। आज अनैतिक व्यभिचार का नाम लेकर मुंह बन्द कर लेते हैं। लेकिन इसकी गहराई

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
तक पहुंचते नहीं कि अनैतिकता किस प्रकार से फैलती है। समाज में बुराइयां क्यों फैलती जा रही हैं ? वह इसलिए फैलती जा रही हैं कि महिला समाज के लिए हम यह तो जानते हैं कि यह महिला वर्ष है। हम यह भी कह सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर के ऊपर या विश्व स्तर के ऊपर हम इस प्रकार की अलग अलग योजनायें बना रहे हैं, लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं पहुंचते कि वास्तव में अनैतिकता क्यों फैलती है। किस कारणवश भ्रष्टाचार का बोलवाला समाज में होता है। यह हमारी स्वयं की कमजोरी है। आज बराबर का अधिकार तो दे रखा है केवल मात्र कहने के आधार पर, और यदि वास्तविकता को लें कि क्यों महिलायें अनैतिकता की ओर बढ़ती हैं, कौनसा सहारा उसका हमारे समाज की ओर से हट गया है, क्यों इतनी मजबूर होकर बुराइयों की ओर अग्रसर होती हैं, यदि इस प्रकार की वास्तविकता को देखें और उनकी कमियों को दूर करके हम उनके दिल और दिमाग में सामाजिक स्तर की चीजें कर दें तो अनैतिकता नहीं फैल सकती, यह मेरा विश्वास है। लेकिन महिला समाज के प्रति हमारे प्रत्येक व्यक्ति की अवहेलना है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह नैतिकता पर और अनैतिकता पर अपने ही ढंग से बोलें तो अच्छा रहेगा। महिला समाज को जिस तरह से यहां रख रहे हैं वह अच्छा नहीं है। आप अपने ही तरीके से बोलें मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा दृष्टिकोण वह है जो समाज में वास्तविकता है। यदि उनको इस बात से दुःख है तो क्यों नहीं वह उन बुराइयों को मिटाने के लिए तैयार हो जायें। मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि महिला मेरी मां भी है, मेरी बहन भी है और महिला मेरी स्त्री भी है और महिला मेरी बच्ची भी है इसलिए समाज में जितनी भी महिलायें हैं बड़ी वह मेरी मां है, बहिन हैं, जो छोटी हैं वह बच्चियों के बराबर हैं। इसलिए माननीय सदस्या से निवेदन है कि वह इस प्रकार की धारणा अपने मन में न लायें। जितनी ठेस इस सम्बन्ध में उनके हृदय में है उतनी ही आज मेरे हृदय में भी है। इसलिए किसी प्रकार का दुःख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : इस प्रकार की समाज में बुराइयां फैली हुई हैं। हम बुराइयों को भी मिटा सकते हैं जब कि हम सामुहिक भावना, सामाजिक प्रेरणा और राजनैतिक प्रेरणा और जातीय प्रेरणा सब इकट्ठी लेकर चलें। हम चाहे समाज कल्याण की बात करते रहें या इसके लिए विभाग खोलें फिर भी हम समाज को सही लाभ नहीं पहुंचा सकते। यह मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि समाज कल्याण के द्वारा जो हम विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड देते हैं इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हम स्टाइपेण्ड उनको अवश्य देते हैं लेकिन 3 वर्ष समाप्त होने के बाद उनका स्टाइपेण्ड भी बन्द हो जाता है और वह विद्यार्थी सर्विस में भी नहीं जा पाता है। इसलिए मैं हार्दिक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों की लिस्ट आपके पास है कि कौन विद्यार्थी कहां पर कैसा कार्य कर रहा है। तुरन्त राज्य सरकार की ओर से यदि इस प्रकार की व्यवस्था कर दें कि वास्तव में ऐसे गरीब विद्यार्थियों को, जिनको हम स्टाइपेण्ड देकर केवलमात्र उनको मामूली पेट-पालन करने के लिए साधन उपलब्ध कर देते हैं, साथ ही साथ उनको सर्विस में लगाने की व्यवस्था भी कर दें तो वास्तव में उन लड़कों का जरूर भला हो सकता है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि बी.ए. पास को आप 150 रुपया और एम. ए. पास को 250 रुपया देकर उनसे 8 घन्टे की ड्यूटी लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम सागड़ी प्रथा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जो भी वहां के सेक्रेटरी या डाइरेक्टर होंगे यदि कोई विद्यार्थी स्टाइपेण्ड के ऊपर काम करता है तो उसे लगातार 8 घन्टे की ड्यूटी देनी पड़ती है। यदि वह नहीं देता है तो कमिश्नर समाज कल्याण डाइरेक्टर को लिख कर दे देता है कि इसका दो रोज का स्टाइपेण्ड काट लिया जाये या 3 तीन रोज का काट लिया जाये। ऐसा गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि कर दें तो उन विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है और उनको रोजगार भी मिल सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि हम बेगार प्रथा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आज हर म्युनिसिपेलिटी में जाकर देखें। जैसा श्री गुप्ता जी कह रहे थे और दीपंकर जी भी कह रहे थे, हरिजन जाति के साथ हजारों वर्षों से अन्याय करते रहे हैं वह आज भी हो रहा है। हम किसी प्रकार से भी गन्दगी पैदा करें और हमारे समाज के भाई ही सिर पर ढोकर घूमते फिरें यह कहां का न्याय है? यह मानवता के विचार नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये कि ऐसी गरीब जाति के व्यक्तियों को गन्दगी से दूर रहना पड़े और चाहे बाल्टियों के द्वारा या ढोलों के द्वारा दूर डालने की व्यवस्था कर दी जाये तो वास्तव में समाज में जो बुराई है वह दूर हट सकती है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ यह निवेदन है कि भिक्षावृत्ति का एक शीर्षक दे रखा है बजट में। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस भिक्षावृत्ति के लिए एक सर्वेक्षण कराया जाय कि व्यक्ति क्यों इस ओर अग्रसर होता है। उसके साथ बेरोजगार की स्थिति रहती है या उसके साथ में किसी और तरह की स्थिति रहती है या वह बिलकुल ही अपाहिज है। तो अपाहिज जो भिक्षावृत्ति करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए हर स्थान के ऊपर, हर

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

शहर के अन्दर, आश्रम खोल देने चाहिए और उन आश्रमों के माध्यम से अपाहिजों का पालन होना चाहिए। यदि उनके हाथ ठीक हैं तो उनको हाथ से काम करने का रोजगार देना चाहिए। यदि वह अंधे हैं तो किसी और प्रकार का उनको धंधा देना चाहिए। और यदि हाथ नहीं हैं और पैर हैं तो जगह जगह घूमने का जैसे जैसे साधन उपलब्ध हों उनके अनुसार उनसे काम लेना चाहिए। तो इससे हमारी सरकार को भी आमदनी होगी और उन लोगों का जीवन-यापन भी हो पायेगा। जो हट्टे कट्टे जवान हैं, वह कोई काम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए आश्रम की स्थापना नहीं करनी चाहिए और उनके लिए छोटे छोटे उद्योग खोल देने चाहियें। इसके अलावा जो सामुहिक रूप में भिखारियों को पकड़ा जाये उनको एक ही स्थान पर नहीं रखा जाये....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : तो पांच भिखारियों को कही पर रखा जाये और तीन को कहीं दूसरी जगह रखा जाये। यदि उनको एक ही स्थान पर रख दिया गया तो उनकी प्रवृत्ति में फर्क नहीं आयेगा। उनकी भावनायें चेन्ज नहीं होंगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसे लोगों को दो,-दो और-तीन, तीन को अलग अलग रखकर उनसे काम लेना चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे वह समाज के दूसरे लोगों के व्यवहार में आयेंगे और दूसरे लोगों के काम करने की क्षमता को देखेंगे तो उनके अन्दर भी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। वह महसूस करने लगेंगे कि उन्हें भी काम करना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर चलें तभी जाकर इनका भला हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। श्री रामगोपाल।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : एक मिनट टैक्स के ऊपर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन में समाज कल्याण और परिवहन विभाग की मांगों पर माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं में से किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आज की मांगों पर जो सदन में चर्चा चल रही है उनसे सम्बन्धित जो प्रगति की पत्रिकाएं हैं वह मांग प्रस्तुत करने के कुछ ही समय पूर्व माननीय सदस्यों को प्राप्त हुई थीं। तो सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा, और जहां तक मुझे जानकारी है पहले समय भी, माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्री महोदय को यह निवेदन किया गया था, कि इस प्रकार वो जब मांगें सदन में प्रस्तुत हों तो उसकी प्रगति का विवरण सदस्यों को कम से कम एक दिन पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि उसका अध्ययन कर सकें और अध्ययन करने के बाद में अपने विचार जिस ढंग से वह समझें, जैसा वे अनुभव करें, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और जो कमजोरियां हैं वह सरकार को बतायें और वह सुझाव दें।

(श्री रामगोपाल)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग की मांग पर बोलना चाहूंगा। उस पर बोलते हुए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस साल के बजट के अन्दर जो पत्रिका हमें दी गई है उसमें यह वर्णन किया गया है कि राजस्थान के आदिवासियों के लिए, जहां जहां राजस्थान में आदिवासी वर्ग हैं, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, राजस्थान सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता के अन्दर वह बोर्ड कार्य करेगा। आदिवासियों के विकास के लिए दूसरा एक कमीशन का निर्माण किया गया है, वह इस बोर्ड से बिल्कुल अलग है। वह इसमें सुझाव का काम करेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो अच्छी बात है कि हम पिछड़े वर्ग के लिए बोर्ड का गठन करते हैं। यह पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं किन्तु राजस्थान के अन्दर और भी भागों में जो अलग अलग प्रकार से क्षेत्र का विकास करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है, संख्या तो इसमें काफी है। बोर्ड का हम गठन करते हैं, आदिवासी विकास बोर्ड का या दूसरे कमीशन का हम गठन करते हैं, बोर्ड हो चाहे कमीशन हो, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यह सोचने की स्थिति है, हम बोर्ड का जो गठन करते हैं उससे खर्चा तो कितना होता है और कार्य उस खर्च के अनुसार कितना होता है? राजस्थान जिन परिस्थितियों के अन्दर से गुजर रहा है, जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में से राजस्थान गुजर रहा है और देश गुजर रहा है; जिसमें बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से हम जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो नीचे पड़ा हुआ तबका है उसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसका हम विकास करना चाहते हैं, तो क्या सही मायने में हम उसका विकास कर पायेंगे? यह मंत्री महोदय के सबसे पहले सोचने की बात है। माननीय उपाध्यक्षजी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र के अन्दर जो बजट हमारा पेश हुआ उसमें राजस्थान के अन्दर आदिवासियों के लिए एक ट्राइबल सब-प्लान का प्रावधान किया गया था। उस ट्राइबल सब-प्लान के लिए भारत सरकार योगदान देगी। जब ट्राइबल सब-प्लान का प्रारूप तैयार होने जा रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहबाद में उसका भी वहां पर प्लान तैयार करने के लिए यहां से जो डायरेक्टर हैं राजस्थान सरकार के वह गए थे और एक बार नहीं दो बार गए थे और वहां जाने के बाद उन्होंने योजना तैयार की और योजना तैयार करके राज्य सरकार को सबमिट की। लेकिन बाद में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ तो मैंने देखा कि शाहबाद का कोई नामो-निशान भी नहीं था। मुझे इसका बड़ा भारी दुःख हुआ। माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने यह बताया था कि राजस्थान में शाहबाद ऐसा क्षेत्र है, ऐसा भूखण्ड है जिसमें कि आदिवासियों की आबादी है और विशेष कर उसमें सहरिया हैं जो वहां पर निवास करते हैं। राजस्थान के अन्दर यह सहरिया जाति और कहीं पर नहीं होगी। उसकी वेशभूषा विशेष प्रकार की है। मैंने निवेदन किया था कि शाहबाद

(श्री रामगोपाल)

को ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर शामिल किया जाय लेकिन न मालूम कौन से कारण थे जिनकी वजह से शाहबाद को सम्मिलित नहीं किया गया और एक वर्ष गुजरने के बाद भी वहां के आदिवासी उसी स्थान पर पड़े हुए हैं। पिछले साल जब यह प्रश्न हमारे सामने आया तो कोटा जिले के ही नहीं बल्कि कोटा डिविजन के 14 विधायकों ने एक ज्ञापन आयोजना मंत्रीजी को दिया था कि शाहबाद को ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित किया जाय और उनके लिए विशेष प्रकार की योजना तैयार की जाय लेकिन एक वर्ष गुजर गया कुछ नहीं किया गया। माननीय मंत्रीजी आपको याद होगा कि इसके प्रोजेक्ट का दफ्तर कहां पर है? कोटा में है जो शाहबाद से एक सौ मील की दूरी पर है। शाहबाद का विकास करने जा रहे हैं लेकिन सहरियों को वह कोटा से कितनी दूर पड़ेगा? वहां आने जाने का कितना भार वहन करना पड़ेगा? एक तरफ तो हम कटौती करना चाहते हैं, एक तरफ इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से खर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी आज जो प्लान तैयार हो जाना चाहिये था वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार अभी तक तैयार नहीं हुआ है। कब यह प्लान तैयार होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वह प्लान सबमिट होगा, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर वह प्लान सबमिट होगा, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी इस सब में कितना समय लगेगा और आप किस तरह से इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। यह मेरी नौलेज मे है कि इस आदिवासी क्षेत्र का प्लान तैयार करने के लिए, शाहबाद क्षेत्र का प्लान तैयार करने के लिये, केन्द्र सरकार योगदान देगी और प्रारूप बनाने का खर्चा केन्द्र सरकार देगी। इसलिए इसको तैयार करने की आयोजना तैयार की जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा जो हमारे बोर्ड का गठन होता है, तो गठन तो हम कर देते हैं लेकिन उसको जिस तरह से कार्य करना चाहिये वह नहीं करता है तो यह आपके देखने की बात है। इससे राज्य सरकार का खर्चा तो हो जाता है लेकिन जिस उद्देश्य से बोर्ड बनाते हैं वह पूरा नहीं होता है तो किसी प्रकार के विशेष तबके को संतुष्ट करने से ही काम नहीं चलेगा।

अब मैं आगे आना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन के जो नियम हैं वह सरकार ने लागू किए हैं। अनुसूचित जाति का 16 परसेंट है और अनुसूचित जन जति का 12 परसेंट है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा, कि आपने किस किस विभाग के अन्दर, किस किस अधिकारी को पदोन्नति में आरक्षण दिया है? आपने जिस समय यह कानून लागू किया उस समय से कितने अधिकारियों को किस किस विभाग के अन्दर पदोन्नत किया है? कौन कौन से उनको पद दिए हैं? मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जो हम कानून बनाते हैं उन कानूनों का पालन नहीं होता है। आपने रोस्टर सिस्टम

(श्री रामगोपाल)

दिया है, रोस्टर सिस्टम लागू किया है वह हमको सान्त्वना देने के लिए तो है, कहने को तो रोस्टर सिस्टम है लेकिन वास्तव में रोस्टर सिस्टम का पालन, इसका इम्पली-मेंटेशन सही ढंग से जिस तरह से होना चाहिये इस तरह से राजस्थान में रोस्टर सिस्टम का पालन नहीं हो रहा है। हमारी जो कमेटी है, जिसका मैं भी सदस्य हूं, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर देखा, वहां का दौरा किया तो हमने देखा है कि और जगह रोस्टर सिस्टम में ढिलाई ही पाई है। कई जिलों में तो पता ही नहीं है कि रोस्टर सिस्टम क्या चीज है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिलों के अन्दर विशेष कर आदिवासियों के लिए और पिछड़े हुए वर्गों के लिए रोस्टर सिस्टम का पदोन्नति में आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। आप चाहें तो जांच करवा लीजिए। आपको मालूम हो जायगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जिस ढंग से मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया है। इसकी अवहेलना की जा रही है, जान बूझ कर अवहेलना की जाती है। जब जब भी प्रमोशन का सवाल आता है इस रिजर्वेशन के कानून को लागू करने में कमजोरी रखने की कोशिश की जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा इतना टाइम इस कानून को बने हो गया लेकिन शुरू में ही यह कमजोरी रखी गई पहले बताया कि दस व्यक्तियों का प्रमोशन होगा तब एक शिड्यूल्ड कास्ट को स्थान दिया जायगा और जब बीस का प्रमोशन होगा तब एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोशन मिलेगा। इसके खिलाफ आवाज उठी और आवाज उठाने के बाद इसको रद्द किया गया और उसको खत्म किया गया। बाद में एक नया आदेश निकाल दिया कि जहां इस प्रकार के स्थान खाली मिलते हों तो उनको यथासम्भव भर दिया जावे। वह स्थान खाली पड़ा रहता है तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री से मिलकर या उनसे स्वीकृति लेकर वह भरा जाएगा। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन नियम बदलते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार से नियम बदल रहे हैं। हमारी मंशा यह नहीं है फिर भी यह हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रमोशन और रिजर्वेशन है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। जो आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के लिए जो रिजर्वेशन किये गये हैं, उन स्थानों को भरने के लिए कानूनी संरक्षण देना बहुत जरूरी हो गया है। जो नियम हैं उनको सही ढंग से लागू करवाना चाहिये और सही ढंग से लागू नहीं होने के कारण ही आज यह रोस्टर प्रणाली असफल सिद्ध हो रही है।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भू-आवंटन किया गया है, उसके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत भू-आवंटन का एक अभियान चलाया गया है। जहां जहां भी, माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि आवंटित की गयी है, वहां वहां वह देखने को मिलेगा कि किसी को डेढ़

(श्री रामगोपाल)

बीघा, दो बीघा, तीन बीघा या पांच बीघा जमीन दी गयी है। पांच बीघा से अधिक जमीन किसी को नहीं मिली है। जो भूमिहीन लोग हैं वह डेढ बीघा या पांच बीघा लेकर किस प्रकार उस पर लोन ले सकेगा, और लोन मिलेगा तो भी कितना मिलेगा और किस प्रकार उससे अपनी आजीविका चला सकेगा? वह कतई इस पर निर्भर नहीं रह सकता। इस प्रकार वह न तो इधर का रहा, और न उधर का हो रहा। इस प्रकार से यह व्यवस्था की गयी है। जिस को भी भू-आवंटन हुआ है, शाहबाद क्षेत्र के सहरियों, आदिवासियों को जो आवंटन हुआ है, उससे वे परेशान हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जिनको भू-आवंटन हुआ है, उनको इस जमीन का ही पता नहीं है कि यह जमीन किस जगह पर है। नौ, दस वर्ष पहले भी भू-आवंटन हुआ था, उन लोगों को भी आज तक भूमि का स्थान नहीं मिला है, कब्जा नहीं मिला है। आज भी जो आवंटन हुआ है, उसका कब्जा सही ढंग से नहीं मिल पाया है लेकिन एक विशेष जो रुची हमारे अधिकारियों के अन्दर है, स्थानीय अधिकारियों के अन्दर एक प्रकार की होड़ लगी हुई है, इस प्रकार भू-आवंटन कर के, समय का फायदा उठा कर और ज्यादा आंकड़े को अपने अधिकारियों और राज्य सरकार को प्रस्तुत करें वे यह चाहते हैं कि इनाम ले लें, वाहवाही लूट लें। इस पारितोषिक लेने के चक्कर में होश हवास छोड़ देते हैं। इस प्रकार वे आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों के आंकड़े पेश कर देते हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं और उनको अपने अधिकारियों को सबमिट कर देते हैं और उससे हमारी सरकार को भी सन्तोष हो जाता है परन्तु हमारी सरकार को यह पता नहीं है कि वास्तव में फील्ड में कितना वर्क हुआ है। इस तरह से व्यवहारिक रूप से यह कार्यक्रम नहीं चल रहा है। यह शोचनीय स्थिति है। एक ही स्थान पर ऐसा नहीं हुआ है। अनेक स्थानों पर ऐसी बात आपको देखने का मौका मिलेगा। यह प्रोग्राम जिनके लिए चल रहा है, जिनके लिए 28 प्रतिशत आप आरक्षण दे रहे हैं, उन लोगों के सामने यह परेशानियां आ रही हैं। इस प्रकार की जहां जहां पर भी गड़बड़ियां हुई हैं, जहां जहां भी आदिवासियों के साथ जुल्म, अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जावे और यह देखा जावे कि इन लोगों को सही ढंग से भू-आवंटन हुआ है या नहीं। जो दोषी अधिकारी हैं, उनको दंड दिया जाये और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जावे। ये आंकड़े झूठे हैं और सरकार को प्राप्त होते ही सरकार इनको अखबारों में छपने के लिए देती है कि बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत इतने इतने लोगों को भूमि आवंटित कर दी गयी है, इतने लोगों को बेगार से मुक्त करा दिया है। इस प्रकार से एक गलत प्रचार कर दिया जाता है। मैं सदन को यहां यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। स्थानीय व्यक्तियों की आपस में वैमनस्यता होती है। एक व्यक्ति दूसरे की रिपोर्ट कर देता है। अधिकारियों में काना-फूंसी होती है, सांठ गांठ होती है, और पटवारी पर दबाव डालते हैं कि अमुक अमुक व्यक्तियों पर धारा 91 का केस बनाया जावे। हालांकि वह ट्रेसपासर नहीं है फिर भी केस बन जाता है। इस प्रकार पटवारी

(श्री रामगोपाल)

पर केस दबाव डालकर बनाया जाता है और लक्ष्य की खानापूर्ति होती है। इसकी जानकारी मैंने स्वयं ने राजस्व मंत्रीजी को दी थी यह ज्यादतियां हो रही हैं। अमुक अमुक अधिकारी इस प्रकार से ज्यादा आंकड़े पेश कर यह बताना चाहता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम पर अमल कर उसने अच्छा काम किया है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यह देखना चाहिये कि ये आंकड़े सही हैं या नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन झूठे आंकड़ों से हमारा काम नहीं चलेगा। जो आवंटन के सम्बन्ध में गड़बड़ियां हुई हैं, इस प्रकार की गड़बड़ियां सारे राजस्थान में हुई हैं और हर जगह पर मौजूद हैं, उनको दूर कराने के लिए सरकार व्यवस्था करे।

अब मैं छूआछूत की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। आप मेरी तरफ देखिये मंत्रीजी, उधर क्या देख रहे हैं? आपने दैनिक नवज्योति पढ़ी होगी। उसमें एक समाचार प्रकाशित हुआ। सरदारशहर की दुकानों पर हरिजन हजामत बनाने गये तो उनके साथ छूआछूत की गयी और उन व्यक्तियों के खिलाफ छुआछूत की रिपोर्ट की गयी तो समझौता कराने के प्रयास किये गये। यह छुआछूत के अपराध की वहां पर पुनरावृत्ति हुई है। यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है और इस बारे में तत्काल कदम उठाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राम गोपाल : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड की सीमा सीमित है।

श्री रामगोपाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री बिरदाराम के बैठे बैठे बोलने पर) आपके सुझाव बाद में रखिये, अभी तो कार्यक्रम के अनुसार चलने दीजिये।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिए जो कोचिंग सेन्टर खोला गया है, वह जयपुर में है। मंत्री महोदय यह आपकी रुचि की बात है। जो जोधपुर डिविजन है वह काफी दूर है। कई लड़के कोचिंग क्लास के लिए जोधपुर से यहां आते हैं तो उनको परेशानी होती है और उनका काफी समय बर्बाद होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जोधपुर में भी एक कोचिंग सेन्टर खोलने की व्यवस्था आप विशेष तौर से कर दीजिये तो अच्छा होगा। यह आपके फायदे की भी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से यह जो परिवहन विभाग की मांग है, इसके सम्बन्ध में भी मैं राज्य सरकार का और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि पिछले समय जो राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या वह पूरा हो गया है? इसके पहले जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या वह आप

(श्री रामगोपाल)

पूरा कर पाये हैं ? और जो इस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या उसको आप पूरा कर पाएंगे ? आपको तो यह भी याद नहीं रहता कि कौनसा रूट राष्ट्रीयकरण के लिए उचित है या नहीं है। वहां की जनता को जो परेशानियां हैं, उनकी सूचना भी आपको दी जाती है परन्तु उनकी ओर आप कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। पिछले समय से छीपाबड़ोद से सालपुरा की जो रोड है, वहां की बस की अव्यवस्था के बारे में मैं इस सदन में कहता आ रहा हूं। भारी मात्रा में यात्रियों की संख्या बस में होती है। बस की अव्यवस्था है। यात्रियों को पैदल चल कर आना पड़ता है कभी भी मैं उस बस में बैठ कर नहीं आया। या तो खिड़की के पास खड़ा रहना पड़ता है या बस की छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। 95 प्रतिशत बार बस की छत पर बैठकर यात्रा कर सका हूं। यह अव्यवस्था है। बस के मालिकों की मोनो-पोली है। बस परमिट में से दो बसें चलती हैं। यात्रियों के सामने परेशानियां आती हैं। इस प्रकार की चीजें मन्त्री महोदय के कान में डाल दी जावें तो भी वे व्यवस्था नहीं करते हैं। दो साल से लगातार कह रहा हूं···

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जो आदिवासी ड्राईवर है उनको आप लाइ-सेन्स देते हैं। उनको फायदा देने की कोशिश हमें करनी है। राजस्थान का मिनि बस का लाइसेन्स लेकर वे राजस्थान में व्यवसाय चलाने की कोशिश करना चाहते हैं परन्तु राष्ट्रीयकरण की वजह से मिनि बस को नहीं चलने देते हैं। वे पूरे राजस्थान का टैक्स देते है। नेशनलाईज्ड रूट के अलावा, वहां की बसों के टाइम के अलावा वे चलाना चाहते हैं परन्तु आप उन्हें इजाजत नहीं देते। इसका क्या मकसद है ? आप नियमों की उनके लिए छूट दीजिए। बस के टाइम के अलावा वे ले जाना चाहते हैं। 10-12 व्यक्तियों को वे बिठाकर ले जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को इस प्रकार के बंधन से आप न बांधे। इस बंधन को दूर करिये और मैंने जो सुझाव शाहबाद देश के बारे में दिये हैं उनके बारे में आप ध्यान देकर शीघ्र ही प्रोजेक्ट को मंजूर करिये। वहां पर सड़कों की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उन पर विचार कर उनको पूरा करने की कोशिश करें। आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जग मोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़ी जातियां हैं देश के अन्दर उनके उत्थान के लिए आह्वान किया था, आजादी के बाद राष्ट्रपिता की भावनाओं को हमारे संविधान-निर्माताओं ने मूर्त रूप देने के लिए कान्स्टीट्यूशन के अन्दर विशेष प्रावधान इस बात के लिए रखा कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो वर्षों से शोषित और पीड़ित हैं उनका उत्थान किया जाय। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम यदि आंकड़ों के आधार पर देखें तो आजादी के बाद 28 वर्षों में समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए काफी कुछ किया गया है। नौकरियों में, शिक्षा में और उनकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए

(श्री जगमोहनसिंह)

हर वर्ष और हर समय कुछ न कुछ करने की बात देश में की जा रही है। आपात्-कालीन स्थिति लागू होने के बाद हमारी श्रद्धेय प्रधान मंत्रीजी ने हमारे पूज्य बापू को जो सपना था उसको साकार करने के लिए सारी शक्ति और पुरजोर शब्दों से देश का, राज्यों की सरकारों को और जनता को, सबको आह्वान किया है कि इस समय के अन्दर लगकर समाज के जो पिछड़े तबके हैं उनकी दशा को दूसरी जो जातियां हैं उनके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया जाय, और हम आभारी हैं प्रधान मंत्रीजी के कि जो पूज्य बापू का शुरू किया हुआ पुनीत यज्ञ था वह आज पूर्ण होता नजर आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमर्जेन्सी के बाद इस सरकार के द्वारा, देश के अन्दर एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया है। हर स्तर पर यह क्रियान्वित किया जा रहा है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दीगर पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनका उत्थान किया जाय।

ज्यादा इस बारे में न कहकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का इस वर्ष का जो बजट है उसमें इस विभाग के जो एलोकेशन्स हैं उनको देखकर जरूर दुःख हुआ है। प्रधान मंत्रीजी का इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा आह्वान है, इतना बड़ा स्ट्रेस है, उस प्रोग्राम के लिए बजट एलोकेशन्स बहुत ही कम किये गये हैं, और मैं नहीं समझ सकता कि इतने बड़े प्रोग्राम को, इतने बड़े कार्यक्रम को चलाने के लिए इस अल्प बजट से राज्य में किस तरह के क्या कार्य किये जाने वाले हैं? इसमें एलोकेशन्स चाहे सप्लीमेन्ट्री बजट के रूप में चाहे और किसी रूप में बढ़ाये जाने चाहिए ताकि इस प्रदेश के अन्दर भी कुछ ज्यादा काम पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए हो सके।

दूसरी बात, हमारे जिले और मेरे क्षेत्र की इस सम्बन्ध में जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैंने कटौती-प्रस्ताव दिये हैं। संक्षेप में, मंत्रीजी चले गये हैं, फिर भी मेरे ख्याल से चेम्बर में या कहीं सुन रहे होंगे, वे इस बात को सुनेंगे—मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोटा जिले के अन्दर किशनगंज और शाहबाद का जो इलाका है जिसको भाई रामगोपालजी रिप्रेजेन्ट करते हैं, और अभी चन्द बातें उन्होंने वहां पर जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसके बारे में रखीं, मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस क्षेत्र में भी जो सहरिया आदिवासी रहते हैं उनको आगे लाने के लिए, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि खास जो कुछ प्रोग्राम हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। आज उस क्षेत्र के अन्दर मेरे ख्याल से करीब 80 पर्सेन्ट सहरिया लोग रहते हैं। वह एक तरह से नोमेडिक ट्राइब्स टाइप के हैं। कुछ दिन वहां पर काम करते हैं और कुछ दिन के लिए मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, और फिर आकर बस जाते हैं। पिछले 1957, 58 और 59 में भी उन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम चालू किये गये थे। जमीनें इनको वहां पर दी गई। कुछ मकानात उनके बनाये गये और दीगर सुविधाएं भी दी जाने की बात की गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद वे वहां से छोड़कर मध्यप्रदेश में माइग्रेट कर गये। जमीनें पड़त

(श्री जगमोहनसिंह)

हो गई और काफी वर्षों तक पड़त रहने के कारण कुछ लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया। उन कब्जों को हटाने की बात भी की गई है और कुछ दूसरे रूप से भी चालू किये गये हैं। मुख्य रूप से मैं यह समझ नहीं सका कि क्या सारे के सारे बन्धक मान लिये गये हैं वहां के सब आदिवासी बन्धक हैं. क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम में जो स्ट्रेस दिया गया है वह बन्धक निवृत्ति की ओर दिया गया है। जो लोग नियमित रूप से खेतों पर काम करते थे और बीच में मजदूरी भी करते थे, जो काश्त भी करते थे उन सारे के सारों को बन्धक प्रोग्राम के रूप में लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा यही आउटलुक है। लेकिन उससे बहुत बड़ी यह समस्या उन आदिवासियों के सामने खड़ी हो गई है कि एक तरफ तो मजदूरी करने से बिल्कुल उनको बन्द कर दिया गया है, और दूसरे, जैसा कि इस क्षेत्र से आने वाले विधायक बता रहे थे उनको पर्याप्त रूप में जमीनों का एलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि खेतों पर मजदूरी मत करो हम आपका प्रबन्ध करेंगे, लेकिन उस बात को 3-4 महीने हो गये। आज उन आदिवासियों की दशा यह है कि वे अपने खाने-पीने के लिए कहां से लायें? इस स्थिति में उनको खड़ा कर दिया गया है। तो मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उन आदिवासियों को तुरन्त रोजगार के साधन मुहैया कराये जायं। उनको अगर जमीन देनी है तो परमानेन्ट सेटलमेंट के साधन मुहैया कराय जायं। वहां पर अलग से बैंक खोलने की बात है तो वहां पर बैंक की शाखा खोलना चाहिए। अभी हाल में ही एक कोऑपरेटिव बैंक की शाखा वहां पर खोली गई है, लेकिन मेरी यह मान्यता है कि वह कोआपरेटिव बैंक की शाखा जिस रूप में, जिस गम्भीर रूप में प्राब्लम वहां पर खड़ी हो गयी है वह तुरन्त उसको मीट आउट नहीं कर सकती है, क्योंकि एक को-ऑपरेटिव के रूल्स जो हैं, वह इस तरह के हैं कि एक आदमी को 5 बीघा जमीन पर 150 या 200 रुपये से ज्यादा कर्जा नहीं दिया जा सकता है। और मान्यवर, आप समझ सकते हैं कि 150 या 200 रुपये से एक आदमी का रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकता है? सरकार को तुरन्त इस मामले में ध्यान देना चाहिए। रोजगार के साधन के लिए जिनको जमीन नहीं दी गई है उनको देने की भी बात करनी चाहिए और खाद, बीज वगैरह का तुरन्त उनके लिए इन्तजाम होना चाहिए, वरना वहां पर जो दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं और परम्परा से रहते आये हैं उनके साथ में एक कन्फ्रन्टेशन खड़ा कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनकी मदद नहीं की जायगी तो स्थिति में और बिगाड़ हो जायगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था, जो मेरे क्षेत्र के संबंध में है वह यह है कि आजादी के 28 वर्षों के बाद भी मेरे क्षेत्र के अन्दर जो कस्बे हैं, गांवों की तो बात ही छोड़िये, उनमें तो जब वहां पर बिजली आयेगी तब उनके मोहल्लों में पहुंचेगी, लेकिन छबड़ा और छीपाबड़ोद के कस्बे हैं उनमें हरिजनों और दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं उनके मोहल्ले में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। वहां की नगरपालिका ने बराबर एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस ओर दिलाया और मैं भी पिछले दो तीन सालों से लगातार कट मोशन

(श्री जगमोहनसिंह)
बराबर के रहा हूं कि उन बस्तियों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी मुझे उम्मीद है, माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देकर समस्या का निराकरण करेंगे।

दूसरा जो मेरा कटमोशन है, उसमें भी मैंने मन्त्री जी का ध्यान और विभाग का ध्यान इस ओर भी दिलाया है। छबड़ा क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अभी पूर्व वक्ता हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। वास्तव में वहां पर खास तौर से परिवहन की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने निवेदन किया था बहुत अच्छा रूट है। सालपुरा से छीपाबड़ोद, छीपाबड़ोद से अकलेरा, इसमें बसें चला दी जायें। मैं यह गम्भीर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वहां के मार्ग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अगर उसमें टाइम लग सकता है तो तुरन्त ही परिवहन की बसेज की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार से सालपुरा छबड़ा मार्ग है। वहां पर भी रूट का नेशनलाइजेशन किया जाकर बस व्यवस्था प्रारम्भ होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पिछले चार, छः महीने में परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। यात्रियों को सुविधा हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने अपने विचार रखे हैं। मुझे जो रिपोर्ट मिली है, आजकल जैसे आदेश हुए हैं आयन्दा ऐसी स्थिति नहीं हो। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, देश में पिछड़ा हुआ वर्ग है। उसके जीवन के लिए यह जरूरी है। हम उसके लिए यह व्यवस्थाएं रखें। देश को ऊंचा उठाना है तो अशिक्षित शिक्षित हो जायं और हर घर में बिजली पहुंच जाये। आदमी शिक्षित होगा और बिजली होगी तो वह काम करेगा। लेकिन लम्बे अर्से से यह बात होनी चाहिए वह हो नहीं पा रही है। इसमें तरक्की होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है। 1.35 लाख का उसका खर्चा आदि कर दिया गया है आगे बढ़ने को, लेकिन हम पीछे रह गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समाज कल्याण का कार्य है, यह किसी जाति विशेष के लिए, किसी ऐसे हिस्से के लिए, किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं है। यह समाज कल्याण का कार्य उस तबके के लिए है जो गिरा हुआ है। मैं यह निवेदन करूं कि चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो एक को ऊंचा और दूसरे को दबाने की कोशिश करना है। आज भी गांवों के अन्दर जहां पीने के पानी की मुश्किल पड़ती है, उस पिछड़े समाज को, क्योंकि उनकी समझ अभी यही है कि उनको कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाये। यह बहुत मुश्किल है। यह सुधार शिक्षा के जरिये से होता है। गांवों में इस प्रकार के कई परिवर्तन किये जा सकते हैं। इस प्रकार के भेद भाव को मिटा दिया जाना चाहिए। कालेज में विद्यार्थी जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था इसी प्रकार की होनी चाहिए। मुझे मालूम है, उदयपुर मेडिकल कालेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसने मुझे पत्र में लिखा है कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होता है? उनके जो प्रोफेसर वगैरह हैं, वह भी भेदभाव करते हैं। बड़ी मुश्किल करते हैं।

(श्री केशरीमल)

अगर शिक्षित होकर नौकरी में चला गया तो उसका गांवों में रहना मुश्किल हो जाएगा इस प्रकार का व्यवहार होता है, चाहे नौकरी में जाए चाहे शिक्षा में जाए तो यह दुखदायी बात है। इसका कारण यह है कि हम लोगों को शिक्षित नहीं करते हैं। और शिक्षा के अभाव में लोग अभी भी रूढ़ियों में जकड़े हुये हैं। इन लोगों के हृदय परिवर्तन कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए वह तैयार नहीं हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जहां जरूरी है, उनको पढ़ाया जाये। जो उस तबके को दबाये रखना चाहते हैं, उनको शिक्षा दी जाये ताकि वह ऐसा न करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें रुकावट है। ऐसे होस्टल्स हैं, उनकी कितनी संख्या है और कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे होस्टल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो विद्यार्थी वहां रहते हैं उनकी गुलामी की प्रवृत्ति नहीं हो बल्कि उनके साथ में खाने पीने का व्यवहार इस तरीके से किया जाता है, हर प्रकार की व्यवस्था करके वह उनको दबाये रखना चाहते हैं। बच्चों का कोमल दिमाग होता है, उनको तंग करने से हानि होती है, उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए ज्यादा होस्टल्स हों, और उनमें विद्यार्थियों को ज्यादा भर्ती किया जाये यह आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां उनका खाना पीना जो कुछ भी है, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है। कभी कभी पिटाई भी होती है। यह बड़ी जबरदस्त कमी इस मौजूदा बजट में है। आज जो बीस सूत्री कार्यक्रम का माहौल चल रहा है और इस मद में जो कमी है उससे कोई तालमेल नहीं है। होना यह चाहिये था कि बजट में इस प्रकार का प्रावधान होता, जिससे उनको सुविधायें मिल सकती और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुँचती और उनको भी कुछ काम सिखाने की व्यवस्था हम कर पाते। ऐसा नहीं होने की वजह से उनकी हालत और गिरती जा रही है, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी देखने की बात है कि जो विद्यार्थी इन कालेजेज में और मेडिकल कालेजों में पढ़ने के लिये जाते हैं उनको जो वजीफा दिया जाता है वह बहुत ही कम है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो वजीफा मिलता है वह बहुत ही नाकाफी है और जो भी मिलता है उसमें भी बहुत देर होती है। इसी प्रकार से और विद्यार्थियों को जो वजीफे दिये जाते हैं वह भी बहुत नाकाफी हैं और बहुत ही कम मात्रा में दिये जाते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके घरों पर उनके पिता काम करने वाले नहीं हैं और उनकी मातायें उनको बड़ी तकलीफ पाकर पढ़ाती हैं, उनके लिए कोई काम की व्यवस्था होनी चाहिए और उनका वजीफा बढ़ाया जाना चाहिए तभी वे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति को रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये और जो भिखारी लोग इधर उधर घूमते हैं उनको किसी काम धन्धे से लगाना चाहिए, जिससे उनको कोई रोजगार का साधन मिल सके और वे अपनी भिक्षावृत्ति की आदत को बदल सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों का इस्तेमाल भिक्षावृत्ति के लिये करते हैं। कुछ बच्चे

(श्री केशरीमल)

जो घर से भाग जाते हैं या उनको भगा दिया जाता है, उनका अंग भंग करके मार-पीट कर, या अंधा करके उनको भिक्षावृत्ति के लिये तैयार करते हैं और उनसे यह पेशा करवाते हैं या और कोई दूसरे गलत काम करवाते हैं। स्मगलिंग के धन्धे इसी प्रकार के धन्धे में या सामान को भेजने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं या जिनको भगा दिया जाता है या जो आवारा हो गये हैं उनके खाने पीने की, रहने की और उनको काम सिखाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे गलत रास्तों पर नहीं जाकर सही रास्ते पर चल कर जीवन बिता सकें। इसके अलावा ऐसी बहुत सी माताएं और बहिनें हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कई ऐसी हैं जो कि विधवा हो गई हैं जिनका कोई किसी प्रकार का जीवन-यापन का सहारा नहीं है। उनके लिए भी किसी प्रकार के धन्धे की सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वे मान के साथ अपना जीवन बिता सकें उनको पैसा भी मिले और उनमें एक स्वावलम्बी की भावना आये और वे यह समझें कि यह कोई भीख का पैसा नहीं है, उनके काम का पैसा है। इसके लिए उनको काम दिलाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए और कोई ध्यान मुकर्रर होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। जो बच्चे होस्टलों में रहते हैं या जो कि आवारागर्दी करते फिरते हैं उनकी भी शिक्षा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ उनको काम भी दिया जाना चाहिए और उनके लिए ऐसे स्कूल और जगह स्थापित करने की व्यवस्था की जाय कि ऐसी माताएं और बहिनें जिनके कि कोई सहारा नहीं है उनको भी छोटे-मोटे काम सिखाये जायं और वे स्वावलम्बी बन सकें और अपने पावों पर खड़े हो सकें। इसके साथ साथ हम उनको जितनी भी मशीनरी और दूसरी सहूलियतें दे सकते हैं वह भी उनको दी जानी चाहिए। उनके लिए सरकार की तरफ से छोटे-मोटे उद्योग खोले जाने चाहिए जिससे बच्चों और महिलाओं को रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध कराये जा सकें। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो शरीर से अच्छे हैं और फिर भी भिक्षावृत्ति करते हैं उनको भी काम में लगाया जाना चाहिए आज हम कई जगह पर देखते हैं कि बाहर से जो टूरिस्ट हमारे यहां पर आते हैं उनसे भीख मांगी जाती है और उनको अपशब्द भी कहते हैं जिससे हमारे देश की बड़ी बदनामी होती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उनको वहां से हटाया जाय और उनको शिक्षित किया जाय, साथ ही साथ उनको काम दिलाया जाय। इस तरह से और भी कई उपाय इसके लिये काम में लाये जा सकते हैं। सहकारी समितियों के जरिये भी उनको काम सिखाने के केन्द्र खोले जा सकते हैं, होस्टल में भी बच्चों को यह शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए अगर आप इस तरफ ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे तो इनको आगे ले जा सकेंगे और नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी मेरा यही निवेदन है, जैसा कि मैंने कहा····

श्री गौरीशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : No quorum in the House.

एक माननीय सदस्य : सुनने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम बैल बजाइये।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री केशरीमल : तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था, मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया कि यह रोशनी घर घर में पहुंचायी जायगी तो हम एक बहुत बड़ा काम समाज के लिये कर सकेंगे और यह काम समाज कल्याण विभाग के जरिये पूरा हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिये मोहल्ले मोहल्ले में प्रौढ़ शिक्षा की स्कूल लगे, शाम के टाइम। जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है उनको अक्षर ज्ञान कराया जाय। समाज कल्याण विभाग के सामने इसी तरह के और भी कई काम हैं, इन कामों को करके लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा यह भी कहना है कि ऐसे बहुत से अपंग लोग हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, उनकी पेन्शन होना बहुत ही आवश्यक है, उनको उनके शरीर के मुताबिक, हाथ से काम करने वालों को हाथ का और पैरों से काम करने वालों को पैरों का काम दिया जाय ताकि पेन्शन के साथ-साथ उनको कुछ और भी पैसा मिल सके। आपने जो 30 रु. की पेन्शन रखी है यह बहुत ही नाकाफी है आज के मंहगाई के जमाने में और वह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसा मालूम हुआ था कि उनकी पेन्शन के नियम जो हैं उनको सरल किया जा रहा है। मेरे देखने में आया है, मुझे बहुत ताज्जुब है कि लोगों को डेढ़ डेढ़ साल हो गया है अर्जियां दिये हुए और उनकी अभी तक पेन्शन मन्जूर नहीं हुई। मुझसे कई लोग मिले भी, अजमेर जिले के तीन-चार-पांच आदमियों के तो मुझको नाम भी मालूम है, उनकी अर्जियां डेढ़-डेढ़ साल से पड़ी हुई हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। आखिर उनको ऐसी तकलीफ क्यों दी जा रही हैं ? वे तो पहले से ही तकलीफ में हैं, उनको शीघ्र पेन्शन मिलनी चाहिए और पेन्शन के नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में देखने में यह आ रहा है कि उनको लम्बे अर्से से परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कोशिश की जानी चाहिए जिससे उनको जल्दी ही पेन्शन मिल सके और उनको सहारा मिले। उनको कुछ काम भी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा 30 रु. में एक आदमी किसी भी हालत में अपना पेट नहीं भर सकता। यह जरूरी है कि इसी तरह से पेंशन बढ़ाई जाय और साथ में काम का तरीका, कुछ इस तरह का किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण, गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स ऐसी जाति हैं, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण उनको पानी प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। शहरों में भी मुश्किल पड़ती है। सदन में यह बात कई बार आ चुकी है और इस सदन में राज्य सरकार द्वारा यह कहा भी गया है कि ऐसे मोहल्लों में पानी और रोशनी की व्यवस्था जल्दी की जायेगी। लेकिन आज भी ब्यावर के अन्दर शहर में ऐसी समस्या है

(श्री केशरीमल)

जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं वहां पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण झगड़े-फसाद होते हैं। पानी की व्यवस्था और लोगों के लिए होती है लेकिन जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था में फर्क क्यों? इस फर्क को मिटाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था आप करें ताकि ऐसे इलाकों में पानी और रोशनी पहुंचे।

जहां तक हरिजनों द्वारा मैला साफ करने की व्यवस्था है, पहले सरकार ने कुछ कोशिश की थी और कुछ जगहों पर कुछ गाड़ियां और बाल्टी वगैरह दीं। मेरे ख्याल में कुछ जगह दी गई हैं। ब्यावर में काफी दी गई हैं, और ब्यावर में सिर पर मैला उठाने की बात दूर हुई है। पहले एक अभियान चलाया गया था कि जो शौचालय हैं उनका फ्लश के शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जाय। उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया था। पुराने शौचालयों को बदलना आवश्यक है। जो शौचालयों की व्यवस्था कर रहे हैं वह हर मकान में जरूर की जानी चाहिए। कोई मकान बनाये तो नये तरीके के शौचालय बनाये और पुराने तरीके के शौचालय बनाने की व्यवस्था न रहे। यह बात होगी तब तो यह सिर पर मैला उठाने की बात धीरे-धीरे बन्द हो जायगी, वरना पुरानी व्यवस्था चलती रही तो यह बात चलती रहेगी।

इसी प्रकार से ऐसी जाति के लोग हैं उनके सामने आवासीय समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसी जातियों को आवास के लिए भू-खण्ड मिल जाय यह कोई मायने नहीं रखता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-सी जगह भू-खण्ड दे भी दिये गये हैं, लेकिन भू-खण्ड प्राप्त होने के बाद, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मुहैय्या किया जाता है, उसी प्रकार से जमीन किसी प्रकार से प्राप्त कर लें तो जमीन पर मकान बनाने के लिए पैसा और सामान नहीं दिया जाता है। आप जमीन के टुकड़े देते हैं, उसके साथ ऐसी कोशिश कीजिये, जिस इलाके में जैसी आवश्यकता है, लकड़ी की, खपरैल की, जैसा वह मकान बनाते हैं उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता है वह दे दिया जाय, ताकि कच्चा मकान बना कर वह रहें। आप खाली प्लाट दे दें और पैसा आप दें नहीं–यह व्यवस्था नहीं हो, पैसा नहीं दिया जाय, सामान नहीं दिया जाय तो वह कैसे मकान बना सकते हैं? यह जरूरी नहीं है कि पक्के मकान बना कर ही दिये जायं। कच्चे मकान हों, छत वगैरह के लिए सामान दे दिया जाय, नालीदार चद्दर की व्यवस्था कर दी जाय। यह व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों को इन कामों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मकान गांवों में, शहरों में जहां भी बनें विद्यार्थी वहां टोली बनाकर जायं और मकान बनाने में सभी प्रकार की मदद दें। ऐसे कामों में वह जुट जायं तो उनका समय भी कट सकता है और सामाजिक हित के काम भी कर सकते हैं और इससे देश के उत्थान में भी उनका योगदान होगा। यह होना चाहिए। इस प्रकार की योजना केरल में लागू की गई है। वहां पर एक लाख मकान बना कर ऐसे लोगों को दिये हैं।

(श्री केशरीमल)

गवर्नमेंट ने कहीं लकड़ी की व्यवस्था की है, लोगों ने ईंटें थापी हैं और विद्यार्थियों ने जाकर मदद दी है। ऐसे काम करने की ओर उनका ध्यान लगाना चाहिए, उनके अन्दर इस प्रकार की भावना लानी चाहिए। यह मेरा निवेदन है. . .

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिये।

श्री केशरीमल: मैं समाप्त कर रहा हूं जल्दी।

मुझे यह निवेदन और करना है कि यह जो आपको गाड़ियों से टैक्स की आमदनी होती है, उसमें बहुत बड़ी चोरी होती है। मेरा निवेदन करना है, यह जो गाड़ियां हैं प्राइवेट, इन प्राइवेट गाड़ियों में वह लोग अस्सी सवारी बिठायेंगे, पच्चीस तीस के टिकट काटेंगे और पचास के टिकट नहीं काटेंगे। इससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता नहीं और वह ज्यादा सवारियां बिठाकर ज्यादा कमाते हैं। इस तरह से यह डबल मुनाफा खाते हैं। इस ओर आपको देखना चाहिए और गाड़ियों की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अजमेर रोड पर आप देखेंगे, हर ट्रक में दस बीस आदमी बैठे होते हैं। इससे दुर्घटना होती है। एक तरफ तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता नहीं है टैक्स का, दूसरी तरफ कभी-कभी दुर्घटना होती हैं। तीन रोज पहले एक ट्रक उलट गया, उसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। एक-एक ट्रक में दस पन्द्रह आदमी बैठते हैं–यह व्यवस्था क्यों चलती है? इसका कारण है कि गाड़ियों की कमी है। गाड़ियों की ठीक व्यवस्था हो जाय तो पैसा मिलेगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। पूंजी वाले जिनकी गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया है, किसी और नाम पर गाड़ी चलाते हैं। वह गाड़ी चलाते हैं टैक्सी के रूप में। बहुत सी बसों को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाना बन्द नहीं किया है। वह गाड़ी चलाते हैं और इस प्रकार टैक्स की चोरी करते हैं। मेरा निवेदन करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय. . .

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री केशरीमल: बात पूरी कर दूं।

मैं निवेदन करूंगा कि गाड़ियों की ठीक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ज्यादा गाड़ियां चल जायं और गवर्नमेंट· · · ·

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

को भी ज्यादा आय हो।.

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण और वाहन कर इन दोनों के सम्बन्ध में मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं समाज कल्याण पर आता हूं। समाज कल्याण विभाग के लिए इस वर्ष जो प्राविजन रखा है सामाजिक प्रावधान रखा है, उसमें सुरक्षा एवं कल्याण दोनों ही शामिल हैं। 1975–76 में 11.86 करोड़ का प्रावधान था, वहां 1976–77 में 5.24 करोड़ रखा है, पेज 19। मेरी समझ में नहीं आता, जब कि हम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हाथ में लेने पर हमारा सबसे प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि वीकर सेक्शन्स, जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, की स्थिति में सुधार लायें। लेकिन जो प्राविजन हम कर रहे हैं, इस प्रकार का प्राविजन कर रहे हैं कि 1975–76 से कम प्राविजन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से स्थिति को सुधार पायेंगे ? यह प्रश्न उठना स्वभाविक है।

दूसरा प्रश्न यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना–इन योजनाओं में हमने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, हमने राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी की। पर प्रश्न यह उठता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा। हमको बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी यह देखना है कि फर्स्ट जुलाई 1975 से हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है और 21 मार्च, 1976 और फिर उसके बाद में 30 जून, 1976 तक आप इनकी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार कर रहे हैं और उनके विकास की दर और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ते हैं। उससे हम अनुमान लगायेंगे कि बीस सूत्री कार्यक्रम को किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है। हमने कान्स्टीटयूशन बनाया, कान्स्टीटयूशन के अन्दर अस्पृश्यता निवारण के लिए रखा और उनको समान अधिकार--यह सब दिये और इसके बारे में हमने कानून भी बनाया। पर प्रश्न यह उठता है कि इस कानून के बनने के बाद हमने कितनी सफलता प्राप्त की ? क्या हमारे यहां आजादी के अट्ठाईस साल बाद में भी छुआछूत समाप्त हुई ? अभी तक छुआछूत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायों में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं और जो कार्य चल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों और सवर्ण लोगों में भेदभाव है और जो कुएं पहले बने हुए हैं, में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की कोई हिम्मत नहीं है कि वे आकर वहां से पानी पी लें यद्यपि उनमें राजकीय सहायता मिली है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे वास्तव में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को मदद देना चाहते हैं तो इस विषय पर आदेश दें और उनका परिपालन कराना भी आवश्यक है कि जिन कुओं में राज्य की सहायता है, जो कुएं जनता के लिए हैं, और जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें राज्य सरकार की सहायता से बनी हुई हैं, उनमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा और भेदभाव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की इन्सट्रक्शन्स जिलाधीशों को भेजनी चाहिए और उनका इम्पलीमेंटेशन हो और इम्पलीमेंटेशन के लिए कभी अभियान चलाने की आवश्यकता हो तो ऐसा किया जाए। म्यूटेशन के लिए जब अभियान चलाया जाता है तो फिर इसके लिए क्यों नहीं कि जो कुएं राजकीय सहायता से बनाए गए हैं और जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें राज्य की सहायता से बनाई गई हैं, उन पर तो हम सख्ती करें

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसके अलावा, जो हरिजनों के सर पर मैला ढोने की कुप्रथा है, वह हमारे लिए कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमने किए भी। नगरपालिकाओं को राज्य सरकार ने मदद दी और कुछ इसमें प्रगति भी हुई परन्तु मैं चाहता हूं कि कुछ माडल नगरपालिकाओं को हाथ में लेना चाहिए ताकि उन माडल नगरपालिकाओं में सम्पूर्ण तौर से यह सर पर मैला ढोने की कुप्रथा बंद हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कौन-सी नगरपालिकायें हैं जिनमें यह कुप्रथा सम्पूर्ण तौर से बंद कर दी।

सुश्री शंकुतला श्रीवास्तव : कोरम नहीं है।

(गणपूरक–घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चीफ व्हिप भी मोजूद नहीं हैं, बहुत गम्भीर स्थिति है, न मंत्रीगण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार फिर घंटी बजाई जाए।

(गणपूरक–घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

Please continue.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 6 मार्च को बाड़मेर जिले की अनुसूचित जाति व जन जाति सलाहकार समिति की बैठक हुई और यह प्रश्न आया। हालांकि यह हमारे जिले की कमजोरी का प्रश्न है, तो भी उल्लेख करना आवश्यक होगा अनुसूचित जाति व जन जाति की कन्याएं, जो छठी कक्षा से दसवीं तक पढ़ती हैं, उनसे किसी को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे जो पिछड़े हुए जिले हैं रेगिस्तानी क्षेत्र के, जिनमें छठी से दसवीं तक एक भी कन्या पढ़ने नहीं आती, न नगर में और न ग्रामीण क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की विशेष तौर से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एजूकेशन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वे बिल्कुल पिछड़े हुए रह जायेंगे।

दूसरा मेरे जिले का प्रश्न बता रहा हूं। बाड़मेर नगर जिले व तहसील का मुख्यालय है। इस मुख्यालय पर कोई अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं। बाड़मेर तहसील की 3। लाख आबादी है, सबसे बड़ी तहसील है, उस तहसील में किसी भी स्थान पर अनुसूचित जातियों का बोर्डिंग हाउस नहीं है। तो इसके खोलने से बाड़मेर तहसील की भी आवश्यकता की पूर्ति होगी और अनुसूचित जाति के लोगों की जो संख्या बाड़मेर जिले में अधिक है और बाड़मेर तहसील में अधिक है उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति होगी। इसलिए 31 मार्च, 1976 से पहले इस बारे में स्वीकृति दी जानी चाहिए और मंत्रीजी आज ही घोषणा कर दें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा और पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए वरदान का काम करेगा। छात्रवृत्ति के लिए मैंने मालूम किया है कि बाड़मेर जिले में इन जातियों के 30 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और 70 प्रतिशत को नहीं मिलती है। इन जातियों के छात्रों को केवल मेरिट के आधार पर हम छात्रवृत्ति देते हैं, इसलिए मैं विभाग की प्रशंसा करता हूं कि बराबर मार्क्स के आधार पर वे देते हैं। पर उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 30 प्रतिशत बच्चे ही उसका लाभ उठाते हैं और बाकी जो 70 प्रतिशत हैं वह उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमने जो अभी 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किये हैं और उसमें हमने इन लोगों को ऊपर उठाने का काम हाथ में लिया है तो आप जो छात्रवृत्ति उन बच्चों को दे रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिये। आप अगर उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपको इनकी छात्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि क्लास 6 से लेकर आठवीं क्लास तक के बच्चों को कितने रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। वह मिलती है सिर्फ 5 रुपया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आजकल अगर आप किसी छठी से लेकर आठवीं क्लास के लड़के को सिर्फ पांच रुपये छात्रवृत्ति देते हों तो उसको क्या लाभ मिलता है? आज कल के जमाने में 5 रुपया क्या वकत रखता है? आजकल के जमाने में पांच रुपये की क्या कीमत है? इससे उन बच्चों को क्या सहारा मिल पाता है? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि क्लास छठी से लेकर आठवीं क्लास के बच्चों को यह छात्रवृत्ति पांच रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देनी चाहिये।

इसी प्रकार जो लड़के कक्षा आठ से आगे ग्यारहवीं क्लास में पढ़ते हैं उनको सिर्फ 20 रुपया ही छात्रवृत्ति मिलती है। उसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इसको 40 रुपये किया जाना चाहिये ताकि उन बच्चों को कोई वास्तविक मदद मिले। यह बात सही है कि आपने उन लोगों को मेडिकल फेसिलीटीज देने का प्रावधान भी किया है लेकिन जब तक आप उन्हें पूरी छात्रवृत्ति नहीं देते तब तक आप उनका पूरा भला नहीं कर पायेंगे। और आप 20 सूत्री कार्यक्रम को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो आपको उन बच्चों की छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा तथा धनराशि भी बढ़ानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि समाज कल्याण मन्त्रीजी समाजवादी विचारों के हैं, बहुत ही प्रगतिशील हैं और वह इसको महसूस करते होंगे कि वास्तव में उन लोगों को कम पैसा मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ मैं यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ छात्रावासों के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा। तीन तरह के छात्रावास हैं, पहला राजकीय छात्रावास, दूसरे अनुदानित छात्रावास, तीसरे थर्ड क्लास छात्रावास। यह थर्ड क्लास, यानि तृतीय क्लास के जो छात्रावास हैं, उन्हें तुरन्त बन्द करना चाहिये क्योंकि वहां पर किसी प्रकार कोई सुविधा उन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। उनकी बहुत ही बुरी हालत है। वह कोई अच्छी तरह नहीं चलते हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि उन्हें अपने हाथ में ले ताकि उनकी हालत सुधरे। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी का मेम्बर था, इसलिये मैं उस कमेटी के साथ राजस्थान में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कई जगहों पर घूमा हूं और मैंने उन छात्रावासों की हालत देखी है। जो अनुदान आप उन छात्रावासों को देते हैं उस एड से ही वह लोग काम चलाते हैं। नतीजा यह है कि वह खुद तो कोई पैसा लगाते नहीं हैं, कोई दूसरी एड उनको प्राप्त नहीं होती है, इसलिये उनकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि उनको अपने हाथ में लेकर चलायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि उन छात्रावासों में जो लड़के रहते हैं उन्हें खाना तो अच्छा मिलता नहीं है और अच्छा खाना नहीं मिलने के कारण उन बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ही खराब होता है और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उन बच्चों का दिमाग भी अच्छा नहीं होता। ऐसी हालत में वह लोग क्या कम्पीटीशन में आगे आ सकेंगे ? आप जो 60 रुपये देते हैं वह बहुत ही कम है उसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो वह बच्चे ओपन काम्पीटीशन में दूसरों के अगेन्स्ट में कहीं भी स्टेन्ड नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यही सबसे बड़ा कारण है कि हमको रिजर्वेशन इन लोगों के लिये रखना पड़ता है। अगर आप इनके लिये कोई रिजर्वेशन नहीं रखें तो मैं समझता हूं कि आप को इस विधान सभा में पांच से ज्यादा सदस्य भी नहीं मिल पायेंगे। यह पांच विधान सभा के सदस्य चुने जाने की बात जो मैंने कही है यह डरते-डरते कही है। यह पांच सदस्य भी उन जगहों से आ पायेंगे जिन जगहों में शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बहुत अधिक मात्रा में पोपूलेशन है, जैसे आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बाकी तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग आपके कम्पीटीशन में नहीं आ पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी भारत सरकार ने पहले इनका रिजर्वेशन दस साल के लिये रखा, फिर दस साल एक्सटेन्ड किया और फिर दस साल और एक्सटेन्ड किया और हमें दस साल इसको और एक्सटेन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इन लोगों में अभी तक राजनैतिक स्तर पर कोई विशेष जागृति नहीं आयी है। इसलिये मैं कहता हूं कि आपको इनके लिये अभी भी दस साल और रिजर्वेशन करना पड़ेगा और उस समय तक करना पड़ेगा जब तक यह लोग खुद इन्डिपेन्डेन्ट अपने पैरों पर खड़े होकर आपके कम्पिटीशन में नहीं आजायें। इसलिये हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में इस पर विशेष जोर दिया। क्योंकि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से लेकर फोर्थ फाइव ईयर प्लान तक हमारे यहां जितने भी इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के लिये काम किये इससे इन लोगों का पूरी तरह से कल्याण नहीं हो सका। इसलिये यह 20 सूत्री कार्यक्रम में जोरों से लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा वाहन कर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वाहन कर पर डिमान्ड प्रस्तुत की जा रही है। इसके अन्दर मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो आपके यहां पर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
यह थ्री व्हीलर्स चलते हैं उनकी आपने अभी तक कोई रेट्स फिक्स नहीं कर रखी हैं और अगर कोई फिक्स कर भी रखी हैं तो उसके अनुसार पैसे नहीं लिए जाते हैं। यह थ्री व्हीलर्स वाले जो मर्जी चाहे पैसे यात्रियों से वसूल कर लेते हैं। इसलिए अगर आपने रेट्स फिक्स कर दी हैं तो उनका इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अहमदाबाद गया, वहां पर आप जगह का नाम बता दीजिये और थ्री व्हीलर में बैठ जाइये। रेट्स फिक्स है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार दिल्ली में भी इन थ्री व्हीलर्स की रेट्स फिक्स हैं। लेकिन यहां पर जयपुर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यह थ्री व्हीलर वाले अधिक से अधिक पैसे चार्ज करते हैं।

श्री विजयसिंह : आपका एक्सीडेन्ट भी तो इस थ्री व्हीलर से हुआ था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी इसी थ्री व्हीलर्स की चपेट में आ गया। मेरा एक्सीडेन्ट हुआ। हालांकि वहां पर दो पुलिस कान्सटेबल ड्यूटी पर थे पर यह भी पता नहीं लग पाया कि एक्सीडेन्ट कौन से थ्री व्हीलर वाले ने किया। अगर एक एम. एल. ए. का एक्सीडेन्ट हो जाये और उस एक्सीडेन्ट करने वाले का पता नहीं चले तो किसी पब्लिक मैन के बारे में क्या कहा जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो गाड़िया बसेज वगैरह चलती हैं चाहे वह प्राइवेट बस वाले की बस हो, चाहे आपके राजस्थान स्टेट रोडवेज की बस हो, इनकी हालत बहुत खराब है। वह कभी भी किसी रूट पर जाती हैं तो दो तीन घन्टे जरूर लेट होती हैं क्योंकि गाड़ियों की हालत खराब होने के कारण वह रास्ते में खराब हो जाने से पड़ी रहती हैं और इन रूट्स पर जो इन्सपैक्टर्स हैं उनकी हालत तो कुछ और ही है। वह लोग कभी रूट पर तो रहते नहीं जनरली उस बस मालिक के यहां पर बैठे रहते हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बसें हों। आज हमारे बाड़मेर में जो इन्सपैक्टर्स हैं उनकी तो यही हालत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसी लिए तो उन रूट्स को हम जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ले रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ठीक है, आप जल्दी उन्हें हाथ में लीजिये। गाड़ियों की हालत खराब, गाड़ियों की सीटों की हालत खराब और ट्रकें व बसेज जो भी चलती हैं उन पर इन्सपैक्टर्स का कोई नियन्त्रण नहीं है। उनके पैसे बंधे बंधाये हैं, जो पर्सेन्टेज उनका फिक्स है वह उन्हें पर्मानेन्ट मिल जाता है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कहूंगा कि आज जो हमारे वहां पर इन्सपैक्टर्स हैं उनकी इनकम हमारे जो राज्य के होम कमिश्नर हैं उनसे भी ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : आपका एक्सीडेन्ट हुआ और पकड़े नहीं गये इसलिये अपने अनुभव की बात करते हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने तो हिसाब लगाया है तब कह रहा हूं, आप तो फोर्थ क्लास के स्टूडेन्ट हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो सुझाव मैंने दिये उन पर ध्यान दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री नानालाल ।

श्री नानालाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, पर बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता। अभी सदन में समाज कल्याण विभाग की मांग पर बहस चल रही है। इस समय कितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं इससे ही आपको पता चल जायेगा कि सदन के माननीय सदस्यों में इसके बारे में कितनी चाह है । जहां तक सवाल समाज कल्याण विभाग के माननीय मन्त्री जी के यहां बैठने का है, उसका कारण तो बन्दिश है, उसकी वजह से उन्हें यहां बैठा रहना पड़ रहा है। अगर बन्दिश नहीं होती तो वह कभी के यहां से चले जाते ।

खैर ! सबसे पहले मैं, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समाज कल्याण बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । राजस्थान में जो समाज कल्याण बोर्ड बना हुआ है जो सदस्य है बोर्ड के उनमें ज्यादा संख्या समाज के दूसरे वर्ग के लोगों की है । पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिये सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये । और इस बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को लिया जाना चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग का कुछ भला हो सके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके सदस्य यहां हाउस में कम हैं अभी ।

श्री नानालाल : आप गिन लें, हमारे सदस्यों की मेजोरिटी है यहां पर ।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बोर्ड का पुनर्गठन करके इस बोर्ड के अन्दर कम से कम 75 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को मेम्बर बनाया जाना चाहिये ताकि जो सुधार आप इन लोगों के लिये करना चाहते हैं वह पूरी तरह हो सके। नहीं तो आप इन लोगों को जो लाभ देना चाहते हैं वह किसी भी हालत में नहीं दे सकेंगे । आज जो हमारे यहां खादी बोर्ड है उसमें भी यह हालत है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की सदस्यता उस बोर्ड में बहुत कम है । उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि वह लोग छुआछूत में इतना विश्वास करते हैं कि उस बोर्ड में किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई पोस्ट देना ही नहीं चाहते। आपका समाज कल्याण विभाग क्या करता है ? जिलों में सब जगह विभाग खोल रखा है लेकिन कहीं जाकर उन्होंने कभी दौरा किया है ? कहां समाज कल्याण के स्कूल चल रहे हैं, कहां समाज कल्याण के छात्रावास चल रहे हैं इसकी भी इनको जानकारी करने की फुर्सत नहीं है। आपने इसका कभी विचार नहीं किया क्योंकि आपको फुर्सत है ही नहीं। जिस तरह हनुमान जी को उकसाया और उनको अपनी शक्ति का

(श्री नानालाल)

पता लगा उसी तरह हम आपको भी कह देते हैं तो कहीं आपको भी जोश आ जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप अपने विभाग को सुधारिये और उसको इस काम के लिये प्रेरित करिये कि वास्तव में समाज कल्याण विभाग में जिस ढंग से काम होना चाहिये वह हुआ है या नहीं ?

आरक्षित स्थान की पूर्ति किसी भी विभाग में नहीं होती है और सिर्फ यह कह कर टाल दिया जाता हैं कि योग्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह अयोग्य कैसे हो गया ? जब योग्यता को फुलफिल करता है तभी तो वह आता है लेकिन क्योंकि आप चाहते नहीं हैं, आप लेना नहीं चाहते हैं इसलिए आपका विभाग देखता नहीं है और किसी भी विभाग में आरक्षित स्थान की पूर्ति नहीं होती है। तो आपको देखना चाहिये लेकिन आज तक कभी भी नहीं हुआ है। आप बता सकते है तो अपने जवाब में बताइये कि हमने देखा है और गौर किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : वह विभाग जी.ए.डी. के पास है-रोस्टर सिस्टम वाला...

श्री नानालाल : आप समाज कल्याण के तो हैं....

श्री मोहन लाल छंगाणी : नहीं, वह तो रोस्टर सिस्टम से रिलेटेड है।।

श्री नाना लाल : यह तो आपका कर्तव्य ही है। विभाग आपके पास है आपको देखना तो चाहिये ही। मैं उदाहरण के तौर पर राजसमन्द की बात निवेदन करूंगा- राजसमन्द के हरिजन लोगों को करुण कहानी सुनाता हूं। पंचायत समिति घाटोली है, वहां के हरिजनों ने अपनी कहानी भेजी है वहा की हरिजन लड़कियां, भौरी पुत्री बीणा, घापी पुत्री देऊ इन बहुत सारी लड़कियों को...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उनकी खुद की शिकायत है क्या ?

श्री नानालाल : भौरी पुत्री लादू किशनी पुत्री नाथू.....हां, हां, बताऊंगा नामजद है।

(व्यवधान)

इन लड़कियों को एक रेगर ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर बेच दिया और उसकी रिपोर्ट थाने में है। अब हरिजनों के पास कहां पैसा है जो पुलिस अधिकारियों को दें। वे तो बेचारे गरीब हैं, उनकी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई...

(व्यवधान, अश्रव्य)

उसमें राजपूत लोगों का हाथ है, रेगर के द्वारा तो ले जाई जाती हैं क्योंकि वह तो उनका एजेन्ट है। राजपूत ले जाते हैं और अपनी बीवियां बना कर रखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण को भी, और पुलिस विभाग को भी, जो निष्क्रिय हैं, उसमें मदद करनी चाहिये और उस विभाग को भी जगाना चाहिये कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो कोई कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये। उन्होंने डी.आई.जी., आई.जी. और मिनिस्टर साहब को भी एप्लिकेशन्स दी हैं लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। जो व्यक्ति ले जाने

(श्री नानालाल)

वाला वहां मौजूद है, उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं। हमने जब सरपंच से कहा तो सरपंच भी कहता है, भाई देखेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय आपको इस बारे में कुछ ख्याल करना चाहिये।

छात्रावासों की हालत इतनी खराब है कि कोई निवेदन ही नहीं कर सकता हूं। जो आपके अनुदान से छात्रावास चलते हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि जितना पैसा मिलता है उसमें आधा पैसा तो रख लेते हैं और आधा पैसा खर्च करते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये और जो अपूर्ण छात्रावास हैं उनकी ओर भी आपको देखना चाहिये। राजसमन्द में एक अनुदान प्राप्त छात्रावास चल रहा है–समाज कल्याण विभाग द्वारा उसको गत वर्ष बन्द कर दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, जो छात्र वहां रहते थे, उनके लिये आपने क्या प्रबन्ध किया है? आपके पास कोई सूचना नहीं है, आपने उनकी कोई व्यवस्था की है? और अगर की है तो मुझे बताने की कृपा करेंगे। मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं।

आवासीय भू-खण्डों के लिये जो सरकार ने भू-आवंटन किये हैं, उनके मकान तो बन नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग को देखना चाहिये और जितनी मदद हो सके आपको दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। यह आपका परम कर्त्तव्य है। मैं आपसे इतनी आशा करता हूं, क्योंकि आप इन्ट्रेस्टेड हैं कि छोटी जातियों का उद्धार हो और हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में जो मेन उद्देश्य है वह इन पिछड़ी और हरिजन जातियों के उत्थान का है। किस प्रकार उनका भला हो, किस प्रकार वे मकानों में रहने के काबिल हों, और उनको विश्वास हो कि सरकार हमारे लिये व्यवस्था कर रही है। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पब्लिक स्कूलों में आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8 लाख की जन संख्या में से 45 और 15 छात्रों को पब्लिक स्कूल में भर्ती करने का आपने उन स्कूलों में बताया है। जहां इतनी बड़ी संख्या है वहां केवल यह कह देते हैं कि इतने मार्क्स वाले विद्यार्थी नहीं मिले। मुझे दुःख होता है। जब राज्य सरकार चाहती है कि इस जाति का उत्थान हो और सेंटर से इस प्रकार की व्यवस्था है कि पिछड़ी कौम का उद्धार होगा तभी उनका आर्थिक कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बावजूद भी मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता है।

माननीय मंत्री महोदय, जो आपके समाज कल्याण विभाग ने भंगी कष्ट निवारण के लिये किया है, मैला ढोना पड़ता है, वह भी स्कूटर हर मोहल्लों में जा सकते हैं, इसी उद्देश्य से स्कूटर एलाट किये हैं। हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं और आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसलिये मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। लेकिन क्या आपके विभाग ने कभी इस बात को देखा है कि आपके स्कूटर किस काम में आ रहे हैं? एक स्कूटर 15 हजार के अनुदान में दिया जाता है लेकिन यह नहीं देखा कि क्या काम आ रहे हैं। जिला लेवल पर अभी चार साल में एक मीटिंग बुलाई है। समाज कल्याण अधिकारी

(श्री नानालाल)
ने चारों साल के अर्से में एक मीटिंग बुलाई और वह भी आब्जेक्शन आने के बाद बुलाई है। आप देखिये कैसे काम चलेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं जितना भी मैं आपके सामने रोना रो रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देकर कार्य करेंगे तो जरूर उद्धार होगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके पीछे एक पुलिस मंत्री भी विराजे हैं, तो मेरा निवेदन है पुलिस को भी सक्रिय कीजिये और जो इनके प्रति अन्याय होता है उनसे बचाने के लिये आप इनसे कहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपके कहते ही मदद के लिये आ गये हैं।

श्री नानालाल : करों की चोरी के बारे में थोड़ा-सा निवेदन कर देता हूं। जितने जिला लेवल के अधिकारी हैं उनका तो एक उद्देश्य होता है कि अपना मासिक पैसा वसूल करना ट्रक वालों से, पैसेन्जर गाड़ी वालों से। कर वसूल करना नहीं है, अपना पैसा वसूल करने, अपना मासिक पैसा जो बन्धा होता है, उसको वसूल करने जाते हैं, उसके बाद चाहे जितनी सवारियां यह बैठायें उनके लिये कोई रोक टोक नहीं हैं। इसलिये उधर भी ध्यान देना चाहिये। इतनी भी बात कहते हुआ और माननीय मंत्री महोदय को अपने सुझाव देते हुये अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल।

श्री रतीराम।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : Shri Nand Lal Bairwa is here, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री नन्दलाल से) आपने तय कर लिया है क्या ?

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग ने अब तक राजस्थान में जो प्रगति की है उसकी रिपोर्ट आज हमको दी है। पढ़ने से मालूम हुआ है कि राजस्थान के अन्दर काफी लोगों के लिये समाज कल्याण विभाग कार्य कर रहा है और उसमें राजस्थान सरकार की ओर से रियायतें हैं इसके साथ ही हमारे 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भी समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकार की ओर से जितने भी काम हुए हैं शायद पहले नहीं हुए हों। पूर्वी राजस्थान में भी जहां गांवों की हालत देखते हैं तो समाज के छोटे, दलित और गरीब लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं थे, जोतने के लिये जमीन नहीं थी आज हम देखते हैं कि अधिकांश लोगों के पास में चाहे कच्चा झोंपड़ा ही हो, चाहे थोड़ी जमीन ही हो, उनके लिये समाज कल्याण विभाग ने और राजस्थान सरकार ने मदद की है उसके लिये उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

यदि 26 वर्षों में ऐसा काम किया जाता तो आज गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का काफी उत्थान हो जाता और इस प्रकार आज आर्थिक कार्यक्रम नहीं लाना पड़ता। जितना गत वर्षों में करना चाहिये था न तो समाज कल्याण विभाग और न ही सरकार और न ही बड़े बड़े अधिकारी कर पाये थे। इसलिये देश की प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया। जितने कानून छः महीने में निकले हैं उतने कानून कभी भी नहीं निकले। आज हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी जो भी 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये जाते हैं, भू-आवंटन के लिये जाते हैं या अन्य काम के लिये जाते हैं उन्होंने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की माला बना कर उन्होंने रटना शुरू कर दिया है। ऊपर बैठने वाले अधिकारियों अथवा जिला स्तर पर बैठने वाले अधिकारियों के लिये नहीं कहना चाहता लेकिन मेरी यह सही मान्यता है कि गांवों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं कानूनगो, पटवारी, मास्टर, सिपाही, इन पर 20 सूत्री कार्यक्रम के एक सूत्र का भी असर नहीं हुआ है। आप स्कूलों में चले जाइये जहां पर हरिजनों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हों और जहां स्कूल बिल्डिंग न हो तो वहां पर स्कूल मंदिर में चलते हैं, वहां पर उन बच्चों को दूसरी जगह पर बैठाया जाता है, उन हरिजन बच्चों को बाहर बैठाया जाता है। हरिजन बच्चे स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। मैंने यह बात पंचायत समिति की मीटिंग में भी कही है कि इस प्रकार का व्यवहार इनके साथ होता है और स्कूल की बिल्डिंग न होने से भी यह होता है। बच्चे, हरिजनों के बच्चे जहां स्कूल मंदिरों में चलते हैं, वहां दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। यह गांवों की हालत है।

वहां पर हरिजनों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जमीन अलाट की गयी है अव्वल तो अच्छी जमीन उनको पटवारी कानूनगो देंगे नहीं और वैसी जमीन देंगे तो तो कब्जा दिलावेंगे नहीं। हरिजनों को पन्द्रह बीघा जमीन भी दे दी दूसरों से छुड़वा कर जिनके पास ज्यादा जमीन है तो दूसरे उस जमीन को जोतेंगे नहीं। इसलिये सही नियत कर्मचारियों की हरिजनों को दिलाने की नहीं है। जहां तक पट्टे देने का, कब्जे देने का सवाल है, उनको पट्टे नहीं देते हैं। यह हमने देखा है, दे देते हैं तो वास्तविक रूप से कब्जा नहीं मिलता। इसलिये इस प्रकार की जो गलतियां रही हैं सरकार को, समाज कल्याण विभाग को सारे राजस्थान के अन्दर पूरी जानकारी करनी चाहिये कि रेवेन्यू और अलाटमेन्ट कमेटी ने किन-किन गांवों में किन-किन को जमीन दी है और वास्तविक रूप से उनके कब्जे में है और उन पर वे काश्त करने लगे हैं। जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी और जिला अधिकारी बैठे हैं।

गांव के अन्दर सरकारी कुए हैं वहां पर भी हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। अन्य जगहों से लोग पानी लाते हैं। जल बोर्ड ने उन कुओं का निर्माण किया था और वे सार्वजनिक कुए हैं। कई हरिजन गांव छोड़ कर चले गये हैं क्योंकि शिकायत करते हैं तो कोई उनकी सुनने वाला

(श्री नन्दलाल बैरवा)

नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी तहसील में एक गांव है हमारे मंत्री बनवारीलाल बता रहे थे कि वहां से हरिजन गांव छोड़कर चले गये हैं क्योंकि उनके साथ वहां के लोगों ने मारपीट की थी। बूंदी तहसील में एक गांव और है, जिसका नाम मुझे याद नहीं है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य होली के मूड में है।

श्री नन्दलाल बैरवा : हमारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण ध्यान न दें यह मैं समाज कल्याण विभाग की ही कमी मानूंगा। उनको इसको अच्छी तरह से देखना चाहिये।

दूसरा निवेदन है कि आवासीय भू-खण्ड भी आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को दिये गये हैं। लेकिन कोलोनाइजेशन की जमीन में एक भी भू-खण्ड आवास के लिये आवंटित नहीं किया गया है। आठ लाख लोगों को भू-खण्ड आपने आवंटित किये इसके लिये तो धन्यवाद है। लेकिन कोलोनाइजेशन की जमीन में रहने वाले लोगों को एक भी भू-खण्ड नहीं दिया गया है। चम्बल कमान्ड के लिये निवेदन कर दूं कि वहां पर कोई जमीन नहीं दी है आवास के लिये। जो जमीन सीलिंग में आने वाली है, जिसके पास ज्यादा जमीन हो, निश्चित रूप से हर गांव में जमीन इस तरह की मिल सकती है, उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेकर गांव के ऐसे लोगों को, जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं, जो पीड़ित और पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास रहने के लिये मकान न हो, वह जमीन दे। यदि ऐसे लोगों को जमीन नहीं दी गयी तो जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमारी प्रधान मन्त्री ने देश को दिया है उसका पालन नहीं होगा। क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह भी दिया गया है कि जहां पर ऐसे लोगों के लिये रहने के लिये मकान न होगा, जमीन नहीं होगी तो उनको आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जावेंगे और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। इसलिए मेरी राज्य सरकार से और खास तौर से समाज कल्याण मंत्री से निवेदन है कि ऐसी जगह पर सरकारी जमीन को लेकर ऐसे लोगों को भू-खण्ड आवंटित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन सहकारी समितियों के बारे में है। राज्य सरकार का एक आदेश निकला कि चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हो या ग्राम सेवा सहकारी समिति हो...

श्री उपाध्यक्ष : आज के मुद्दे से संबंध है क्या ?

श्री नन्दलाल बैरवा : जी हां, समाज कल्याण से संबंधित है और इसलिए संबंधित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन संस्थाओं में स्थान देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये। यह जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है कौन कौन से जिले में भूमि विकास बैंक हैं, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं या ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और उनमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को स्थान

(श्री नन्दलाल बैरवा)

मिला है या नहीं ? केवल समाज कल्याण विभाग कागजों का आदान प्रदान करने के लिए नहीं है। सारे जिलों के भूमि विकास बैंक, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियों से रिपोर्ट आपको लेनी चाहिये कि अब तक कौन कौन से लोगों को उनमें मनोनीत किया है। इसलिए समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी आती है और इस मामले को गम्भीरता से लेकर और उस पर विचार करके आप उनसे रिपोर्ट मंगायें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री नन्दलाल बैरवा : एक निवेदन और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत समाज कल्याण मंत्री से करना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में जैसे अन्य लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य गरीब व्यक्तियों के बच्चे भी निश्चित तौर से आगे बढ़ने की ओर उत्सुक हैं लेकिन दूसरे लोगों को प्रमोशन जिस आधार पर मिलता है उसी आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इस तरह से इनको दूसरे लोगों के मुकाबले पीछे, रख दिया जाता है। मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की पूर्ति इसलिए नहीं कर पाते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का दूसरों के साथ जनरल कम्पीटीशन होता है। सही मायने में शिड्यूल्ड कास्ट्स का शिड्यूल्ड कास्ट के साथ कम्पीटीशन होना चाहिए और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले का शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले के साथ कम्पीटीशन होना चाहिए और आपको प्रमोशन इस तरह से करना चाहिए न कि जनरल कम्पीटीशन करके। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कम्पीटीशन नहीं करेंगे तो वह कभी आगे नहीं आ सकते हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिल सकता है। हमने हमारे जिलाधीश से बात की कि हमारे जिले में कौन-कौन से विभाग में 28 प्रतिशत स्थान भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी भी जिले की सर्वे करा लीजिए, किसी भी विभाग का सर्वे करा लीजिए कहीं भी आपको 28 प्रतिशत स्थान भरे हुए नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह है कि उनका जनरल कम्पीटीशन कराया जाता है। इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग–अलग प्रतिशत के हिसाब से आपस में कम्पीटीशन आप करायें तो निश्चित रूप से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लड़के प्रमोशन का लाभ उठा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री नन्दलाल बैरवा : अन्त में एक निवेदन और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। आज हम चाहे जिला लेवल पर चले जायें आज ब्राह्मण का लड़का, राजपूत का लड़का निश्चित रूप से चपरासियों में रख लिया जाता है। उनको फौरन ही चपरासी की नौकरी दे देते हैं। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को चपरासी की भी नौकरी नहीं देंगे। 26 जिलों का आप सर्वे करा लीजिए कि कौन-कौन से एस. डी. ओ. या मजि-

(श्री नन्दलाल बैरवा)
स्टेट के आफिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स का चपरासी लगाया है। एक भी चपरासी जिलाधीश के कार्यालय में आपको शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं मिलेगा। जब कि आप और हम यहां बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं। वह लोग इसलिए मिलेंगे कि वह पानी पिलाते हैं, खाना बनाते हैं। बड़े बड़े आफिसर्स और यहां तक कि जिलाधीश के कार्यालय में कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट का चपरासी आपको नहीं मिलेगा। चपरासियों के बारे में तो कोई कम्पीटीशन नहीं है। उनके लिए तो बी. ए., एल. एल. बी. की जरूरत नहीं है लेकिन आप उनको इसलिए नहीं लेते हैं कि तहसीलदार का खाना कौन बनायेगा, पटवारी का खाना कौन बनायेगा। इसलिए आप सर्वे करा लीजिए। आपके पास सारी रिपोर्ट हैं कि कितने आदमी चपरासियों में लिये हैं। इसलिए कृपा करके आपको छुआछूत खत्म करनी है तो चपरासियों में तो उनको लीजिए। इतना ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हम बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उनको आपका विभाग दूर करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिर्फ दो कटमोशन ही हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अनावश्यक समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक तो यह है कि छात्रावासों के बारे में जहां तक मेरा संबंध है मैं आता जाता रहा हूं और वहां की एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर भी हूं। एक पत्र मंत्री महोदय का गया है उसके अनुसार मुझे वहां की देखरेख के लिए नियुक्त किया है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से अलवर में वह छात्रावास खुले हैं जो भी मिनिस्टर समाज कल्याण के बने उनमें कोई भी अलवर का मिनिस्टर नहीं बना और जो भी बने सबने अपने अपने यहां यह छात्रावास भवन बनवा लिये और अलवर में आज तक नहीं बना है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले 15 पैसे नाश्ते के लिए होते थे और उसके बाद जब राव साहब मसूदा मिनिस्टर बने तो उन्होंने 25 पैसा करने की स्वीकृति दी थी लेकिन न जाने क्या कठिनाई रही सरकार की कि वह नहीं दे पाई और आज एक पैसा भी छात्रों को नाश्ते के लिए नही मिलता है। मेरे ख्याल से उनको सवेरे चने चबाने के लिए भी देंगे तो भी ठीक रहेगा। चाहे किसी और में कमी कर दो नाश्ते का प्रबंध चाहे जहां से करो, लेकिन करना चाहिये। लड़के सवेरे उठते हैं, लेट्रीन जाते हैं उनको चाय का प्याला दे दें और चना भी दे दें। तो नाश्ता जरूरी है और इसके लिए कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिए। मेरे ख्याल से 50

(श्री गोकुल चन्द जाटव)

पैसा से कम का नाश्ता नहीं होता है। एक प्याला चाय भी 30-35 पैसे में आती है। माननीय मंत्री महोदय जितना आवयश्क समझें उतना कर दें। वैसे तो वहां जो कुछ हैं ठीक है लेकिन इन दिनों जो परेशानी की बातें एडवाइजरी कमेटी के सामने आई हैं उनकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि पहले दो कम्बल प्रति छात्र मिलते थे अब एक ही देते हैं। आप या तो एक भी कम्बल न दो वह अपना प्रबन्ध कर लेंगे। देते हैं तो पूरा ओढ़ने को दीजिये। सुपरिन्टेंडेंट होस्टल ने माना है कि एक कम्बल से सर्दी नहीं रुक सकती है इसलिए दो कम्बल होना बहुत जरूरी हैं। उनका इन्तजाम करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को भूलेंगे नहीं। अगली सर्दी से पहले तो कर दें, अभी की तो गई लेकिन अगली सर्दी आने से पहले उनका उचित इन्तजाम कर देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। कमी तो कौन सी चीज की नहीं है। क्या सरकार ने टैक्स नहीं लगाये हैं? टैक्स बढ़ाये हैं, अपनी आमदनी बढ़ाई है। लेकिन जैसी भी स्थिति है उसमें हमको कुछ देना चाहिए। यह कहना कि अनाज मंहगा हो गया इसलिए कम देंगे यह तो वाजिब नहीं। हमेशा से जो उनको मिल रहा है उतना तो कम से कम देना ही चाहिए। जितना उनको आटा मिलता था उतना मिलना चाहिए। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि उनको कैसा मिले। मिस्सी मिले या कैसी भी मिले। हम भी घर में मिस्सी खाते हैं, अच्छी चीज है; लेकिन अनाज का तो पूरा इन्तजाम होना चाहिए। इसमें एक परेशानी और महसूस करते हैं और वह यह है कि वहां पर जो एडवाइजरी कमेटी बनी है जिले की वह तो है, लेकिन एक समाज कल्याण बोर्ड डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है उसके चेयरमैन कलेक्टर है। जब कलेक्टर चेयरमैन हैं तो डायरेक्टर और कलेक्टर की पोस्ट में कोई फर्क नहीं होता है, जो भी जिले के लिए करना चाहते हैं उनको सीधे पावर दे दें। क्यों यहां डाइरेक्टर तक कागज आते हैं। कागज पड़े रहते हैं और परेशानी होती है लोगों को। जो कुछ भी खाने-पीने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं अगर वह बोर्ड की सलाह से, एडवाइजरी कमेटी की सलाह से कर दें तो वहां परेशानी कम हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है सारे अधिकार यहीं ले लीजिये यह आपकी मर्जी है लेकिन जो भी सुविधा हम वहां देना चाहते हैं अगर हम उनको अधिकार दे दें तो वहीं पर खाने पीने का इन्तजाम कर दें और वह अधिकारपूर्वक कार्यवाही कर सकें। एक सवाल यह भी सामने आता है कि जब भी एडवाइजरी कमेटी बनती है, उसकी समिति बनती है उसमें एक तो हायर सैकेण्डरी स्कूल के हैड मास्टर होते हैं, एक एम.एल.ए. जो अलवर सिटी के होते हैं वह हैं, एक मैं भी हूं, उसमें जिला प्रमुख को भी शायद पिछले साल रखा था। महिलाओं की तरफ से भी एक लेडी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक मेम्बर उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में कोरम ही नहीं होता तो कहते हैं कि दूसरी बैठक बुला लेंगे। इस तरह से टाइम निकलता रहता है और बच्चे परेशान होते रहते हैं। उनके खाने पीने का व रहने का इन्तजाम नहीं हो पाता है।

(श्री गोकुल चन्द जाटव)

पिछली बार भी यह देखा गया कि 24 तारीख तक छात्रों को खाना नहीं मिला। अब मैं आपको कहता हूं कि पिछले दिनों मीटिंग हुई, और एडमिशन दे दिया गया, फिर भी उस दिन से खाना नहीं दिया क्योंकि वे प्रबन्ध ही नहीं कर सके। बड़े अफसर आते रहे वह भी कहते रहे कि एडमिशन के लिये प्रावधान यह है कि एडवाइजरी कमेटी के सामने एडमिशन के लिए फार्म आते हैं, उनमें उनको कम्पलसरी एडमिशन देना पड़ता है। स्कूल से एडमिशन का सर्टिफिकेट ले आयें तो फिर उनको तो एडमिशन देना ही चाहिये। परन्तु छात्रों को रहने के लिए भी मना कर दिया और वे बरामदे में पड़े रहे। एक मीटिंग में मैं भी वहां गया और नगर परिषद् के आयुक्त भी गए। हमको कहा गया कि छोरों ने तोड़-फोड़ कर दी, खाटें तोड़ दीं, बल्ब तोड़ दिए। मैं तो वैसे ही मान गया, लेकिन जो नगर परिषद् के आयुक्त थे उन्होंने कहा कि चलो बताओ क्या तोड़ फोड़ की है। दिखाओ क्या नुकसान किया है छोरों ने। वहां पर दो खाटें ऐसी थीं जिनमें जो मूंज की बाण होती है दो चार धारियां उसकी लगी हुई थीं जो बाण बंधी हुई थीं वह ऐसी थी कि खाट सोने के लायक नहीं थी। दो चार लाइनें पड़ी हुई थीं। छोरों ने लात मारी होगी तो टूट गई होंगी। इसी तरह से एक दो बल्ब वगैरह भी टूट गये होंगे। कैसे भी टूट गये होंगे, लेकिन मैं आपको इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि एक जुलाई से स्कूल खुलने लग जाते हैं तो जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। जब एडमिशन दे दिया तो खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, भोजन तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनको जो आटा मिलता है वह छः सौ ग्राम पहले मिलता था उसको अब घटा कर पांच सौ ग्राम कर दिया है। मंहगाई बढ़ गई तो क्या भूख भी कम हो गई है ? पहले लड़के ज्यादा खाते थे और अब मंहगाई बढ़ जाने से कम खाने लग जायेंगे क्या ? जो रोटी की वितरण व्यवस्था है उसमें किसी का पांच रोटी से पेट भर जाता है, किसी को छः चाहिए तो किसी का चार रोटी से ही पेट भर सकता है, तो जिस को जितनी चाहिए उतनी ही दे दो और आपस में उसी हिसाब से बांट दी तो शायद उनका काम इसमे चल जाएगा। सौ ग्राम आटा क्यों कम कर दिया ? सब्जी वगैरह की बात है वह मैं नहीं कहता। किसी तरह से काम चला लेंगे। नहाने का साबुन एक महीने भर में एक मिलता है। इसमें भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा कहना यह है कि जब सरकार की नीति है कि पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना है और इस वर्ष तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम में, सारा कार्यक्रम कमजोर वर्ग के लिए बनाया है, एक तरफ इन बातों का इतना प्रचार होता है और दूसरी तरफ उनको खाने-पीने की सुविधा भी नहीं मिलती हैं तो यह काम करने का तरीका कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल से पता नहीं समाज कल्याण मंत्री फौरन व्यवस्था करने गये हैं और अभी इसी समय घोषणा कर देंगे तो खुशी की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात छात्रवृत्ति की है। छात्रवृत्ति देने के लिये पहले एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी और शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर की देख रेख में वह बैठ कर फैसला करती थी। अब की बार यह

(श्री गोकुल चन्द जाटव)

हुआ कि पहले यह नियम था कि जो पास हो गया जब तक वह पास होता जायगा कम्पल-सरिली स्कालरशिप उसको मिलती रहेगी। अब की बार ऐसा सुना है कि उसका नवीनीकरण आवश्यक है। कुछ छात्र पांच छः साल से मांग कर रहे हैं कि उनको भी नहीं मिला है वजीफा। तो इतनी धनराशि रखी जावे कि सबको थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति मिल जाय। इस बात को देखना चाहिए। कुछ एक हरिजन वंचित रह जाते हैं। इससे बड़ा असंतोष होता है कि दस को तो मिल रही है और चार को नहीं मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर थोड़ा बहुत पैसा इस मद में बढ़ा कर हरएक छात्र को सन्तुष्ट करना चाहिए। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन यही मान ली जायंगी तो काफी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र भारतीय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह देख कर खेद होता है कि जिस प्रकार पहले भी एक बार मैंने इस हाउस के बीच में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जो रिपोर्ट है वह पेश नहीं हो पाई है। अब भी सुना है कि वह एक अप्रेल को पेश करने जा रहे हैं। जिस प्रकार राज्य सरकार की इसमें दिलचस्पी नहीं थी, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि सदन के मेम्बर्स की नहीं है, आज की उपस्थिति को देखते हुए। श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री प्रोग्राम को देखते हुए जो सबसे गरीब तबका है इस समाज का........

(2.58 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

जो तबका समाज कल्याण विभाग के तहत आता है उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी यह डिफरेंट एजेंसीज हैं, एक सोशल वेलफेयर बोर्ड है, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट है, एक ट्राईबल वेलफेयर बोर्ड और बन गया है कमीशन के नाम से, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

प्रधान मंत्री ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है उस कार्यक्रम को देकर इस देश को एक चुनौती दी है और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, किन्तु उसके बावजूद भी हमारे प्रगतिशील मंत्री महोदय अपने इस विभाग को लिए हुए पता नहीं किस मुद्रा में और किस निद्रा में सो रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते, और जो आपके मूलभूत काम हैं और जैसा कि आपने अपनी बुकलेट में दिया है उनको भी अगर आप सुचारु रूप से नहीं कर सकते हैं, आपके पास इस गरीब तबके के लिए वक्त नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लाईसनिंग का काम तो कम से कम करें। श्रीमती इन्दिरा गांधी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं इस प्रोग्राम में उसमें आपका विभाग क्या कर रहा है उसके लिए आपने कभी खयाल करने की मेहरबानी की? मेरे खयाल से नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ कि इस गरीब समाज कल्याण विभाग का सब जिलों में क्या काम हो रहा है, उसको देखने का माननीय मंत्री महोदय को वक्त नहीं मिलता। मैं ऐसा समझता हूं और अपने जिले के लिए तो हकीकतन रूप से कह सकता हूं। अगर मंत्री महोदय हमारे जिले में जाएं जहां मीणो तक ट्राइब्स के लोग रहते हैं, इन जिलों में इन गरीब जाति के बच्चों के होस्टल को क्या आपने देखा है? मैं आपको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूं कि इन होस्टल्स में इन्सान तो क्या जानवर भी रहना पसन्द नहीं करेंगे। जिस प्रकार शिक्षा विभाग अपने स्कूलों को अनुदान देता है, क्या आपका समाज कल्याण विभाग उसी तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता? अनुदान दिए हुए छात्रावासों की दशा को भी आप देखें। इनके अन्दर करप्शन फैला हुआ है। उनको आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन गरीब बच्चों से उनके घर से अनाज मंगवाया जाता है, पैसे मंगवाये जाते हैं और जो आपसे अनुदान लिया जाता है वह जेब में रखा जाता है। किन्तु देखे कौन? माननीय मंत्रीजी के पास तो इतने इतने बड़े विभाग हैं कि इतना समय नहीं है। इनको तो दिल्ली और जयपुर के बीच आते जाते ही बहुत कम समय मिलता है। तब फिर इस गरीब डिपार्टमेन्ट की तरफ देखने की उन्हें फुरसत कहां से मिलेगी? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से आप इतने प्रगतिशील होकर भी केबिनेट के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर इफेक्टिव नहीं हैं इसलिए बजट में आपने इतना हिस्सा हासिल किया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उस समय एक इन्सेन्टिव दे सकते थे फेमिली प्लानिंग के बारे में जिसके लिए आज हमारे युवा नेता संजय गांधी कह रहे हैं। इन्टर कास्ट मेरिज के बारे में इन्सेन्टिव देने की बात क्या आपने कभी सोची है? प्रगतिशील मंत्री होने के नाते मैं आपको चैलेन्ज करना चाहता हूं कि इस पाइंट को उठाने की बात क्या आपने कभी की है? आप में दहेज के लिए भी यहां पर एक बिल लाने की सामर्थ्य नहीं है हालांकि इस मंत्रि-मंडल में हमने आपको एक प्रगतिशील और ताकतवर मंत्री के रूप में भेजा था परन्तु पता नहीं क्या कमजोरी आप में आ गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके प्रगतिशील होने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं,

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

उनको आप भूल चुके हैं। ऐसा विभाग आपके पास में है कि जिसके जरिए से आप जनता की सेवा कर सकते हैं। आपने कितनी वालन्टियर एजेन्सीज को इस विभाग के जरिए पनपाया है? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस विभाग की जो बीस साल पहले हालत थी, वह इससे, आज से अच्छी थी लेकिन आज बीस साल बाद जब कि आज बीस सूत्री जैसा प्रोग्राम नेशनल लेवल पर चल रहा है, जिसके 8 सूत्र हैं, इस डिपार्टमेंट का आज उनके लिए क्या योगदान है? यहां तक कि जिला लेवल पर एक एक आफिसर, डिस्ट्रिक्ट आफिसर नहीं है जैसा कि मेरे भाई अभी कुछ कह रहे थे। कम से कम हर कलेक्टोरेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर एक आफिसर तो होना चाहिए। कम से कम बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो 8 सूत्र इस विभाग के लिए हैं, उनके बारे में कोई प्रेक्टिकल कदम आपके विभाग को उठाना चाहिये? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि आज यह अस्पृश्यता इस प्रान्त के अन्दर चल रही है और उसी प्रकार से अस्पृश्यता का बोलबाला है जो आज से पच्चीस साल पहले था। आज भी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा, कोई नहीं चाहता है अपने पास रखना, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट का हो। और आप फर्मा रहे हैं कि यह रोस्टर सिस्टम जी. ए. डी. के पास है। आप तो बहुत ही इफेक्टिव मिनिस्टर हैं। आप रोस्टर सिस्टम के इम्पलीमेन्टेशन के लिए जी. ए. डी. में इन्टरफियर कर सकते हैं। आज दुःख के साथ सुनना पड़ता है कि आपके स्वयं के समाज कल्याण विभाग में भी वह पर्सेन्टेज नहीं है जिसके लिए बार बार राज्य सरकार इस सदन के अन्दर आश्वासन देती है। आपके विभाग के अन्दर ऐसी बात हो तो मंत्री महोदय जरूर मैं इसे एक अफसोस की बात कहूंगा। मैं निवेदन करूंगा इस डिपार्टमेन्ट से अंदर भीलों के लिए जो कि भीलों तक बसे हुए हैं, जो पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, वे नंगे रहते हैं। वे गरीब भील घास की रोटी खा खा कर अपना गुजारा करते हैं और जिनके बदन पर एक चिथड़ा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज भी वही दुर्दशा है। इसके लिये इस डिपार्टमेन्ट का और मंत्री महोदय आपका उत्तरदायित्व है। आज भी वह गुजारा उसी हालत में कर रहा है। जो नदी का पानी ऊपर से आता है, पहाड़ी से आता है, वहां पर वह छोटी छोटी दीवारें बांध देता है और मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर और राजस्थान के पहाड़ी इलाकों के इन बांधों की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप देखें तो वे उन्हीं पुराने जमाने के समय के बंधे हुए हैं, आज से सौ सौ साल पहले के। किसी को इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। कौन उनको देखे कि कैसे उनका जीवन चलता है? क्या वह इस पुराने तरीके से अपनी आजीविका चला सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी इस प्रजातंत्र के अन्दर, इस बात का ख्याल नहीं करेंगे, ट्राइब्स के लोगों का कोई ख्याल नहीं करेंगे, इन पिछड़े हुए लोगों का जो नंगे, भूखे हैं, जिनकी तरक्की के लिए

Page No.102

(102)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

हमारी प्राइम मिनिस्टर की सहमति है और हमारी प्राइम मिनिस्टर इस अंतिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति बनाना चाहती हैं और आप उसी निद्रा और मुद्रा में सोये हुए पड़े हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन लोगों की तरक्की के लिये एक एक करके बीस सूत्री कार्यक्रम के मुद्दों को लें और उसे लागू करें। और दूसरे मंत्री महोदय आपके पास श्रम विभाग भी है

(व्यवधान होने पर)

बनवारीलाल जी आप तो × × × × कर रहे हैं, हमेशा ही मंत्री महोदय की करते रहते हैं। आज तो हमें भी कुछ कह लेने दो।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से आपका फर्ज है कि आप एक गरीब आदमी को, एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों, और बहुत से लोग जानते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि बूंदी जिले में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ जेवर पहिन कर निकलने का और सोशल कुरीतियों के खिलाफ एक आन्दोलन किया। भाई नंदलालजी ने और मैंने हजारों लोगों का मुकाबला किया। दहेज के खिलाफ भी आन्दोलन किया परन्तु आज भी वही बुराईयों की यों मौजूद है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई इन्सेन्टिव इलाके के अन्दर नहीं है। यहां तक कि मैं मंत्री महोदय को जब भी यह बजट सेशन आता है, निवेदन करता रहता हूं कि वे बूंदी जिले के अन्दर आज तक समाज कल्याण विभाग का एक अधिकारी तक नियुक्त नहीं कर सके हैं। प्रगतिशील मंत्री होने के नाते हम उनसे यह उम्मीद करते थे लेकिन आप तो टोंक से बूंदी का नियन्त्रण करना चाहते हैं। आप अपनी नजर, अपनी कृपा बूंदी पर नहीं डालना चाहते हैं तो कम से कम आफिसर तो नियुक्त कर दें। उस आफिसर के जरिए ही हम पर आपकी निगाह हो जाएगी।

अब मैं दूसरी मांगों पर–ट्रान्सपोर्ट की मांगों पर निवेदन करना चाहता हूं।

इसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि प्रगतिशील मंत्री महोदय बहुत जोरों से पी. सी. सी. की मीटिंग के अन्दर जवाब दे रहे थे कि सेक्टर की गाइड-लाइन्स के तहत हमने पार्टिसिपेशन आफ लेबर के उसूल को राजस्थान के अन्दर पूरा कर दिया है, और जो इन्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर में आपके पास हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रोडवेज डिपार्टमेंट में आपने पार्टिसिपेशन आफ लेबर को पूरा कर दिया? क्या उस वक्त बोर्ड के अन्दर एक मेम्बर लेकर पूरा काम हो गया? वहां पर किस प्रकार की दशा है लेबर की क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? किस प्रकार की रिश्वत रोडवेज विभाग के अन्दर और ट्रान्सपोर्ट विभाग के अन्दर आज भी चल रही है? किस प्रकार लोग परेशान हो रहे हैं। बिना 2 हजार, 1 हजार या 500 रुपये लिये रोडवेज विभाग में एम्पलाईमेंट

× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाला गया

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

नहीं मिल सकता है। मंत्री महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ आपसे कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से ट्रॉन्सपोर्ट विभाग की हालत है, और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि ट्रांसपोर्ट कमिशनर रोडवेज के अन्दर अपने आफिसर भी साथ में ले जाते हैं। क्या नियम है, मैं यह पूछना चाहता हूं? यह देखना आपका फर्ज था। अफसरों को लेकर अफसर आय यह कुछ समझ में नहीं आता है। किस प्रकार का शासन आप देना चाहते हैं?

बड़े अफसोस के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनेलाइजेशन के उसूल को आपने छुरा भोंककर खत्म किया है। मैं समझता हूं कि इतने प्रगतिशील मंत्री होकर भी आप इस तरह से नेशनेलाइजेशन के उसूलों की इस प्रकार से हत्या कर देंगे इस राजस्थान प्रान्त के अन्दर, यह उम्मीद आप से नहीं थी। एक तरफ तो बसों के मालिकों को और उनके मजदूरों को बेरोजगार करना चाहते हैं नेशनलाइजेशन की स्कीम देकर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम देकर उनको खत्म करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप राजस्थान के ही नहीं दिल्ली के लोगों को बुलाकर 300-400 बसें उनकी लगाते हैं। क्या मेथडोलोजी आपके पास है? क्या जस्टीफिकेशन आपके पास है? इस राजस्थान की जनता के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है। उन्हीं मोटर आपरेटर्स से कहते कि नयी बसें लायें तो वे ला सकते थे। मैंने बजट के मौके पर भी कहा है और आज भी कहता हूं कि आपने कर्जा प्राप्त करने की बात की है, जब आपने अनुदान लेने की बात की है तो क्यों नहीं दो साल पहले लागू किया? पहले भी आप मंत्री थे वही वित्त मंत्री थे और यही मंत्री-मण्डल था तो क्यों नहीं उस पर चले। क्यों नहीं नेशनलाइजेशन के उसूलों पर चले? आपसे कहता हूं क्योंकि आप प्रगतिशील मंत्री हैं। लेकिन आज फिल्ट्रेशन होता है रोडवेज के बस स्टेण्ड के सामने कार लगी हुई हैं, मिनी बसें लगी हुई हैं। फिल्ट्रेशन हो रहा है। आप क्या देखते हैं? दिये तले अन्धेरा है। हमारी नाक के नीचे हो रहा है। आपके अधिकारी हैं जिनकी खुद की मिनी बसें वहां पर लगी हुई हैं और आपकी आंखें बन्द हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जब भी यहां पर यह प्रश्न आया है आपसे पहले भी कहा है कि कोटा और बूंदी चले जाइये रोड पर कितनी ही टोंक और जयपुर में बराबर मिनी बसेज लगी हुई मिलेंगी। क्या कारण है कि आप नहीं हटा पाये हैं? कौन कमजोर लोग हैं आप सदन के सामने रखें। किन पुलिस आफिसर्स की हैं? ट्रान्सपोर्ट के आफिसर की हैं? क्यों इन अधिकारियों को छिपाये हुए हैं? क्यों इतना बड़ा कलंक इस प्रदेश पर लगा रहे हैं नेशनेलाइजेशन के उसूल को खत्म करके? कितना बड़ा आघात हम लोगों को पहुंचता है कि हम मुंह उठाकर भी नहीं देख सकते हैं राजस्थान के अन्दर और बाहर। यह कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से अनुबन्धित करके बसें चलायें। या तो इस उसूल को छोड़ दें या इस तरह से हॉचपाच में न चलायें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर गरीब उन रोडवेज के बस कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स हैं उनके सोने के लिए जगह नहीं है। आपके आफिसर्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के हैं कि उनकी कार का पैट्रोल भी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

दिल्ली से आता है जो कि आपके चेयरमैन हैं, और उस गरीब के सोने के लिए आप चारपाई भी नहीं दे सकते हैं। वह भी भारत का इन्सान है जिनके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20-सूत्री प्रोग्राम बनाया है और वह भी इन्सान है। इतनी बड़ी डिस्पेरिटी आप के सामने हो रही है। आपके प्रगतिशील मंत्रीत्व के अन्दर लेबर लॉ को माना नहीं जाता है। गरीब बस कन्डक्टर और ड्राइवर्स को मनमाने तरीके से निकाला जाता है। वह अपील करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वह कहते हैं कि किस किताब में लिखा है। मैंने डिप्टी जनरल मैनेजर से कहा कि उसको सुनने का मौका दें तो उन्होंने कहा कि कौन सी किताब में लिखा है। उनकी अपील को पढ़ लेता हूं और फैसला कर देता हूं। मैंने कहा कि आप लीगल एडवाइजर से पूछें। इतनी हद हो रही है कि लोगों को बेशुमार तरीके से निकाला जा रहा है। रोज नई योजना रोडवेज में बनती हैं। जिन लोगों को बाकायदा स्टाइपेंड देकर ट्रेनिंग दी है और पासशुदा होने के बाद भी ड्राइवर्स के लिए तीन साल का और कन्डक्टर्स के लिए दो साल का टाइम बढ़ा दिया है। सर्विसेज की कन्डीशन्स में कैसे चेन्ज कर सकते हैं। आप लेबर मिनिस्टर भी हैं और आप कुठाराघात करते हैं लेबर के साथ में। रोजाना आदमी निकाले जाते हैं, जिस की जिम्मेदारी है, मैं पूछना चाहता हूं श्रम मंत्री महोदय से। आपके द्वारा जिस कानून को संरक्षण दिया जाना चाहिए इस राजस्थान में, जिस कानून को लेबर मिनिस्टर के नाते आपको संरक्षण देना चाहिए, उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात सबसे पहले आपके मातहत आपके पब्लिक सैक्टर की अन्डरटेकिंग्स, रोडवेज के अन्दर आपके सामने हो रहा है, और आप उसे दरगुजर कर रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए ऐसी योजना बनायें कि किस प्रकार से जो नेशनलाइजेशन के अन्दर रूट्स ले रहे हैं तो वहां पर चल रही मोटरों के मालिकों और मजदूरों से आप कहें कि पुरानी बसें नहीं, नई बसें लावें और आप उन्हीं को एम्प्लायमेंट दें। आप कुछ करिये राजस्थान की जनता के लिए। दिल्ली की जनता के बारे में यह हाउस रेस्पान्सिबल नहीं है। उन दिल्ली के मोटर मालिकों के लिए यह हाउस रेस्पान्सिबल नहीं है। इस राजस्थान की ढाई करोड़ की जनता के बारे में यह हाउस रेस्पान्सिबल है और आप भी रेस्पान्सिबल हैं और हम भी रेस्पान्सिबल हैं। आप जवाब देंगे उसमें बतलायेंगे कि आपकी क्या मैथडोलाजी है। आज आप चाहें उतनी बसें राजस्थान के अन्दर नई उपलब्ध करा सकते हैं। क्या जरूरत थी दिल्ली से मोटरों को वहां पर पर लाने की ? उनकी टर्म्स और कन्डीशन्स को तय करने में इस हाउस को कान्फीडेन्स में नहीं लिया गया है। कौन से रूल्स के तहत आप यह लाते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं, और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नेशनेलाइजेशन के उसूल की बात करते हैं और वह एक ही जगह इस राजस्थान में लागू हुआ है, और उसकी भी इस प्रकार से हत्या हो जाय हम लोगों के देखते हुए तो इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे और मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे हर सवाल का आप मुद्देवाइज जवाब देने का कष्ट करें।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

मैं इन कटौती-प्रस्तावों को जो मैंने रखे हैं सदन में रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के सम्बन्ध में मेरा केवल एक कटौती प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1972 में जब 300 करोड़ का हमारा बजट था एवं इस वर्ष 600 करोड़ का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है, और जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछूंगा कि समाज-कल्याण के लिए कितनी धनराशि 72 में ली थी, क्या उसके अनुपात में 75 पर्सेन्ट ज्यादा ले पाये कि नहीं? एक ही मापदन्ड है घाटा, कम देते हैं और कोई कहता है कि सुविधाएं कम देते हैं प्रति व्यक्ति बजट मूल्य, समाज-कल्याण की राशि के मूल्य सारे बताये जाते हैं पर केपिटा के हिसाब से। कल्याण-कारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा बढ़नी चाहिए वहां पर घटती जा रही है यह एक दुर्भाग्य की बात है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट प्रति व्यक्ति जो स्थिर मूल्य है उतना पैसा तो लेता है कि नहीं? अगर नहीं लेता है तो सेवाएं घटती जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है—

"मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पीने के नल एवं विद्युत प्रकाश के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।"

अध्यक्ष महोदय, पहले यह कार्य समाज कल्याण विभाग को दिया हुआ था, परन्तु उसके पश्चात् राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को बिजली का काम दे दिया और जल-प्रदाय विभाग या जन-स्वास्थ्य-अभियान्त्रिक विभाग को दे दिया गया। विद्युत मण्डल के बजट में प्रति वर्ष 25130 लाख रुपया इस बात के लिए रखा जाता है उस पैसे का उपयोग होना चाहिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने के लिए। यह पैसा आर. ई.सी. की मार्फत बहुत सस्ते ब्याज पर उनको मिलता है। पहले यह था कि जब कभी भी इनके मोहल्ले की कोई स्कीम होती थी तो समाज-कल्याण विभाग उसको एक्जामिन करके और एप्रूव करके फिर विद्युत मण्डल को भेजता था और वह बिजली लगाते थे। अब ऐसा विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं कि विद्युत मण्डल सीधे ही लगा देता है। मैं यह कहता हूं कि इस 25-30 लाख की धनराशि का इससे दुरुपयोग होता है। काफी मात्रा में यह हुआ है वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में बिजली न लगाकर दूसरी जगह लगाई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो पहले वाली प्रक्रिया थी कि समाज-कल्याण विभाग जिन मोहल्लों को एप्रूव कर दे, जिनकी सिफारिश कर दे उसके बाद उनमें बिजली लगे। यही हाल पानी के नलों का होता है। वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में लगाते नहीं हैं और अगर लगाते हैं तो गलत लगाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनके मोहल्लों में लगाये जायें। काफी मात्रा में पैसे का दुरुपयोग होता है।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, यातायात के बारे में। मेरा निवेदन है कि इस समय 1,62,000 गाड़ियां चल रही हैं। जबकि 1951 में 10 हजार थीं। पिछले 24 वर्षों में 16-17 गुनी बढ़ी हैं। साथ में रेवेन्यू भी बढ़ा है। लेकिन गाड़ियों की स्थिति प्रदेश की सड़कों के साथ से जुड़ी हुई है। इस राज्य की सड़कें इस राज्य के स्टैण्डर्ड के हिसाब से खराब हैं। 12 हजार बसें हैं। 25 हजार ट्रक हैं। 37 हजार गाड़ियां हैं। आज पैट्रोल का क्या भाव हो रहा है। सड़कों की क्या हालत हो रही है। पहले सड़कों की चौड़ाई क्या थी और अब क्या हो गई है। आज कितना रुपया सड़कों की पूर्ति करने में लग जाता है। जो नेशनल हाइवे हैं, उनका प्रति किलो मीटर कितना रुपया लग जाता है। यह कौन करेगा? कोटा, बून्दी वगैरह के हाई वे हैं। सड़क के लिए एक अमेरिकन कहावत है। "सड़क हो या नहीं हम सड़क की कीमत चुका सकते हैं।" —Whether we have roads or not, we pay for the roads and we pay more when we do not have roads. इस वक्त इसका मूल्यांकन किया जाये। जो टूट फूट हो रही है, वह सड़कों से कई गुना ज्यादा है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है, भले ही इस राज्य के मोटर वाले रियलाइज न करें, अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो सड़कें भी ठीक बनायें। इस वक्त यातायात टैक्स 7 करोड़ आता है। 10% आप गाड़ियों का बढ़ाते हैं। 10% टैक्स बढ़ाते जाते हैं। साथ ही साथ आप 10 करोड़ टैक्स यात्री टैक्स के नाम से लगा रहे हैं। इन पड़ौसी राज्यों में टैक्स का आधार क्या है। 1951 में भारत सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी। उसका नाम मोटर व्हीकल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी था। जो दूसरी कमेटी बैठाई उसके चेयरमैन जान मथाई थे। जो पहले केन्द्र में मन्त्री थे। उसके बाद डा. वी.वी. केसकर जो पहले मन्त्री थे, वह कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी ने सुझाव दिया था। यदि राज्य का विकास करना है तो 7 करोड़ के बजाय 10-12 लीजिए। जो अतिरिक्त राशि आती है, वह अलग सड़कों के लिये रख दीजिए। वह व्यवस्था खर्च पर लगा दीजिए। आपने सड़कों का मेण्टेनेन्स नहीं किया तो क्या नतीजा होगा वह आप निगम के चेयरमैन साहब से पूछ लीजिए। कोटा रेन्ज के जो हैं, उनसे पूछ लीजिए। एक झटके में 300 रु. का पता जाता है।

एक माननीय सदस्य : अब तो टायर सस्ते हो गये हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : सस्ते नहीं हुए हैं।

वह जो राशि आपको प्राप्त होती है, वह सड़कों पर लगायें।

(3.25 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में चलने वाले जो टेम्पो हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनके चलने का तरीका क्या है। मैं तो यही कहूंगा कि यह गैर कानूनी तरीका कब तक चलता रहेगा? आपको सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं। कमिश्नर साहब को मिली हुई हैं। मगर टेम्पो चलाने वालों का जो हाल है वह यह है

(श्री अमृतलाल यहलोत)

कि इतनी सवारियां भरते हैं, और फिर ड्राइवर के पास भी दो व्यक्तियों को बैठा दें। फिर कितनी मुश्किल होगी, यह समझा जा सकता है। आप कभी चल कर जयपुर में सांगानेरी दरवाजे के पास देखें। ड्राइवर के पास दो-दो बैठे हुए हैं। किराये का यह हाल है कि मर्जी आये वह ले लें। आखिर यह कब तक गैर कानूनी तरीका चलेगा? जयपुर में बसेज को नहीं बढ़ा रहे हैं। निगम की बस 40 पैसा ले ले। कौन मना करता है। वह उतना भी ले सकते हैं। निगम की बसें लगाई जायें तो कहा जाता है कि बसें लास में चलती हैं। आप रेट्स बढ़ाइये। आप 40 पैसा लीजिए। मगर यह खुल्लमखुल्ला वायोलेशन क्यों हो रहा है? लूट हो रही है, इसको बन्द किया जाये। आप बसेज को चलाइये। उतना किराया लिया जाये जितना बनता हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है मन्त्री महोदय से, भले ही पूर्व वक्ता ने कुछ भी कहा हो पिछले 6 महीने से परिवहन की बसों में काफी सुधार हुआ है। समय पर आना होता है और समय पर सही काम होता है। जो अच्छा काम होता है, उसकी सराहना की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय को निवेदन है, यदि आप सड़कों की मरम्मत नहीं करायेंगे तो 4 साल के बाद राजस्थान की सड़कें वीरान हो जाएगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य बतायेगा कि उत्तरदायित्व के प्रति न्याय नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण एवं परिवहन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का पहले तो आभार प्रगट करूं कि जिन्होंने कीमती सुझाव दिये और खास तौर से समाज कल्याण के ऊपर। समाज कल्याण के बारे में पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों की ऐसी धारणा है कि मुख्य सामाजिक क्रान्ति का माध्यम ही समाज कल्याण विभाग है। मैं यह मान कर चलता हूं कि समाज कल्याण विभाग सामाजिक क्रान्ति का, समाज कल्याण का, एक छोटा सा कम्पोनेन्ट है। माननीय सदस्य जो सामाजिक क्रान्ति की कल्पना को बहुत व्यापक लेकर चलते हैं तो समाज कल्याण के अलावा इससे भी ज्यादा रोल जो है सामाजिक क्रान्ति का, वह पोलिटिकल आर्गनाइजेशन्स का और सामाजिक संगठनों का है। समाज कल्याण विभाग भी ठीक है, इसी तरह का एक कम्पोनेन्ट होने के साथ वह अपनी कार्यवाही करता है। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि समाज कल्याण का बजट कम हो गया है, यह भी सही है कि बजट कम हो गया, उनका विचार था कि इसका बजट बढ़ना चाहिये था, जिस तरह से और विभागों का बजट बढ़ाया गया है उसी तरह से इसका बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए था, जो कि घट गया है। यह क्यों घटाया गया है, इसके भी कारण हैं। जो प्राथमिकता बजट में इस बार आई उसके अनुसार बिजली का बजट बढ़ा, सिंचाई का बजट बढ़ा, और दूसरी जो सामाजिक सेवाओं का बजट था वह कम हुआ। क्योंकि हमारी बजट की सीमाएं बहुत सीमित और

(श्री मोहन लाल छंगाणी)
कम थी और हमारे साधन लिमिटेड थे जिसकी वजह से हम सामाजिक सेवाओं में अधिक बजट नहीं रख सके और दूसरे आइटम्स में, जो कि ग्रोथ के काम हैं, और विकास और उत्पादन के काम हैं ये तेज गति से चलते जाय उनमें प्राथमिकता के अनुसार कहीं न कहीं समन्वय बिठाना पड़ा। इसीलिए समाज कल्याण विभाग का बजट जो है उसमें कमी आयी और वह कमी टोटल अप्रोच की है, जो कि देश के उत्थान के लिए और खास तौर से राजस्थान के विकास के लिए है। हमारे यहां जिस प्रकार से आर. एस. ई. बी. के बजट में और इरिगेशन के बजट में जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो राज्य का विकास होगा, जो उत्थान होगा उसका असर जो कुछ भी होगा वह समाज का जो पिछड़ा तबका है उस पर भी पड़ेगा जिनको कि आज हम जमीनें बांटने जा रहे हैं और दूसरी कई सुविधायें दे रहे हैं। उनके उत्थान के साथ-साथ सामाजिक जो विषमतायें है उनमें भी कमी आयेगी। इसलिए उनके द्वारा जो भी समाज का कल्याण होने जा रहा है वह भी कोई विपरीत बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा मैं आपके द्वारा मेरा जो टोटल बजट है उसके पर्सेन्टेज की तरफ भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारा जो टोटल बजट है उसका 18 पर्सेन्ट होस्टल्स पर खर्च होता है, 13.5 पर्सेन्ट स्कालरशिप पर, 13.13 पर्सेन्ट ओल्ड एज पेन्शन में जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पर 3.70 पर्सेन्ट खर्चा होता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के जो दूसरे काम हैं उनमें 8.60 पर्सेन्ट रिएम्बर्समेंट आफ हाउसिंग लोन वगैरह में 6.75 पर्सेन्ट और दूसरी स्कीम्स पर 29 पर्सेन्ट तथा वालेन्टरी एजेन्सीज पर 6.50 पर्सेन्ट खर्चा हमारा होता है। इस बजट को आप देखेंगे तो आज जो बजट में खर्चा हो रहा है, उसका मेजर पोर्शन होस्टल्स, स्कालरशिप्स और सोशल वेलफेयर की दूसरी स्कीम्स पर और रिइम्बर्समेंट आफ हाउसिंग लोन पर होता है। अब दूसरी स्कीम के बारे में, जब माननीय सदस्यों ने यह कहा तो इन स्कीम्स के तहत हमारा खर्चा होता है इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पर और ओल्ड एज पेन्शन पर होता है। ओल्ड एज पेन्शन के नियमों के सरलीकरण की बात भी कही गई, इसके लिए हमारा पचास लाख का बजट है, इसमें हम हजार आदमियों को कवर कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस फ्रन्ट पर हमने काफी प्रगति की है और पहले जितनी भी पेन्शन में देर होती थी वह दूर की गई है। फिर भी माननीय सदस्य अगर इसमें रद्दोबदल के कोई सुझाव देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इसको और सरल किया जाय तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं लेकिन जो इसका पोजीटिव आसपेक्ट है कि हम आज जो खर्चा ओल्ड एज पेन्शन पर कर रहे हैं उसका वितरण सभी जिलों में कर रहे हैं और कहीं से भी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वे अभी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, वे चार पांच आदमियों के नाम बता रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई मामले उनकी निगाह में आये हैं तो वे मुझको

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

बतावें मैं इसकी एन्क्वायरी कराऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हमारे होस्टल्स की भी काफी स्थिति सुधरी है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने थर्ड केटेगरी के होस्टलों की हालत के बारे में कहा और यह कहा कि उनमें सुधार होना चाहिये। यह सही है, मुझे भी सन्तोष नहीं है लेकिन इसके लिए कोई जरिया नहीं है, हमारे पास वित्तीय साधन नहीं हैं कि उनको भी गवर्नमेंट होस्टल्स बना दें और सरकारी होस्टलों की तरह से ही उनका भी संचालन किया जाय। इससे बहुत वित्तीय भार बढ़ेगा। इसी तरह से वालेन्टरी एजेन्सीज के जो होस्टल्स हैं उन पर 55.60 लाख खर्च कर रहे हैं वह भी कम है। इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी के स्थान पर मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इसको अगर बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाना चाहिये और इसकी व्यवस्था भी सुचारु रूप से की जानी चाहिये। उसमें सभी एग्री हुए थे और उसी प्रकार से हम उनको चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने होस्टल्स के बारे में, खास तौर से नाश्ते वगैरह के लिये सुझाव दिये वह सही है। इस सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, और यह विचार किया गया था कि उसका बजट किस प्रकार से रखा जाय जिससे कि कोई असुविधा न हो होस्टल्स भी लगातार चलते जायं। सभी माननीय सदस्यों ने एग्री किया था कि होस्टल्स में और सुविधायें प्रदान कर सकें तो सारे के सारे एग्री होकर उसमें कमी की गई थी, यह हम भी जानते हैं कि 15 पैसे का कुछ भी नाश्ता नहीं आ सकता है, हमने इसको बढ़ाया और आज हमारे होस्टल्स काफी अच्छी तरह से चल रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कभी भी होस्टल्स देख सकते हैं और एडमिशन्स के बारे में जो भी शिकायतें थीं जो भी माननीय सदस्य जो भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, और जो कमेटी में मेम्बर हैं उनके पास कोई हों तो वे हमको दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उनको देखना चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए क्योंकि जब तक वे इनको नहीं देखेंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स भी हैं लेकिन हमारा छोटा सा डिपार्टमेन्ट है, कोई बहुत बड़ा विभाग तो है नहीं, उनमें वार्डन भी होते हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट भी होते हैं उसके बावजूद भी कुछ कमजोरियां आ सकती हैं उनको दूर करने के लिये सभी होस्टलों में माननीय सदस्यों को जाना चाहिए और उसमें कोई अव्यवस्था पाई जाय, खाने की कमी हो या और कोई भी शिकायत हो तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह मेरे व्यक्तिगत रूप से नोटिस में लावें मैं उसकी जांच करवाऊंगा। इसके दौरान में जो कोई भी दोषी पाये जायेंगे उनको मैं सजा दिलवाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हमारे होस्टलों की व्यवस्था में पहले से सुधार हुआ है।

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमृतलालजी महलोत ने सवाल उठाया था बजट का, जिसके बारे में मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ कि जब तीन हजार करोड़ का बजट था उस समय स्पेशल वेलफेयर का क्या शेयर था और अब पांच हजार करोड़ का हो गया तो उस अनुपात में उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया, यह मैंने निवेदन कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यों ही बजट के एलोकेशन में प्राथमिकता का आधार चेन्ज हुआ उसके साथ ही हमारे बजट में भी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो आधिक्य होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया क्योंकि प्रायोरिटीज बदल गई। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा आलोचना दो-तीन बातों की कीगई। पहली तो पानी की व्यवस्था के बारे में कहा गया कि नलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और दूसरा सवाल रोस्टर सिस्टम का, आरक्षण का उठाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिये मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कि पानी के लिये रिकमन्डिंग आथोरिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट है और बजट एलोकेट होता था पी. एच. ई. डी. को और आर. एस. ई. बी. को, वह अब समाप्त हो चुका है, यह बजट अब सीधा ही आर. एस. ई. बी. और पी. एच. ई. डी. को जाता है, अब हम रिकमन्डिंग आथोरिटी भी इस सारे माहौल में नहीं हैं। इसलिए अगर किसी मोहल्ले में, हरिजन बस्तियों में नल लगवाने हैं या बिजली लगवानी है तो सीधे पी. एच. ई. डी. या उनके पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने ऐसा सोचा कि सोशल वेलफेयर के पास काम होने से काम का डुप्लीकेशन है। हम किसी मोहल्ले को रिकमन्ड करें और उसको इंजिनियर रिजेक्ट कर दे। इसलिए डुप्लीकेशन इसमें दूर होता है, और उसको दूर करने के लिए सीधा प्रावधान यह रखा कि यह काम आर. एस. ई. बी. और पी. एच. ई. डी. को दे दिया जाय। उसी आधार पर अब बजट का बटवारा होता है और उस बजट के आधार पर ही बिजली और नल की व्यवस्था की जाती है। अब खामियां हैं, उन खामियों को किस प्रकार से दूर किया जाय—इसके लिए सुझाव देंगे तो मैं बिजली मंत्री और पी. एच. ई. डी. मंत्री, दोनों को लिख दूंगा और सरकार में यह सवाल दूंगा जिससे खामी दूर हो सके। लेकिन इसके बारे में कान्क्रीट सुझाव होने चाहिए। बिजली लगाने के लिए, नल लगाने के लिए कोई कमेटी का निर्माण होना चाहिए यह सवाल रहा, तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी और सारी कमेटी बनी हुई हैं, और जहां तक मेरा अनुभव है कि कमेटी की मीटिंग होती है तो कोरम नहीं होता है। और कोरम की बिना पर कैंसिल करना पड़ता है। फिर भी माननीय सदस्य चाहें कि इस प्रकार की कमेटी का निर्माण होना चाहिए ताकि पानी देने, नल देने, बिजली देने की व्यवस्था रेगुलेट की जा सके हरिजन बस्तियों में, तो उसके बारे में सुझाव लेकर मैं मंत्रिमण्डल में बात करूंगा, ताकि वह व्यवस्था को कर सकें।

रोस्टर प्रणाली के बारे में, समाज कल्याण जागरूक है। रोस्टर प्रणाली को हमने समाज कल्याण विभाग में लागू कर दिया है। लेकिन रोस्टर प्रणाली का काम

(श्री मोहन लाल छंगाणी)
जी.ए.डी. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास है, सैल भी बना हुआ है, जिसे चीफ सेक्रेटरी खास तौर से देखता है । उस सैल के अन्तर्गत कहां कहां पर रोस्टर प्रणाली रखी जाती है, कहां कहां नहीं रखी जाती है, उसकी फहरिस्त रखी जाती है, जानकारी रखी जाती है। यहां बहुत से सवाल उठाने के बाद भी रोस्टर प्रणाली के बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। उसके बावजूद माननीय सदस्य चाहें, तो उन्हें स्पेसिफिक होना चाहिए। वेगली बात कहने से मतलब नहीं निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, कौनसा डिपार्टमेंट कहां है, किस जगह रोस्टर प्रणाली लागू होने के बाद लोगों को लिया गया और रोस्टर प्रणाली को नहीं माना गया–इसके बारे में जो सुझाव होंगे, मैं मुख्य मंत्री जी को कहूंगा और केबिनेट में भी कहूंगा कि इस विभाग में, रोस्टर प्रणाली जो लागू होनी चाहिए वह नहीं है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। वेगली चार्ज लगाने से इसका हल नहीं होने वाला है।

इसी तरह से आरक्षण के बारे में कहते हैं कि हमें जितना देखना चाहिए, हम देखते नहीं है, हमारे विभाग में देखते नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, किसी जगह, कहीं भी मेरे विभाग में इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो उनका आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उस हिसाब से नहीं लिया गया है तो उसी वक्त में उसकी इन्क्वायरी करूंगा और आफिसर को सस्पेन्ड करूंगा। किसी भी तरह आरक्षण का हनन नहीं करने दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैला ढोने की प्रथा के बारे में काफी सवाल उठाये गये। जिस तरह माननीय सदस्य इस बारे में चिन्तित हैं, मैं उनसे भी अधिक चिन्तित हूं। एक बार मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए बजट दिया गया था, उस बजट के कारण आज बजट सोशल वेलफेयर को मिला था। हमने ट्रेक्टर दिये, ट्रोली दी और इम्प्लीमेंट्स दिये जगह जगह पर म्यूनीसिपैलिटी को बांटे। उस वक्त यह कल्पना थी कि इस बंटवारे के बाद काफी म्युनीसिपैलिटीज के अन्दर मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर दी जायेगी। पिछली बार भी डिमाण्ड के बारे में यह सवाल आया था। उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने की बात आसान नहीं है। आज जयपुर को ही लीजिये, जयपुर में जब तक अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज नहीं बनेगा तब तक मैला ढोने की प्रथा और गन्दगी समाप्त नहीं होने वाली है। हम करेंगे क्या? करोड़ों का बजट चाहिए। इसके लिए, अगर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना चाहते हैं। वैसे आज योरोप में भी इस ढंग की कोई टेक्नोलोजी नहीं है सिवाय इसके कि अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज है, फ्लश लेट्रिन हैं। इस व्यवस्था को कायम करने के लिए भावनात्मक दृष्टि से ×× था, यें कह जायें–यह दूसरी बात है। सही रूप से सोचते हैं तो हमारे भाइयों को मैला ढोने के कारण से हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है इसलिए इस प्रथा को समाप्त करना है··

×× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय के खड़े होने पर) माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : He has used a wrong word.

हम कितना XXX This should be taken out.

हाउस में बोलने का मतलब XXX नहीं है।

श्री रामगोपाल : यह शब्द वापिस लेना चाहिए मंत्री महोदय को।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : It Should be taken out.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस शब्द पर ऐतराज है तो निकाल दीजिए। मुझे ऐतराज नहीं है।

इसलिए उसमें हमारी भावनाएं हैं वह एक जगह है क्योंकि भावना होना एक बिन्दु है, उस तक पहुंचना दूसरी बात, पहुंचना जल्दी चाहिए। माननीय सदस्य जितने उतावले हैं, जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं, मैं उनके साथ शरीक हूं, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन हमें हमारी भावना के साथ कान्क्रीट काम करना पड़ेगा तब जाकर यह मैला ढोने की प्रथा समाप्त होगी। उसमें पैसा एलोकेशन, पूरी की पूरी टेक्नोलोजी को डवलप करना–सारे सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा तब जाकर यह पूरी की पूरी कुप्रथा, और कलंक मानव जाति पर है, यह कलंक दूर होगा। जिस समय माननीय सदस्य काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो मुझे उनके पीछे नहीं पायेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा, किसी तरह यह कलंक भारतवर्ष से दूर हो, इसमें राजस्थान प्राथमिकता करे इस भावना के साथ में पूरा पूरा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय · · · ·

श्री खेतसिंह : काफी हो गया न।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक मिनिट।

उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण, अभी कहा कि, एक जयपुर में इन्स्टीट्यूट चल रहा है, का आर. ए. एस. वगैरह को ट्रेनिंग के लिए. वह इन्स्टीट्यूट जोधपुर में खोला जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है, इस तरह का इन्स्टीट्यूट जोधपुर में खोलें या नहीं खोलें। पर यह स्कीम नई हुई है, राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और इस पर निश्चित तौर से जल्दी निर्णय होगा।

इस पर मैं और ज्यादा नहीं बोल कर, उपाध्यक्ष महोदय, अब ट्रान्सपोर्ट के ऊपर आता हूं। ट्रान्सपोर्ट के बारे में काफी माननीय सदस्यों की मेहरबानी रही। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

राष्ट्रीयकरण की नीति पर कुठाराघात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण में जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, आज कान्ट्रेक्ट पर गैरेज लेना राष्ट्रीयकरण का कुठाराघात नहीं है। आज कान्ट्रेक्ट पर गैरेज लेने की जरूरत है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। बसों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग बस में चढ़ नहीं सकते हैं। जगह-जगह चिल्लाहट हो रही है, असुविधा इतनी बढ़ गई है। अगर कान्ट्रेक्ट गैरेज से असुविधा दूर होती है और इकानामी बढ़ती है तो मैं समझ नहीं पाया कि राष्ट्रीयकरण की नीति पर कैसे कुठाराघात है। जिस समय बस बढ़ जायंगी, जैसी कि सम्भावना है कि जल्दी बढ़ेगी, उसे छोड़ देंगे। तीन महीने, छः महीने का कान्ट्रेक्ट है, उसे छोड़ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा खास तौर से राष्ट्रीयकरण के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, मार्च 1972 में टोटल राष्ट्रीयकरण, पहली साल ही हुआ है 5.87 पर्सेन्ट का, मार्च 1973 में नेशनलाइजेशन 7.66 पर्सेन्ट का हुआ और मार्च 1974 में 17.2 का हुआ और आज 31.2 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आलोचना कीजिये, माननीय सदस्य, जो भी चाहे आलोचना करें आलोचना के बिना प्रगति नहीं होती और माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे, वे हमें शक्ति देते हैं लेकिन रोडवेज के पोजिटिव आस्पेक्ट के बारे में मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि राजस्थान का रोडवेज किसी भी स्टेट से कम नहीं है और जगह-जगह हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, किसी भी रोडवेज से टक्कर ले सकता है, अच्छी बसेज व अच्छी सर्विसेज देते हैं। जो 6-8 महीनों में सुधार हुआ है, उसके लिए माननीय सदस्य मुझे चिट्ठियां दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि इस तरह की प्रगति रोडवेज के राष्ट्रीयकरण में मैनेजमेंट में हुई है। 31.2 प्रतिशत बढ़ने के बाद 3 रूट्स और एप्रूव हो गए और पब्लिश होने वाले हैं, उदयपुर-बूंदी, उदयपुर-कुशलगढ़ और पदमपुर-गर्जसिहपुर। करीब 793 किलो मीटर्स जल्दी नेशनलाइज करेंगे। इसी के साथ हमारा मार्च 1977 तक टोटल नेशनलाइजेशन 40 पर्सेन्ट के करीब पहुंच जाएगा।

उपाध्यक्षजी, यह प्रगति जो राष्ट्रीयकरण में हुई है, किसी स्टेट से कम नहीं है और हमें गर्व अनुभव होना चाहिए...

श्री रामगोपाल : प्राइवेट बसों के लिए भी कहिए...

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं उस पर भी आता हूं। आज रोडवेज के पूरे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने लेबर पार्टीसिपेशन की बात कही। इस बारे में मैंने व्यक्तिगत तौर से इसको लागू करने की अगुवाई की। राजस्थान में उसकी प्रगति प्रशंसनीय है और रोडवेज में लागू करने के लिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हमने सेंट्रल लेबर इन्स्टीट्यूट को एक अच्छी स्कीम बनाने के लिए लिखा है, शाप फ्लोर से पार्टीसिपेट करने के लिए फूलप्रूफ बने इसलिए हमने उस इन्स्टीट्यूट को लिखा है जिसके निदेशक डायरेक्टर हैं। 25 तारीख को उनके प्रतिनिधि श्री मेहता आ रहे हैं, हम 25 व

Page No.114

(114)

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

26 तारीख को उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे लेबर पार्टीसिपेशन हो । बूंदी के माननीय सदस्य को अगर कोई जानकारी हो तो वह भी अपने सुझाव दें कि इस तरह से लेबर पार्टीसिपेशन रोडवेज में होना चाहिए क्योंकि रोडवेज, दूसरा काटन टैक्सटाइल यूनिट में काफी डिफरेंस रहेगा । माननीय सदस्य यदि जानकारी दें तो उस पर विचार करेंगे । वैसे हमारी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश हो रही है और 25 व 26 तारीख को जब वह स्कीम देंगे तो उस पर विचार करके शीघ्र उसे क्रियान्वित करेंगे . .

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कब तक कर देंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बारे में, मेरे ख्याल से, आपसे ज्यादा अगुवाई करता हूं और चाहता हूं कि मैनेजमेंट के अन्दर लेबर पार्टीसिपेशन हो, जो खराबियां हों प्राइवेट यूनिट की, वह न हों और लेबर फील करे कि रोडवेज मेरी है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, हालांकि अभी माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया कि यहां पर डिप्टी जनरल मैनेजर ने कह दिया कि मैं कन्डक्टर्स के बारे में उनकी अपील नहीं सुनता और रिजेक्ट कर दी ।

आज सारे रोडवेज के अन्दर अगर कहीं तकलीफ है तो कन्डक्टर्स की जाति की है । हम अभी तक इस दुःख को दूर नहीं कर पाए, मुझे सही बात कहने में संकोच नहीं है । जहां 400-500 कन्डक्टर्स सस्पेंड होते हैं, उस स्थिति में जिस तरह से संतोषजनक सुधार होना चाहिए, वह नहीं हो पाया । कन्डक्टर्स टेम्प्रेरी होते हैं । आज हमने उनको सस्पेंड करने में और निकालने में कोई कमी नहीं रखी । मैं चाहता हूं कि रोडवेज में ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, उनको ज्यादा सहूलियत मिले । हमारी पे स्केल्स किसी रोडवेज से कम नहीं हैं । इसलिए जब कन्डक्टर्स का मामला लेकर कोई आता है तो मैं उनसे चमकता भी हूं । कोई कन्डक्टर टिकट नहीं काटता है और पकड़ा गया वह कहते हैं कि अपील सुनो । टेम्प्रेरी की अपील नहीं होती है । हमने अस्थाई कन्डक्टर्स रखे हैं । इसलिए जब कन्डक्टर्स बड़ी संख्या में सस्पेंड होते हैं तो एक यूनियन की तरह बना लेते हैं और वे अपने को लेबर समझकर आगे बढ़ते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि जो भी उनका काम ले, वह रोडवेज का काज समझकर लें, यह उनका ही काज है । गोडवेट लेबर से डिफरेंट नहीं है । मैं तो वैरीएबल फेक्टर हूं, आज हूं कल नहीं रहूं, कल आप हो सकते हैं, पर रोडवेज राजस्थान की रहेगी । आप ऐसी आलोचना करें जिससे सर्विस अच्छी हो, प्रगति हो । आज रोडवेज जिस प्रकार की है उसमें ज्यादा प्रगति होगी और पांचवीं योजना तक जो सपना है कि पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर देंगे, वह पूरा होगा ।

श्री देवीलाल : नियुक्तियां करने में कन्डक्टर्स से पैसे लेते हैं । क्या ऊपर की अथारिटीज लेती हैं ? इस तरह का वातावरण क्यों होता है ? जब ऊपर के लोग कुछ लेते हैं तब नीचे से ऐसा होता है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपका या मेरा कोई आदमी नहीं लगाया तो नाराज हो गए [illegible]

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

कि उसने पैसा लिया है, तो मुझे बतादें। हजारों की तादाद में कन्डक्टर्स होते हैं। आप स्पेसिफिक केस बतायें कि इस जगह पैसा लिया गया उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसकी जांच कराऊंगा। आपकी मेरी मुलाकात तो रोज होती रहती है। आप उस काम में शरीक हों, मैं निमंत्रण देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से सुधार करना चाहिए। एक एक केस लायेंगे तो बहुत समय लगेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप टेम्प्रेरी आदमियों का केस मत लीजिए।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जो दो-दो साल से हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर अपील नहीं कर सकते हैं तो लेबर कोर्ट में जायें। स्टैंडिंग आर्डर्स में जो कुछ करना चाहें तो करें। उपाध्यक्षजी, एक समय था जब करीब 300–400 बसें आफ दी रूट रहती थीं। आज सारे के सारे वर्कशाप्स रीआर्गेनाइज किए हैं। आज हालत यह है कि 100 बसें आफ दी रूट रहती हैं। पर्चेज पोलिसी स्ट्रीमलाइन की है। आप सेंट्रल वर्कशाप जाकर देखें, अगर आपको कोई कमी नजर आए तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। अगर आप उसको अच्छा समझेंगे तो मुझे उससे शक्ति मिलेगी।

श्री बिरदाराम : रोडवेज की गाड़ियों पर त्रिपाल नहीं होते हैं, बारिश में ऊपर का सामान भीग जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। रोडवेज के बारे में दूसरा सवाल उठाया गया कि प्राईवेट बसें लेते हैं, पहले आपके पास में पूंजी नहीं थी तो क्यों नहीं इसकी कल्पना की गई और कोशिश की गई? मेरा निवेदन है कि दो ढाई साल पहले रोडवेज का राष्ट्रीयकरण हाथ में लिया तेजी से प्रगति करने का। उस समय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ की बारोइंग पावर दे रखी थी, जो क्रेडिट स्कुईज के कारण विथड्रा हो गई। भारत सरकार के कुछ सिद्धांत थे उसके आधार पर वे पैसा नहीं दे सके। उसके परिणाम स्वरूप रोडवेज की जो स्थिति होनी चाहिए उसमें काफी मंदी आ गई। अब अच्छी प्रगति कर रहे हैं। 400 बसें और लाने वाले हैं और उसके बाद आपकी सेवाओं में बहुत बड़ा सुधार होगा, जो असुविधायें होंगी कम होंगी। जो साधन सीमित हैं तो कुछ तकलीफें और खराबियां होती हैं और माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर निश्चित तौर से मैं विचार करूंगा और अपनाने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां कुछ मुद्दे उठाये हैं। टैम्पोज के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसके बारे में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज मैंने टेम्पोज के बारे में जो भी असुविधायें जनता को होती हैं उसके बारे में मीटिंग बुलायी थी। उपाध्यक्ष महोदय, टेम्पोज जो हैं वह ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के लिये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिये मैंने तीन महीनों का समय दिया है उन टेम्पोज को ठीक ढंग से रेग्यूलेट करने के

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

लिये, इन टेम्पोज में निर्धारित रेट के बारे में दूसरे टेम्पोज के अन्दर बीच में डंडा लगाने के लिये ताकि उसमें भीड़ कम होने को तथा थ्री व्हीलर्स के अन्दर जो अभी मीटर्स नहीं लगे हुए हैं उन्हें उनमें लगाने के लिये ताकि वह लोग मनमाने ढंग से पैसा नहीं चार्ज कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि टैम्पोज वाले लोग मनमाने ढंग से पैसे लेते हैं लेकिन चूंकि आज पोपूलेशन बहुत अधिक बढ़ गयी है, इस लिये बढ़ती हुई पोपूलेशन को देखते हुए अगर हम इनको बन्द करा देते हैं तो जनता को आने जाने में बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज हमारे पास इतनी बड़ी सिटी में चलाने के लिये बसेज नहीं हैं। इसलिये इनको हमें चलाने की अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब हमारी बसेज ज्यादा शहर में आ जायेंगी तो यह धीरे-धीरे सभी दिक्कत दूर हो जायेंगी। वैसे राज्य सरकार ने ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जनता की तकलीफें मिटाने की कोशिश की है। इससे काफी प्रगति हुई है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, वाहन कर भी 18 प्रतिशत हो गया है। यात्री कर और माल ढोने वाली बसों से 48 पर्सेन्ट तक आय बढ़ गयी है। इसके अलावा मैकेनिकल इन्सपेक्टर्स को जो तकलीफ थी वह भी काफी हद तक कम की गई है। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि बेसिकली काफी प्रगति हुई है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं अगर माननीय सदस्य कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देंगे तो मैं जरूर मानूंगा। इससे जनता को भी लाभ होगा और ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट की भी प्रगति होगी। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बसों की हालत खराब होने की वजह से काफी दिक्कत रहती है इसके बारे में······

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि गांवों में सड़कें खराब हैं और प्राइवेट बसेज की हालत खराब होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम उन रूट्स को जल्दी से जल्दी नेशनलाइज कर रहे हैं और कई जगहों का तो सर्वे भी हो चुका है। उसके बाद में रूट्स नेशनलाइज कर लिये जायेंगे और उसके बाद में जनता को राहत मिलेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इसके पहले आप कोई दूसरी अच्छी बसों को परमिट क्यों नहीं दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,60,65,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,23,000 रुपये तक राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 17 मार्च 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4.5 बजे बुधवार दिनांक 17 मार्च 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी)

(118)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं. 79 की सूची)

जिला बाड़मेर के बकाया नामान्तरकरणों की सूची

क.सं	नाम तहसील	कुल बकाया नामान्तरकरण	किस अवधि के बाकी हैं: 2 मास से कम अवधि के	2 मास से 8 मास की अवधि के	1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि के	योग	किसके पास कबसे पेंडिंग हैं: पटवारी 2 मास से कम	निरीक्षक 2 मास से कम	तहसीलदार के पास 2 मास से कम	2 से 6 मास	1 से 2 वर्ष	योग	पंचायतों के पास 20 दिन से कम	20 दिन से 2 मास	2से 6 मास	योग	कुल योग
1.	बाड़मेर	141	129	12	–	141	13	24	17	–	–	17	57	30	–	87	141
2.	शिव	90	90	–	–	90	37	36	–	–	–	–	17	–	–	17	90
3.	चौहटन	79	69	10	–	79	41	–	2	–	–	2	17	9	10	36	79
4.	सिवाना	230	217	12	1	230	1	118	50	12	1	63	41	7	–	48	230
5.	पचपदरा	105	105	–	–	105	69	–	–	–	–	–	36	–	–	36	105
	योग	645	610	34	1	645	161	178	69	12	1	82	168	46	10	224	645

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या ( ) 84 की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।

तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की सूची

(15–3–76)

क्रमांक	नाम पद	नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष	सं.
1.	व्यापार सुधार अधिकारी	1975–76	1
2.	विकास अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय	1975–76	1
3.	लेखाकार (दो पद)	1969–70 1970–71	2
4.	निरीक्षक, सह अंकेक्षक	1973–74	1
5.	जिला उद्योग निरीक्षक (5 पद)	1972–73	3
		1973–74	2
6.	संगठक	1972–73	2
7.	कार्यालय सहायक	1972–73	1
8.	उच्च संभाग लिपिक (11 पद)	1969–70	3
		1972–73	2
		1973–74	4
		1974–75	1
		1975–76	1
9.	पर्यवेक्षक प्रथम (11 पद)	1972–73	7
		1973–74	4
10.	पर्यवेक्षक द्वितीय (9 पद)	1972–73	5
		1973–74	4
		योग	45

(120)

(ब)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।

रिक्त पदों की सूची

(15–3–76)

क्रमांक	नाम पद	रिक्ति वर्ष	सं.
1.	निजी सचिव, अध्यक्ष	1974–75	1
2.	सहायक सचिव	1974–75	1
3.	विकास अधिकारी (केन्द्र)	1975–76	1
4.	विकास अधिकारी (योजना)	1975–76	1
5.	विकास अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय)	1974–75	1
6.	मुख्य संगठक (खादी)	1973–74	1
7.	मुख्य संगठक (ग्रामो.)	1973–74	1
8.	ऊन विकास अधिकारी	1973–74	1
9.	सांख्यिकी सहायक	1975–76	1
10.	लेखाकार (2 पद)	1974–75 1975–76	2
11.	शीघ्रलिपिक	1975–76	1
12.	उ.सं.लि.	1975–76	1
13.	नि.सं.लि.	1975–76	1
14.	निरीक्षक सह प्रकेक्षक	1973–74 1975–76	2
15.	पर्यवेक्षक (प्रथम)	1975–76	1
16.	पर्यवेक्षक (द्वितीय)	1974–75	3
17.	जीप चालक	1974–75	1
18.	च.श्रे.कर्मचारी	1975–76	1
		योग	22

(स)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या

(15-3-76)

क्रमांक	नाम पद	कार्यरत संख्या	अनु. जाति व जनजाति की सं.
1.	सचिव	1	-
2.	वित्त सलाहकार एवम् मुख्य-लेखाधिकारी	1	-
3.	विशेषाधिकारी प्रशासन	1	1
4.	लेखाधिकारी	1	-
6.	प्र केक्षणाधिकारी	1	-
6.	व्यापार सुधार अधिकारी,	1	-
7.	विकास अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय	1	-
8.	विकास अधिकारी, सहकारिता	1	-
9.	व्यापार सुधार अधिकारी (जूनियर)	1	-
10.	विधि सहायक	1	-
11.	कार्यालय अधीक्षक	1	-
12.	निरीक्षक ग्रेड प्रथम	2	-
13.	लेखाकार	3	-
14.	कार्यालय सहायक	1	-
15.	शीघ्र लिपिक	2	-
16.	उच्च संभाग लिपिक	19	1
17.	निम्न संभाग लिपिक	22	2
18.	संगठक	9	1
19.	तकनीकी सहायक	1	-
20.	निरीक्षक सह प्र केक्षक	17	-
21.	जिला उद्योग निरीक्षक	22	1
22.	पर्यवेक्षक प्रथम	20	1
23.	मेकेनिक प्रथम	2	-
24.	मेकेनिक द्वितीय	2	-
25.	पर्यवेक्षक द्वितीय	16	2

Page No.122

(122)

1	2	3	4
26.	जीप चालक	2	—
27.	एपायरिस्ट	1	—
28.	जूनियर फिल्डमैन	2	2
29.	जमादार	2	1
30.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23	9
	योग	179	21

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 100 की सूची)

डूंगरपुर में वन रक्षकों से सहायक वनपाल पदों पर पदोन्नति की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वन रक्षक के पद पर नियुक्ति दिनांक	सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति दि.
1.	श्री रत्ना पुत्र लालू	20-5-63	5-4-73
2.	श्री धनजी पुत्र कचरा	19-4-56	1-8-74
3.	श्री हूजा पुत्र सेंगा	1-1-44	1-6-75
4.	श्री भैरूसिंह	18-7-70	8-7-75
5.	श्री कन्हैया लाल	15-8-63	1-9-75
6.	श्री अमरलाल	7-10-65	1-9-75
7.	श्री अब्दुल लतीफ पुत्र मोहम्मद अहमद खां	12-9-68	1-9-75
8.	श्री देवेन्द्र कुमार	10-9-68	1-9-75
9.	श्री प्रेमजी	20-10-63	1-9-75
10.	श्री गुलाब सिंह पुत्र अर्जुनसिंह	1-9-63	14-11-75
11.	श्री सुखलाल	1-9-70	14-11-75
12.	श्री देवीलाल	11-1-71	14-11-75
13.	श्री भोपालसिंह	1-2-70	14-11-75
14.	श्री गुलाबसिंह सोमाजी	13-10-51	14-11-75
15.	श्री मुबारक	1-12-74	14-11-75

सहायक वनपाल से वनपाल पद पर पदोन्नति की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	सहायक वनपाल पद पर नियुक्ति दिनांक	वनपाल पद पर नियुक्ति दिनांक
1.	श्री थानेश्वर	21-8-70	30-3-74
2.	श्री वाला	22-6-62	1-8-74
3.	श्री बन्शीलाल	1-6-62	10-6-75
4.	श्री रूपलाल	21-8-70	8-7-75
5.	श्री इन्द्रजीत	21-8-70	8-7-75

(124)

1	2	3	4
6.	श्री रामचन्द्र	21-8-70	8-7-75
7.	श्री पूंजा	21-8-70	8-7-75
8.	श्री अब्दुल हलीम	5-2-71	8-7-75
9.	श्री मोगजी	5-2-71	8-7-75
10.	श्री धुलेश्वर	5-2-72	14-11-75
11.	श्री भैरूसिंह	8-7-75	14-11-75
12.	श्री कन्हैया लाल	1-9-75	14-11-75
13.	श्री प्रेमजी	1-9-75	14-11-75
14.	श्री देवेन्द्र	1-9-75	14-11-75
15.	श्री अब्दुल लतीफ पुत्र मो. अहमद खां	1-9-75	14-11-75

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FINANCE SOCIETY LTD., JAIPUR

Districtwise Statement of Loans Sanctioned upto 31-1-76

S.No.	District	SC/ST Societies			Non SC/ST Societies			Total		
		No. of Societies	No. of Houses	Amount of Loan Rs. in lacs	No. of Societies	No. of Houses	Amount of Loan Rs. in lacs	No. of Societies	No. of Houses	Amount of Loan Rs. in lacs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	14	351	14.04	4	159	26.47	18	510	40.51
2.	Alwar	22	717	28.68	1	15	1.49	23	732	30.17
3.	Banswara	33	906	36.24	3	78	5.37	36	984	41.61
4.	Barmer	7	181	7.24	—	—	—	7	181	7.24
5.	Bharatpur	48	1351	54.04	—	—	—	48	1351	54.04
6.	Bhilwara	16	462	18.48	2	39	5.05	18	501	23.53
7.	Bikaner	13	342	13.65	—	—	—	13	342	13.65
8.	Bundi	6	173	6.92	2	84	7.05	8	257	13.97
9.	Churu	39	1246	49.84	1	17	1.36	40	1263	51.20
10.	Chittorgarh	34	688	27.52	6	92	12.59	40	780	40.11
11.	Lungarpur	12	290	11.60	—	—	—	12	290	11.60
12.	Ganganagar	28	830	33.20	—	—	—	28	830	33.20
13.	Jaipur	101	3128	125.12	6	176	11.18	107	3304	136.30
14.	Jalore	8	200	8.00	—	—	—	8	200	8.00
15.	Jaisalmer	15	360	14.40	—	—	—	15	360	14.40
16.	Jhalawar	17	423	16.92	—	—	—	17	423	16.92
17.	Jodhpur	26	740	29.60	1	18	1.02	27	758	30.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Jhunjhunu	71	2087	83.48	2	10	0.51	73	2097	83.99
19.	Kota	27	741	29.64	1	23	0.69	28	764	30.33
20.	Nagour	31	785	31 40	—	—	—	31	785	31.40
21.	Pali	21	784	31.36	—	—	—	21	784	31.36
22.	Sawai Madhopur	14	402	16.08	—	—	—	114	402	16 08
23.	Sikar	95	3002	120.08	25	207	13.88	120	3209	133.96
24.	Sirohi	2	49	1.96	1	38	5.40	3	87	7.36
25.	Tonk	23	589	23.56	1	7	0.28	24	596	23.84
26.	Udaipur	25	649	25.96	9	352	42.07	34	1001	68.56
	Total	748	21476	859.01	65	1315	134.94	813	22791	993.95

परिशिष्ट–5

सरपंच, ग्राम पंचायत बगरू के विरुद्ध शिकायतें

102. श्री मालाराम (नीम का थाना) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बगरू पंचायत पंचायत समिति सांगानेर के सरपंच के विरुद्ध सन् 1964 से 1976 तक प्राप्त गबन, भ्रष्टाचार संबंधी, राजस्व संबंधी, प्राकृतिक उपज पानी पूला के घोटाले, राजकीय प्राथमिक शाला के भवन में हुये घोटाले आदि अन्य शिकायतें में से कितनी सही पाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बगरू के सरपंच को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है ? यदि ऐसा नहीं तो कौन से आरोप में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न सं. 87 की सूची)

सूची बन्दियान जो खुले शिविर से फरार हुए

क्र.सं.	नाम शिविर	तारीख फरारी	नाम बन्दी
1.	खुला शिविर, दुर्गापुरा	23–1–60	श्री भैरोंसिंह पुत्र सोहनसिंह
2.	,, ,, सूरतगढ़	30–8–63	श्री मग सिंह
3.	,, ,, ,,	4–10–63	रावती
4.	,, ,, ,,	13–2–64	नागा
5.	,, ,, सांगानेर	28–11–64	श्री गणपतसिंह पुत्र बीजा
6.	,, ,, सूरतगढ़	31–1–65	सुआ
7.	,, ,, सरदारगढ़	20–6–65	श्री कजोड़ पुत्र हुकमा
8.	,, ,, सांगानेर	5–10–66	गंगाराम पुत्र देवाराम
9.	,, ,, ,,	12–7–67	श्री गफूर पुत्र जहूर खाँ
10.	,, ,, ,,	24–5–71	श्री बलराम पुत्र रामकरण

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-कारागार) विभाग

संख्या एफ. 5(3)कारागार/71

जयपुर, दिनांक 9–11–1973

अधिसूचना

राजस्थान राज्य के लिये यथा अनुकूलित कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 9, सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, राजस्थान कारागार नियम, 1951 में, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग 3 में विद्यमान नियम 5-क और 19-क लोपित किये जायेंगे।

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची)

वित्तीय परिणाम-सूची

लकड़ी-कोयला

(अ) ठेकेदारी प्रथा से

वर्ष	क्षेत्र जो काटा गया	आय (लाख रुपयों में)	प्रति एकड़ आय
1963–64	34331 एकड़	रु. 25.60	रु. 76/–
1964–65	35146 „	रु. 26.25	रु. 75/–
1965–66	35834 „	रु. 35.16	रु. 100/–
1966–67	37459 „	रु. 34.55	रु. 94/–
1967–68	40049 „	रु. 32.55	रु. 80/–

(ब) विभागीय योजना द्वारा

1969–70	9260 एकड़	रु. 23.27 लाख	रु. 255/– प्रति एकड़
1970–71	11053 „	रु. 35.63 लाख	रु. 320/– „
1971–72	12893 „	रु. 42.81 लाख	रु. 332/– „
1972–73	16438 „	रु. 57.27 लाख	रु. 348/– „
1973–74	19493 „	रु. 68.19 लाख	रु. 350/– „
1974–75	23482 „	रु. 65.77 लाख	रु. 280/–

2–(अ) बांस व कत्था योजना

नाम स्कीम	आय		
	1972–73	1973–74	1974–75
1–बांस	18 लाख रु.	25.91 लाख	48–50 लाख
2–कत्था	इस वर्ष कत्था बना	12.52 लाख	9–61 लाख

(ब) प्रति यूनिट वृद्धि

वन पैदावार	ठेकेदारी प्रथा से	विभागीय पद्धति से
बांस	10 रु. प्रति 100 मानक बांस	45 रु. प्रति 100 मानक बांस (1974–75)
कत्था	250 प्रति क्विटल	1250 रु. प्रति क्विन्टल

3–लेखा जोखा विभागीय योजना (1974–75)

योजना का नाम	कुल आय (लाख रु. में)	शुद्ध आय रायल्टी (लाख रु. में)	शुद्ध लाभ	कटौती पेंशन इत्यादि	शुद्ध आय
लकड़ी कोयला योजना	153.31	30.02	30.85	4.90	65.77
बांस योजना	86.51	11.30	36.42	0.78	48.50
कत्था योजना	10.43	4.04	5.16	0.41	9.61
योग	250.25	45.36	72.43	6.09	123.88

4–पत्ता तेंदू

क्र.सं. विवरण	ठेकेदारी प्रथा द्वारा (पिछले 10 वर्ष के आधार पर)	राष्ट्रीयकरण उपरान्त वर्ष 1974	राष्ट्रीयकरण उपरान्त वर्ष 1975
1. आय	12 लाख रुपये	91.84 लाख रु.	117.5 लाख (अनुमानित)
2. यात्रा भत्ता	1,37,268 मानक बोरा	1,89,022 मानक बोरे	1,65,843 मानक बोरे

परिशिष्ट-8

(तारांकित प्रश्न संख्या 96 की सूची)

जिला जालौर एवं तहसील सांचौर में धारा 91 के विचाराधीन मामलों का विवरण

	1 वर्ष या उससे कम अवधि के	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 से 6 वर्ष	6 से 7 वर्ष	7 से 8 वर्ष	कुल योग
जिला जालौर	177	30	45	41	6	18	12	7	336
तहसील सांचौर	145	निल	11	5	5	5	निल	निल	171

3 वर्ष या इससे अधिक अवधि के मामले इस कारण विचाराधीन रह गये हैं कि वे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से रिमांड होकर निर्णय हेतु आये हैं।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

भारत सरकार से 'वातावरण सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत 6 परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कच्ची बस्तियों में हुए व्यय का विवरण ।

क्रम सं.	बस्ती का नाम	व्यय वर्ष 1975–76 (माह फरवरी 1976 तक)	कुल व्यय	विशेष विवरण कार्य की प्रगति	विद्युत	पानी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोकपुरा सोढाला	7,797/–	2,25,287/–	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण हो गया
2.	हसनपुरा खातीपुरा रोड़ के दक्षिण में	28,328/–	3,61,369/–	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण	नहीं
3.	मुस्लिम स्कूल मोती डूंगरी रोड़	--	35,877/–	,,	कार्य चालू है	कार्य चालू है ।
4.	जनता कालोनी विस्तार सेन्ट ऐन्जला सोफिया	19,447/–	1,75,756/–	,,	,,	,,
5.	मंडी खटीकान	11,096/–	3,42,003/–	,,	कार्य पूर्ण	,,
6.	जमना डेरी लक्ष्मीनगर मोहल्ला जूमाबलान	7,071/–	2,99,701/–	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
7.	कोली बस्ती चोकडी हवाली शहर	--	47,709/–	,,	नहीं	नहीं
8.	मिनर्वा टाकीज के पीछे	728/–	6,61,006/–	,,	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
9.	हसनपुरा लोको शेड के पीछे	43,330/–	4,92,041/–	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण	,,
10.	बडोदिया बस्ती	2,594/–	1,08,348/–	,,	कार्य चालू है	कार्य चालू है ।
11.	स्वामियों की बस्ती	100/–	70,790/–	,,	कार्य पूर्ण	,,
12.	मोतीलाल नेहरू कच्ची बस्ती	356/–	87,519/–	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
13.	हथरोई विधायकपुरी	210/–	60,511/–	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण	नहीं
14.	हथरोई पी. एण्ड टी.	195/–	68,970/–	कार्य पूर्ण	आंशिक पूर्ण	„
15.	नाटानियों का बाग	3,050/–	31,830/–	कार्य पूर्ण होगया	कार्य पूर्ण होगया	नहीं
16.	चक सुन्दर की बस्ती	1,569/–	83,822/–	„	„	„
17.	ब्रह्मपुरी	1,835/–	60,779/–	कार्य चालू है	„	कार्य पूर्ण हो गया
18.	मदरामपुरा	3,557/–	85,291/–	कार्य चालू है	आंशिक पूर्ण हो गया	„
19.	बाईस गोदाम	5,090/–	3,19,936/–	कार्य पूर्ण होगया	नहीं	नहीं
20.	बांस बदनपुरा	6,430/–	2,35,038/–	„	कार्य पूर्ण हो गया	नहीं
21.	तोपखाना हजूरी	70,856/–	8,58,108/–	कार्य चालू है	„	„
22.	नदी एरिया	10,643/–	6,87,450/–	कार्य पूर्ण हो गया	„	कार्य पूर्ण हो गया
23.	बस्ती सीतारामपुरा	––	1,32,708/–	कार्य चालू है	„	„
24.	बागड़ियों की बस्ती	––	27,033/–	कार्य चालू है	कार्य चालू है	कार्य चालू है
25.	बरसातपुरा	7,318/–	1,11,299/–	„	कार्य पूर्ण हो गया	कार्य पूर्ण हो गया
26.	बांस बदनपुरा और सीतारामपुरा	380/–	[illegible]0,477/–	„	„	„
27.	चांदपोल से नार्मल स्कूल	21,678/–	74,458/–	कार्य पूर्ण होगया	कार्य पूर्ण होगया	कार्यपूर्ण होगया
28.	मोहल्ला सिकारियान	––	5,360/–	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण हो गया	„
29.	मोहल्ला चोर बारदार का बाग	482/–	27,595/–	कार्य पूर्ण होगया	„	„
30.	माहर बाड़ा	8,909/–	29,281/–	कार्य चालू है	„	„
31.	गुड गया बिसन के पास	––	42,006/–	कार्य पूर्ण होगया	„	„

32. कच्चा बन्धा हरिजन बस्ती	—	29,732/-	,,	,,	,,
33. लंगर की मोरी के पास	524/-	15,869/-	,,	,,	,,
34. नादिरों की मस्जिद के पास	—	11,734/-	,,	,,	,,
35. हरिजन बस्ती बालानन्दजी का रास्ता	—	8,256/-	,,	,,	,,
36. गुलाब बाड़ी	8,766/-	16,533/-	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण हो गया	कार्य पूर्ण हो गया
37. कोली बस्ती लंगर के बालाजी के दक्षिण में	8,168/-	34,389/-	कार्य पूर्ण हो गया	,,	,,
38. कोली बस्ती गंगामाता के मन्दिर के पास	10,170/-	16,712/-	कार्य चालू है	,,	,,
39. कोली बस्ती गुलजार मस्जिद के पास	2,029/-	61,300/-	,,	,,	,,
40. पंचमुखी हनुमान नाहरी का नाका	64,294/-	2,34,485/-	कार्य पूर्ण	,,	,,
41. हाजी बस्ती, मालियों की बस्ती व डी.पी. कालोनी नाहरी का नाका व हिस्सा	46,476/-	3,93,719/-	कार्य चालू है	आंशिक पूर्ण हो गया	,,
42. अजमेर रोड़ खातीपुरा गांव	8,298/-	1,12,876/-	,,	कार्य पूर्ण	,,
43. परसरामपुरी बद्रीनारायणजी की डूंगरी	—	42,500/-	—	,,	—
44. परसरामपुरी गूजरघाटी	—	44,829/-	कार्य चालू है	कार्य चालू है	कार्य चालू है
45. फतेह टीबा कच्ची बस्ती श्मशान के पास	—	26,017/-	,,	,,	,,
46. कायस्थों की बगीची के पास	915/-	915/-	,,	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण हो गया
47. डा. बोहराजी की हवेली के पास	—	—	कार्य चालू है	,,	,,
48. रेगरों की कोठी के पास	2,336/-	2,398/-	,,	,,	,,
49. सड़क घोड़ा निवास	8,201/-	8,201/-	कार्य पूर्ण	,,	,,
50. चारदरवाजे से गंगापोल दरवाजे तक					
51. बोहरा का बाग	45,782/-	49,096/-	,,	,,	,,
52. डा. बासंकी की मोरी के पास	30,390/-	43,058/-	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
53.	नायकान	4,343/–	4,343/–	कार्य चालू है	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण हो गया
54.	ब्रहमपुरी बारा मोरी के पास	39,639/–	39,639/–	,,	,,	,,
55.	मोहल्ला ग्रहल्लान	35,585/–	35,585/–	कार्य पूर्ण	,,	,,
56.	बसाई बस्ती	116/–	116/–	,,	,,	,,
57.	हथरोई बावडी	98,894/–	98,894/–	कार्य पूर्ण हो गया	कार्य पूर्ण हो गया	कार्य पूर्ण हो गया
58.	तिवाडी जी का बाग	–	–	–	–	–
59.	दुर्गापुरा	154/–	154/–	कार्य चालू है	कार्य चालू है	कार्य चालू है
60.	नाहुरी का नाका	3,19,759/	7,70,183/–	,,	,,	,,
	कुल योग	10,03,110/	79,87,984/–			

परिशिष्ट 10

(प्रता. पृ. 27 की सूची)

सूची राजकीय मन्दिर व उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, झालावाड़

क.सं.	नाम मन्दिर	नाम कर्मचारी	पद	वेतन				योग
				वेतन	महंगाई	अति. महंगाई	अंतरिम राहत	
1	2	9	4	5	6	7	8	9
1.	श्री जेसलमेरी जी, झालावाड़	1. श्री हुकमचन्द शर्मा	मुखिया	69)	71)	63)	29)	232)
		2. श्री प्रेमशंकर	बाल भोगिया	60)	71)	6[illegible])	29)	223)
		3. रिक्त पद	जलघड़िया	60)	71)	63)	29)	223)
		4. श्री शंकरलाल	चौकीदार	60)	71)	63)	29)	223)
		5. श्री रघुवीर सिंह	चौकीदार	60)	71)	63)	29)	223)
2.	श्री भूराबाई जी, झालावाड़	1. श्री विद्यानन्द शर्मा	मुखिया	60)	71)	63)	29)	223)
		2. रिक्त पद	बाल भोगिया	60)	71)	63)	29)	223)
		3. श्री भैरुलाल	चौकीदार	69)	71)	63)	29)	232)
		4. श्री रामनारायण	चौकीदार	60)	71)	63)	29)	223)
3.	श्री विश्ववन्द्य मातृजी, झालरापाटन	1. श्री नरेन्द्रकुमार	पुजारी	69)	71)	63)	29)	232)

137

(138)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	श्री सिल्लादेवी जी, झालरापाटन	1. श्री बद्री प्रसाद भट्ट	पुजारी	69)	71)	63)	29)	232)
5.	श्री बाग पीपानन्द जी, झालावाड़	1. श्री रामकरण शर्मा	मुखिया	52)	71)	63)	29)	215)
		सूची आत्म निर्भर मन्दिर व उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी, झालावाड़						
1.	श्री रूपाबाई जी, झालावाड़	1. श्री गौरीशंकर	मुखिया	25)	20)	—	—	45)
		2. श्री हीरालाल	चौकीदार	20)	20)	—	—	40)
		3. श्री श्रीनाथ	,,	20)	20)	—	—	40)
2.	श्री मेड़तनी जी, झालावाड़	1. श्री रामनारायण शर्मा	मुखिया	11)	15)	—	—	26)
		2. श्री						
3.	श्री धर्मशाला, देवस्थान, झालावाड़	1. श्री केसरीलाल	प्रबन्धक	70)	20)	—	—	90)
		2. श्री प्रेमबिहारी हरिजन	चौकीदार	35)	10)	—	—	45)
4.	श्री पदमनाथ जी (सूर्य मन्दिर), झालरापाटन	1. श्री पुरुषोत्तमलाल महता	मुखिया	25)	15)	—	—	40)
		2. श्री नारायणलाल माली	चौकीदार	25)	15)	—	—	40)
5.	श्री गिरीराय जी, झालरापाटन	1. श्रीमती रामीबाई	मुखियानी	7.50	15)	—	—	22.50
		2. श्रीमती पन्नाबाई	बालभोगिया	10)	15)	—	—	25)

6.	श्री द्वारकाधीश जी, झालरापाटन	1. श्री गणपतलाल	मुखिया	40)	25)	—	—	65)
		2. श्री पुरुषोत्तमलाल	बालभोगिया	30)	20)	—	—	50)
		3. श्री गोपाल	छड़ीदार	28)	20)	—	—	48)
		4. श्री नन्दकिशोर	पखावजी	25)	20)	—	—	45)
		5. श्री मदनलाल शर्मा	दरोगा	40)	25)	—	—	65)
		6. श्री शिवनारायण	सिपाही	35)	20)	—	—	55)
		7. श्री रामसिंह	,,	35)	20)	—	—	55)
		8. श्री कोशल कुमार	,,	35)	20)	—	—	55)
		9. श्री नाथूलाल	,,	35)	20)	—	—	55)
		10. श्री भंवरलाल	,,	35)	20)	—	—	55)
7.	श्री नवनीतप्रियाजी, झालरापाटन	1. श्री चिन्तामन शर्मा	मुखिया	40)	25)	—	—	65)
		2. श्री कैलाशचन्द्र	बालभोगिया	30)	20)	—	—	50)
8.	कार्यालय कर्मचारी	1. श्री महेन्द्रपाल सिंह	मैनेजर	150)	37)	—	—	187)
		2. श्री माधवलाल शर्मा	रीडर	80)	27)	—	—	107)
		3. श्री जानकीलाल शर्मा	लेखाकार	95)	22)	—	—	117)
		4. श्री तुलसीराम	कैशियर	80)	27)	—	—	107)